UPMB010007412024

निर्णय

फार्म– ए

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०(सी०ए०डब्लू०) , महोबा।

उपस्थितिः तेन्द्र पाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J O code UP- 1719

सत्र वाद संख्या –199/2024

CNR NO-UPMB010007412024

निर्णय की तिथि- 08.04.2026

उत्तर प्रदेश सरकार ..... अभियोजक

बनाम

1.प्रीतम राजपूत पुत्र स्व० जानकी प्रसाद राजपूत

2.प्रेमचन्द्र राजपूत पुत्र स्व० जानकी प्रसाद राजपूत

निवासीगण ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जिला महोबा

---------- अभियुक्तगण

मु०अ०सं० 17/2024
धारा 302/34, 201 भा०दं०सं०
थाना– अजनर , जिला महोबा

परिवादी/शिकायतकर्ता	उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा	श्री दिनेश सिंह प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता , फौजदारी
अभियुक्त	1.प्रीतम राजपूत 2.प्रेमचन्द्र राजपूत
द्वारा अधिवक्ता	श्री मुरारीलाल अग्रवाल

फार्म– बी

अपराध की तिथि	दिनांक–25–01–2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	दिनांक–27–01–2024
आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	दिनांक–03–04–2024
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	दिनांक–24–07–2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक–26–07–2024
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	दिनांक–02–04–2026

निर्णय का दिनांक	दिनांक– 08–04–2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	अपराध के आरोप	बरी या सजा	की गयी सजा	धारा–428 Cr.p.c. के उद्देश्य से अभियुक्त के हिरासत में निरूद्धि की अवधि
01 02	प्रीतम राजपूत प्रेमचन्द्र राजपूत			धारा 302/34 व 201 भारतीय दण्ड संहिता	सजा	आजीवन कारावास	

फार्म सी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षीगण की सूची–

ए. अभियोजन–

क्रम सं०	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी.डब्लू–1	जियालाल राजपूत	वादी मुकदमा
पी.डब्लू–2	रामपाल	साक्षी
पी.डब्लू–3	आजाद खान	साक्षी
पी.डब्लू–4	राकेश कुमार	पुलिस साक्षी
पी.डब्लू–5	भोजराज उर्फ भोजा	साक्षी
पी.डब्लू–6	श्रीमती अभिलाषा खरे	साक्षी
पी.डब्लू–7	जगत सिंह	साक्षी
पी.डब्लू–8	डा० साजी राहील	डाक्टर साक्षी
पी.डब्लू–9	राजेश रैकवार	साक्षी
पी.डब्लू–10	गुलाब बसोर	साक्षी
पी.डब्लू–11	अनुरूद्ध प्रताप सिंह	पुलिस साक्षी
पी.डब्लू–12	प्रवीण कुमार सिंह	पुलिस साक्षी

बी० प्रतिरक्षा साक्षी–

कोई नहीं

सी– न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो,

कोई नहीं

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची–

ए. अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण/उल्लेख
1.	प्रदर्श क–1/पी.डव्लू. 1	तहरीर /वादी मुकदमा
2–	प्रदर्श क–2/ पी.डव्लू.4	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3–	प्रदर्श क–3/ पी.डव्लू.4	मुकदमा कायमी जी०डी०
4–	प्रदर्श क–4/पी.डब्लू.8	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
5–	प्रदर्श क–5/पी.डब्लू.11	फर्द चार अदद नमूने पालीथीन
6–	प्रदर्श क–6/पी.डब्लू.11	फर्द आला कत्ल लोहे की कुल्हाड़ी व अन्य सामान
7–	प्रदर्श क–7/पी.डब्लू.11	फर्द एक अदद लोहे का बांका
8–	प्रदर्श क–8/पी.डब्लू.11	पंचायतनामा
9–	प्रदर्श क–9/पी.डब्लू.11	चिट्ठी सी०एम०आ ०ं
10–	प्रदर्श क-10/पी.डब्लू.11	चिट्ठी आर०आई०
11–	प्रदर्श क-11/पी.डब्लू.11	चालान नाश
12–	प्रदर्श क-12/पी.डब्लू.11	फोटो नाश
13–	प्रदर्श क-13/पी.डब्लू.11	नमूना सील
14–	प्रदर्श क-14/पी.डब्लू.11	नमूना सील
15–	प्रदर्श क-15/पी.डब्लू.11	नमूना सील
16–	प्रदर्श क-16/पी.डब्लू.11	नमूना सील
17–	प्रदर्श क-17/पी.डब्लू.12	जी०डी० दिनांक 30.01.2024
18–	प्रदर्श क-18/पी.डब्लू.12	जी०डी० दिनांक 02.02.2024
19–	प्रदर्श क-19/पी.डब्लू.12	गिरफ्तारी प्रपत्र प्रीतम
20–	प्रदर्श क-20/पी.डब्लू.12	गिरफ्तारी प्रपत्र प्रेमचन्द्र
21–	प्रदर्श क-21/पी.डब्लू.12	नक्शा नजरी घटनास्थल
22–	प्रदर्श क-22/पी.डब्लू.12	नक्शा नजरी आला कत्ल कुल्हाड़ी
23–	प्रदर्श क-23/पी.डब्लू.12	नक्शा नजरी आला कत्ल लोहे का बांका
24–	प्रदर्श क-24/पी.डब्लू.12	नक्शा नजरी
25–	प्रदर्श क-25/पी.डब्लू.12	आरोप पत्र
26–	प्रदर्श क-26/पी.डब्लू.12	विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट
27–	प्रदर्श क-27/पी.डब्लू.12	विधि विज्ञान प्रयोगशाला डाकेट
28–	वस्तु प्रदर्श-1/पी.डब्लू.11	कुल्हाड़ी
29–	वस्तु प्रदर्श-2/पी.डब्लू.11	बांक
30–	वस्तु प्रदर्श-3/पी.डब्लू.11	सादा मिट्टी
31–	वस्तु प्रदर्श-4/पी.डब्लू.11	खूना लूदा मिट्टी
32–	वस्तु प्रदर्श-5/पी.डब्लू.11	शर्ट
33–	वस्तु प्रदर्श-6/पी.डब्लू.11	टी-शर्ट

34–	वस्तु प्रदर्श-7 व 8/पी.डब्लू.11	एक जोड़ी जूते
35–	वस्तु प्रदर्श 9 व 10 पी.डब्लू.11	शराब का खाली पाउच व प्लास्टिक का गिलास
36–	वस्तु प्रदर्श 12 व 13 पी.डब्लू.11	चश्मा व मुठिया
37–	वस्तु प्रदर्श 14,15,16 पी.डब्लू11	तीन नमूना सील मुहर

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण प्रीतम राजपूत व प्रेमचन्द्र राजपूत का विचारण थाना अजनर की पुलिस द्वारा मु0 अ 0 सं0 17/2024, अन्तर्गत धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रेषित आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लेने व धारा 207 दं०प्र०सं के अन्तर्गत प्रदान करने के उपरान्त सत्र सुपुर्द किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा जियालाल राजपूत पुत्र नथुवा ने प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर को इस आशय की तहरीर दी कि वह ग्राम सगुनियॉ माफ थाना अजनर जिला महोबा का मूल निवासी है। उसका पुत्र धरमपाल उम्र करीब 35 वर्ष दिनांक 25.01.2024 को शाम करीब 04 बजे घर से लगभग 02 किलो मूँगफली लेकर चला गया था। उसने व उसके बड़े बेटे ने रामपाल के मोबाइल पर फोन लगाया था जो बन्द जा रहा था, घर वापस नहीं आया। फिर उन लोगों ने कई जगह तलाश किया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। उसको जब चौकीदार ने बताया कि उसका पुत्र धरमपाल गाँव के ही बिहारी के खेत में मृतावस्था में पड़ा मिला जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी धारदार हथियार से मारकर फेंक दिया गया है लाश मौके पर पड़ी हुयी थी। रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना अजनर पर मु०अ०सं० 17/2024 धारा–302 एवं 201 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज की गयी। प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आये। विवेचक ने आवश्यक अभिलेखों का इन्द्राज अपनी केस डायरी में किया तथा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शानजरी तैयार किया। विवेचनाधिकारी ने विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण प्रीतम राजपूत व प्रेमचन्द्र राजपूत के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 302 व 201 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 24.07.2024 को धारा–302/34 व 201 भा० दं०

सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने केस के समर्थन में कुल 12 साक्षियों को परीक्षित किया गया।

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर बयान अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र 0 सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना से इंकार करते हुए तथ्य के साक्षीगण द्वारा पुलिस के दबाव में विरोधियों से मिलकर न्यायालय में गलत व असत्य साक्ष्य देने का कथन किया है तथा औपचारिक साक्षीगण के बारे में यह कथन किया है कि सभी साक्षीगण औपचारिक है और केस की सफलता के लिए गलत बयान दिया है तथा यह भी कथन किया है कि गांव में उसके विरोधियो ने वादी मुकदमा व पुलिस से मिलकर रंजिशन झूठा मुकदमा बनाया है। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है किन्तु उनकी ओर से कोई सफाई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

7. मैंने जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), वादी मुकदमा के व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया।

8. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 1 के रूप में वादी मुकदमा जियालाल राजपूत को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि घटना को बयान की तिथि 26.07.2024 से छः माह के लगभग हो गये है। घटना शाम चार बजे के लगभग की है। उसका लडका धर्मपाल घर से दो किलो मूंगफली लेकर गया था फिर वापस नहीं आया। अंधेरा होने पर उसने अपने लड़के धर्मपाल की खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिला तो उसने अपने लड़के रामपाल को बताया कि धर्मपाल मूंगफली लेकर गया था फिर वापस नहीं आया। इसके बाद वह व उसका लड़का रामपाल धर्मपाल की खोजबीन करते रहे लेकिन नहीं मिला। उसके लड़के रामपाल ने धर्मपाल को फोन किया तो फोन नहीं उठा। अंधेरा होने के कारण वह व उसका लड़का रामपाल घर वापस आ गये। उसने सोचा कि धर्मपाल रात में स्वयं घर आ जायेगा लेकिन वह नहीं आया। इसके बाद वे खोजबीन करते रहे। दो दिन बाद गांव के चौकीदार ने आकर उसे बताया कि उसका लड़का धर्मपाल बिहारी के अरहर के खेत में मरा हुआ पड़ा है तब वह व गांव के कई लोग व उसका बड़ा बेटा रामपाल ने बिहारी के अरहर के खेत में जाकर देखा तो पहले उसके बेटे को अभियुक्तगण द्वारा अरहर पर ही मारा गया था। जहाँ पर काफी खून पड़ा हुआ था तथा उसके लड़के की लाश को खेत के अन्दर में जाकर अरहर की खड़ी फसल के बीच में छिपा दिया था। खेत में उसके मृत बेटे धर्मपाल का शव चित अवस्था में पड़ा हुआ था उसके मुह में सिर एवं माथे में धारदार हथियार से चोट पहुंचायी गयी

थी व उसके बाये तरफ की गर्दन भी धारदार हथियार से कटी हुयी थी। शव को देखकर वह घबड़ा गया था। इसके बाद उसने हिम्मत बांधकर गांव के ही मुन्ना लाल पुत्र गोविन्दी से प्रार्थना पत्र लिखवाकर अपने बड़े बेटे रामपाल व मुन्ना के साथ थाना अजनर जाकर रात्रि में ही प्रार्थना पत्र दिया था। वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह अंगूठा निशानी लगाता है। पंचायतनामा की कार्यवाही उसके सामने हुयी थी। घटना के एक दिन बाद दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। तब तक उसे जानकारी हो गयी थी कि उसके पुत्र धर्मपाल की हत्या उसके गांव के ही प्रीतम व प्रेमचन्द्र राजपूत ने की थी क्योंकि उसे गांव के ही आजाद खान व राजेश ने बताया था कि जिस दिन उसका लड़का मूंगफली लेकर गया था उस दिन शाम को उसने धर्मपाल को प्रेमचन्द्र व प्रीतम के साथ देखा था। मुन्ना लाल पुत्र गोविन्दी से उसने बोल बोलकर प्रार्थना पत्र लिखाया था। लिखने के बाद उसने उसे पढ़कर सुनाया था फिर उसने अंगूठा लगाया था। इसके बाद वह तथा उसका लडका रामपाल व मुन्ना लाल थाना अजनर गये थे। थाना अजनर में उसने प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। गवाह को पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 5 क तहरीर प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि उसनी यही प्रार्थना पत्र थाने में देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी इस पर उसका अंगूठा निशानी लगा हुआ है। वह इस पर लिखे सभी तथ्यों व लगे अपने अंगूठा निशानी की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

9. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 2 के रूप में रामपाल को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह कम पढ़ा लिखा है, केवल अपने हस्ताक्षर बना लेता है। दिनांक 25.01.2024 को घर से करीब दो किलो मूंगफली लेकर उसका छोटा भाई धरमपाल घर से गया था। जब वह घर वापस नहीं आया तब वह व उसके पिता जी धरमपाल को खोजते रहे व फोन भी लगाया लेकिन वह नहीं मिला। रात्रि होने पर वह व उसके पिता जी घर लौट आये थे क्योंकि उसने सोचा था कि वह कभी कभार घर लेट आता था तो वह आ जायेगा लेकिन वह नहीं आया। दिनांक 26.01.2024 को उसने व उसके पिता जी ने धरमपाल को रिश्तेदारियों में व आस –पास खोजा लेकिन वह नहीं मिला। दिनांक 27.01.2024 को शाम को लगभग 04:00 बजे गांव के चौकीदार गुलाब ने उसके घर में आकर बताया कि घरमपाल की लाश बिहारी के खेत में अरहर की फसल के बीच में पड़ी है। सूचना पाकर वह व उसके पिता जी व गांव के लोग बिहारी के खेत पर पहुँचे व अरहर की फसल के बीच में जाकर देखा तो उसका भाई धरमपाल मृत अवस्था में पड़ा था उसका गला धारदार हथियार से कटा था, मुंह पर धारदार हथियार मारने के निशान बने थे एवं सिर में काफी चोटे थी, खून सूखा सा लगा था। उसके पिता जी ने मुन्नालाल से दरखास्त लिखायी थी एवं वह, उसके पिता जी व मुन्नालाल तीनों लोग थाना अजनर गये थे। प्रार्थना पत्र में उसने भी अपने हस्ताक्षर किये थे। थाने में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उन लोगों को दिनाक

28.01.2024 की सुबह जानकारी मिल गयी थी कि उसका भाई धरमपाल व गांव का प्रेमचन्द्र राजपूत दिनाक 25.01.2024 की शाम को गांव के ही आजाद खान की दुकान से मुर्गे का गोस्त खरीदकर ले गये थे। गांव के बिहारी के अरहर के खेत में प्रेमचन्द्र ने अपने छोटे भाई प्रीतम राजपूत के साथ मिलकर धारदार हथियार से रात को ही उसी दिन उसके भाई धरमपाल की गर्दन काटकर काफी चोटे पहुंचाकर हत्या कर दी थी व लाश को खेत में अरहर की फसल के बीच में छिपा दिया था। घटना दिनांक को प्रीतम उसके घर आया था व उसके भाई धरमपाल को उसकी बहन अभिलाशा से पूछ रहा था और धमकी दे रहा था। उसे धमकी वाली बात उसकी बहन ने बतायी थी। पंचायतनामा की कार्यवाही उसके सामने हुयी थी। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 5 क तहरीर प्रार्थना पत्र में बने अपने हस्ताक्षर देखकर व पहचानकर पुष्टि की व इस पर लिखे तथ्य पढ़कर सुनाये गये तो गवाह ने लिखे तथ्यी की पुष्टि की। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–22 क/1 लगायत 22 क/2 पंचायतनामा में बने अपने हस्ताक्षर देखकर व पहचानकर पुष्टि की।

10. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 3 के रूप में आजाद खान को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह अण्डा एवं मुर्गे की दुकान गाय में किये है। दिनांक 25.01.2024 को उसके फोन में धरमपाल ने फोन किया था कि उसे आधा किलो मुर्गे का मांस चाहिये उसने कहा कि आधा घण्टे बाद आना और मांस ले जाना। शाम को लगभग 06.30 बजे धरमपाल ने उसको फोन किया कि उसे आधा किलो मुर्गे का मांस दे दो तो उसने कहा कि आधा घण्टे बाद आना तो धरमपाल शाम को सात बजे के लगभग उसकी दुकान पर आया उसके साथ उसके गांव का प्रेमचन्द्र राजपूत भी था। धरमपाल ने उसकी दुकान से आधा किलो मुर्गा लिया और उसे दो सौ का नोट प्रेमचन्द्र ने दिया और मुर्गा लेकर प्रेमचन्द्र और धरमपाल लेकर चले गये। दिनांक 27.01.2024 को उसे शाम के लगभग सात बजे पता चला कि धरमपाल को किसी ने बिहारी के अरहर के खेत में मारकर फेक दिया है। उसने धरमपाल के पिता जियालाल व भाई रामपाल को यह बात बतायी थी कि दिनांक 25.01.2024 को शाम के सात बजे के लगभग धरमपाल व प्रेमचन्द्र दोनों उसकी दुकान पर साथ आये थे व आधा किलो मुर्गे का मांस लेकर चले गये थे। मुर्गे का मांस प्रेमचन्द्र व धरमपाल ले गये थे जब धरमपाल के शव की पंचायतनामा की कार्यवाही चल रही थी तब वह वहॉ पर गया था तो वहॉ उसे प्रेमचन्द्र दिखायी नहीं दिया था। न्यायालय में प्रेमचन्द्र उपस्थित है। वह घटना के पहले से प्रेमचन्द्र व धरमपाल को अच्छी तरह से जानता–पहचानता है। दरोगा जी ने घटना के विषय में उससे पूछतांछ की थी।

11. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 4 के रूप में कां० रावेश कुमार को परीक्षित कराया

गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 27.01.2024 को थाना अजनार में बतौर कान्सटेबल मुहर्रिर कार्यलेख पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा जियालाल राजपूत पुत्र नथुवा राजपूत निवासी ग्राम सगुनिया माफ मय हमराह अपने बड़े पुत्र रामपाल के साथ थाना आकर एक लिखित तहरीर निशानी अंगूठा खुद के बावत वादी के पुत्र धरमपाल उम्र 35 वर्ष को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से मारकर गांव के बिहारी के अरहर के खेत में मृत अवस्था में फेंक देने के सम्बन्ध में दाखिल किया था। मौखिक आदेश थानाध्यक्ष के उसके द्वारा मु०अ०सं०–17/2024 धारा–302, 201 भा०दं०सं० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। उसने वादी के तहरीर के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोलकर प्रथम सूचना रिपोर्ट कम्प्यूटर पर फीड करायी थी। उसी दिन उसने मुकदमे का खुलासा जी०डी०–43 समय 22:23 बजे दिनांक 27.01.2024 को किया था। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या –4क/1 लगायत 4क/3 चिक एफ०आई०आर० जो उसने कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोलकर कम्प्यूटर पर फीड करायी थी, जिस पर उस समय थाने पर मौजूद थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने अपने हस्ताक्षर किये थे। वह इस पर लिखे तथ्यों एवं थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 7क कायमी जी०डी० को देखकर कहा कि यह उसके द्वारा बोल बोलकर कम्प्यूटर ऑपरेटर से कम्यूटर पर फीड करायी गयी थी जो उसकी कम्प्यूटर आईडी पर अंकित है। इस पर लिखे तथ्यों की वह पुष्टि करता है तथा कायमी जीडी की कम्प्यूटर कॉपी उसके सामने है जिसे वह प्रमाणित करता है एवं उस पर बने स्वयं के हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। चिक एफ०आई०आर० व नकल रपट कायमी के सम्बन्ध में विवेचक ने उसका बयान लिया था।

12. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 5 के रूप में भोजराज उर्फ भोजा को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। वह अपने गांव के प्रेमचन्द्र राजपूत व धरमपाल को अच्छी तरीके से जानता–पहचानता है। बयान की तिथि 29.08.2024 से लगभग सात महीने पहले शाम को लगभग सात बजे उसे जानकारी मिली थी कि धरमपाल को किसी ने धारदार हथियार से मारकर बिहारी के अरहर के खेत में फेंक दिया है। यह सूचना मिलने के दो दिन पहले शाम को छः बजे के लगभग वह अपने गांव की अथाई में बैठा था उसी समय उसने प्रेमचन्द्र और धरमपाल को देखा था। दोनो साथ में प्रेमचन्द्र के घर की तरफ जा रहे थे। प्रेमचन्द्र हाफ टी–शर्ट रंगबिरंगी पहने था। धरमपाल की हत्या की सूचना मिलने के अगले दिन उसने धरमपाल के माई रामपाल को यह बात बता दी थी कि जब वह अथाई में था तो उसने प्रेमचन्द्र पाल व धरमपाल को साथ में जाते हुये देखा था। दरोगा जी ने उससे पूछताछ की थी एवं उसका बयान लिया था। यही बात उसने दरोगा जी को

बता दी थी।

13. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 6 के रूप में श्रीमती अभिलाषा को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 25.01.2024 को उसका भाई धरमपाल घर से दो किलो मूंगफली लेकर शाम को लगभग चार बजे घर से चला गया था। उस समय वह घर पर थी फिर वह वापस नहीं आया था। शाम को उसके पिता जी जियालाल व उसका भाई रामपाल दोनो लोग उसके भाई धरमपाल को खोजते रहे व उसके मोबाइल पर फोन लगाया तो फोन पर भी बात नहीं हुयी और न ही धरमपाल कहीं मिला। रात्रि होने पर उसके पिता जी व उसका भाई रामपाल वापस घर आ गये। अगले दिन दिनांक 26.01.2024 की सुबह से फिर धरमपाल की खोजबीन की गयी लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। दिनाक 26.01.2024 को रात में उसके पिता जी ने बताया था कि उन्हे एक मुसलमान ने जो मुर्गा बेचता है उसने बताया था कि दिनांक 25.01.2024 को शाम को प्रेमचन्द्र व धरमपाल मुर्गा लेकर उसकी दुकान से दोनो साथ चले गये थे। दिनांक 27.01.2024 को शाम को लगभग 06:00–06:30 बजे गुलाब चौकीदार ने घर पर आाकर बताया था कि घरमपाल को किसी ने मारकर बिहारी के अरहर के खेत में फेंक दिया है। वहीं उसकी लाश पड़ी है। सूचना मिलने पर वे सब लोग मौके पर गये थे। दिनांक 25.01.2024 को उसके ससुर जगत सिंह उसे लिवाने के लिये समय लगभग 12:00 बजे दिन उसके मायके आये थे। दिनांक 25.01.2024 को ही रात में उसके ससुर जगत सिंह ने उन लोगो को बताया था कि शाम को उसने प्रेमचन्द्र के साथ धरमपाल को हार की तरफ जाते हुये देखा था। घटना के पाँच–छः दिन पहले धरमपाल ने उससे बताया था कि प्रेमचन्द्र और प्रीतम ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। उसके भाई धरमपाल को प्रेमचन्द्र ने मुर्गा खिलाने के बहाने लिवा ले जाकर अपने भाई प्रीतम के साथ मिलकर मार डाला है व बिहारी के अरहर के खेत में घसीटकर फेंक दिया है। दरोगा जी ने घटना के विषय में उससे पूछताछ की थी और उसका बयान भी लिया था। वह पढ़ी लिखी नहीं है, केवल अपने हस्ताक्षर बना लेती है।

14. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 7 के रूप में जगत सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 25.01.2024 को अपनी बहू अभिलाषा को लिवाने के लिये सगुनिया माफ गया था व अभिलाषा के घर 12:00 बजे दोपहर में पहुँच गया था। उसने अभिलाषा के मायके पहुँचकर वहाँ पर चाय नाश्ता किया व शाम को गांव घूमने के लिये लैटरीन वगैरा करने के लिये घर से निकल गया था। शाम को लगभग 06:00 बजे उसने धरमपाल को प्रेमचन्द्र राजपूत के साथ हार (खेत) की तरफ जाते हुये देखा था। वह प्रेमचन्द्र राजपूत को घटना के पहले से जानता–पहचानता था क्योंकि यह हलवाई का काम करता था। सात बजे शाम के लगभग वह गांव घूमकर वापस अपने समधी

जियालाल के घर पहुँचा तो उन लोगों ने बताया कि धरमपाल घर नहीं आया है, तो उसने घर के सब लोगो के सामने बताया कि शाम को उसने धरमपाल को प्रेमचन्द्र राजपूत के साथ हार (खेत) की तरफ जाते हुये देखा था। इसके बाद रामपाल व जियालाल, धरमपाल को खोजते रहे। रात होने पर रामपाल व जियालाल घर आ गये लेकिन धरमपाल नहीं मिला। दिनांक 26.01.2024 को धरमपाल की खोजबीन की गयी व रिश्तेदारियों में जानकारी की गयी लेकिन धरमपाल के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली। दिनांक 27.01.2024 को शाम 06:00–06:30 बजे गांव के चौकीदार ने घर आकर बताया था कि धरमपाल की लाश अरहर के खेत के बीच में पड़ी है तो वे लोग गौके पर गये थे। पुलिस को सूचना रामपाल व जियालाल ने दी थी। घरमपाल दिनाक 25.01.2024 को शाम को लगभग चार बजे दो किलो मूंगफली लेकर घर से उसके सामने निकल गया था। घटना के बाद उसकी बहू अभिलाषा ने सभी लोगों को बताया था कि धरमपाल ने अभिलाषा को बताया था कि पाँच –छः दिन पहले प्रेमचन्द्र और प्रीतम ने धरमपाल को जान से मारने की धमकी दी थी। दरोगा जी ने घटना के दस बारह दिन बाद उसके घर आकर उसका बयान लिया था। गवाह ने हाजिर अदालत प्रेमचन्द्र राजपूत को देखकर कहा कि उसने इसी को घरमपाल के साथ हार की तरफ जाते हुये दिनांक 25.01.2024 को शाम को देखा था। दिनांक 27.01.2024 को दिन में वे लोग प्रेमचन्द्र के घर गये थे लेकिन प्रेमचन्द्र मिला नहीं था और जानकारी मिली थी कि प्रेमचन्द्र उसी दिन से घर से भागा हुआ है।

15. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 8 के रूप में डाक्टर साजी राहील को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनाक 28.01.2024 को वह जिला चिकित्सालय महोबा में तैनात था। उस दिन उसकी डयूटी पीएम हाउस महोबा में लगायी गयी थी। उस दिनांक को पीएम सख्या 31/2024 मृतक धरमपाल राजपूत उम्र 35 वर्ष पुत्र हीरालाल पता सगुनिया थाना अजगर जिला महोबा का शव विच्छेदन उसके द्वारा किया गया। शव को एस०ओ० अजनर द्वारा शीलबंद कपडे में भेजा गया था शव को कान्सटेबल रोहित लोधी तथा होमगार्ड शिवचरन द्वारा लाया गया था। शव विच्छेदन 28.01.2024 को 02:45 पीएम पर प्रारम्भ किया गया तथा 03:40 पीएम पर समाप्त किया गया। मृतक का वाहय परिक्षण में मृतक की लम्बाई लगभग 156 सेमी० थी। मृतक छेरेरा बदन तथा दुर्बल काठी का था। शरीर की अकड़न दोनों पैरों में मौजूद थी तथा दोनों हाथों से जा चुकी थी।

<u>मृत्यु पूर्व चोटें–</u>

01. चोट खूना लूद 14 सेमी. गुणा 3 सेमी. गुणा बोन डीप दाहिने तरफ चेहरे पर मौजूद था चोट नाक के बीचोबीच से कान के नीचे की तरफ थी। चोट के नीचे चेहरे की हड्डी टूटी हुयी

थी।

02. चोट खूना लूद 9 सेमी. गुणा 2 सेमी. गुणा बोन डीप दाहिने तरफ ऊपर के जबड़े में मौजूद था। तथा ऊपर के होंटों में भी मौजूद था। ऊपर के जबड़े की हड्डी टूटी हुयी थी तथा दाहिना कैनाईन और दो इनसाइजर दांत भी टूटे हुये थे।

03. चोट खूना लूद 7 सेमी. गुणे 15 सेमी. गुणे बोन डीप सिर के पीछे की तरफ मौजूद तथा सिर की पीछे की हड्डी टूटी हुयी थी।

04. चोट खूना लूद 4 सेमी. गुणे 15 सेमी. गुणे मशल डीप दाहिने माथे की तरह मौजूद थी।

05. चोट खूना लूद 10 सेमी. गुणे 3 सेमी गुणे कैबिटी डीप सामने की तरफ गर्दन पर मौजूद थी। चोट करीब 4 सेमी. डीप थी। चोट के नीचे स्वास नली तथा रक्त धमनियां कटी हुयी थी।

06. चोट खूना लूद 4 सेमी. गुणे 1 सेमी गुणे मशल डीप गर्दन के पीछे दाहिने तरफ मौजूद थी। ये चोट दाहिने कान से 6 सेमी. नीचे मौजूद थी।

07. ढेर सारी खरोच चोट पीठ के बीच में तथा पीठ के नीचे की तरफ मौजूद थी।

<u>आंतरिक परीक्षण</u>

स्कैल्प– जैसा की मृत्यु पूर्व बोटों में दर्शाया गया है।

स्कल– जैसा की मृत्यु पूर्व चोटों में दर्शाया गया है, स्कल के पीछे की आक्सीपीटल बोन टूटी हुयी थी।

मस्तिष्क– फटा हुआ था तथा मस्तिष्क के अंदर खून के थक्के जमे हुये थे।

आरबिटल नेजल और ओरल कैविटी– जैसा की मृत्यु पूर्व चोटों में दर्शाया गया है।

फैक्चर राइट मैग्जिला तथा फ्रैक्चर राइटर अपर मैन्डिबूलर बोन मौजूद था।

माउथ टंग और फेरिस– जैसा कि मृत्यु पूर्व चोटों में दर्शाया गया है।

लैरिग्स और वोकल कार्ड–जैसा कि मृत्यु पूर्व चोटों में दर्शाया गया है।

ट्रैक्या– कटी हुयी थी।

खाने की नली–कटी हुयी थी।

ब्रोनक्यिल ट्री–कटी हुयी थी।

दाहिया और बायां फैफडा–एनएडी (पेल)

प्लूरा– एनएडी

हृदय–खाली

बड़ी रक्त वाहिनियां–कटी हुयी

इस्टमक– करीब 300 ग्राम अधपचा खाना मौजूद

छोटी आंत–लिक्विड और गैस मौजूद

बड़ी आंत–फीकल मैटर और गैस मौजूद

लीवर–एनएडी (पेल)

स्पलिन– एनएडी (पेल)

दाहिना व बाया गुर्दा–एनएडी (पेल)

मुत्राशय की थैली–खाली

जनन के अंग–नान सरकम साइज

मृत्यु का संभावित समय– करीब पौने दो दिन पूर्व

मृत्यु का कारण– मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण शोक और हेमरेज में आ जाना। शवविच्देन के कारण शव को सम्बधित सिपाही के सुपुर्द कर दिया गया। मय कपड़ों के बंडल के साथ।

<u>कपड़े</u> 01. एक सेन्डो बनियान खूना लूद

02. एक शर्ट खूना लूद

03. एक चड्डी खूना लूद

04. एक लोवर खूना लूद

05. एक साफी खूना लूद

06. एक जैकिट खूना लूद

07. एक जोड़ी मोजा खूना लूद

08. एक टी शर्ट खूना लूद

09. एक ईयर फोन लीड

10. एक आई ड्राप

11 एक पैकिट निरोध (कंडोम)

12. एक रियलमी फोन मोडल नः आरएमएक्स 3710

शव विच्छेदन रिपोर्ट तीन प्रतियों में बनाई गयी। पहली प्रति एस.पी. महोबा, दूसरी प्रति एस.ओ अजनर तथा तीसरी प्रति सी.एम.ओ. महोबा को सम्बन्धित सिपाही द्वारा भेजी गयी। शव विच्छेन रिपोर्ट उसके हस्ताक्षर में है। गवाह को पत्रावली में संलग्न कागज सं 0–23 क/1 लगायत 23 क/4 शव विच्छेदन को देखकर कहा ये उसके द्वारा बोल बोलकर तैयार करायी गयी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर बने हुये है। वह इस पर लिखित सभी तथ्यों को बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला।

16. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 9 के रूप में राजेश रैकवार को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि बिहारी के खेत से करीब तीन–चार सौ फुट की दूरी पर मेरा कच्चा मकान बना हुआ है। दिनांक 25.01.2024 को वह अपने घर पर मौजूद था व इसी दिन घर के बाहर पड़ी ग्राम समाज की जमीन में शाम को थोडा थोडा

अंधेरा हो गया था उसी समय वह आग ताप रहा था तब उसके गांव के प्रेमचन्द्र व धरमपाल दोनों लोग साथ में आये। प्रेमचन्द्र अपने हाथ में लिये काली पन्नी में तला हुआ मुर्गा लिये था। प्रेमचन्द्र ने उसे दो सौ रूपये दिये और उससे कहा कि शराब के क्वाटर लेकर जल्दी आओ। वह रूपया लेकर शराब के ठेका गया तो उसने शराब के ठेका में देखा कि प्रीतम राजपूत शराब पी रहा था। उसने ठेका से दो क्वाटर लिये और अपने घर आया तो उसे प्रेमचन्द्र व धरमपाल वहॉ पर नहीं मिले थे। दिनांक 27.01.2024 को उसे जानकारी हुयी थी कि उसके मकान से लगभग चार–पाँच सौ फुट दूर बिहारी के अरहर के खेत में धरमपाल की गर्दन काटकर मार डाला है व उसकी लाश बिहारी के अरहर के खेत के बीच में पड़ी है। दरोगा जी ने उससे पूछताछ की थी एवं उसका बयान लिया था।

17. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 10 के रूप में गुलाब बसोर को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। वह ग्राम सगुनियामाफ का रहने वाला है व चौकीदार है। इसी साल 25 जनवरी को उसकी थाना अजनर में डयूटी लगी थी। दिनांक 26.01.2024 को थाने में ध्वजारोहण होने के बाद उसकी थाने से छुट्टी हो गयी थी। दिनांक 27.01.2024 को उसके लडके अनिल ने उसे बताया था कि बिहारी के अरहर के खेत में लाश पड़ी है। इसके बाद वह बिहारी के अरहर के खेत में गया और लाश देखी और लाश देखने के बाद उसने थाना अजनर में सूचना दी और धरमपाल के घर जाकर उसके पिता जियालाल को सूचना दी। उस समय प्रीतम व प्रेमचन्द्र अपने घर पर मौजूद नहीं थे। घटना के विषय में दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

18. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 11 के रूप में उप निरीक्षक अनुरूद्ध प्रताप सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 27.01.2024 को थाना अजनर में एस०एस०आई० के पद पर तैनात था। दिनांक 27.01.2024 को वादी मुकदमा द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। एफ०आई०आर० व नकल स्पट, जिल्द पंचायतनामा वास्ते पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु मय हमराह आरक्षीगण के साथ घटनास्थल ग्राम सगुनिया माफ गया था। जहाँ पूर्व से ही घटनास्थल पर फील्ड यूनिट टीम व थाना प्रभारी प्रवीण कुमार मौजूद मिले थे। मौके पर मृतक के परिजन व गांव के काफी लोग मौजूद थे। घटनास्थल से फील्ड यूनिट टीम द्वारा भौतिक साक्ष्य संकलित की गयी थी व संरक्षित की गयी थी। रात्रि होने के कारण उसके द्वारा सुबह दिनांक 28.01.2024 को मृतक धरमपाल के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी थी। पंचायतनामा भरते समय पंचान मान सिंह, रामपाल, जयहिन्द, हरिश्चन्द्र, रघुवीर को नियुक्त किया गया था व उनकी राय भी ली गयी थी। मृतक के चोटों का निरीक्षण शरीर को उलट–पलट कर किया था। मृतक के शरीर के निरीक्षण के दौरान उसके शरीर में छः चोटें पायी गयी थी। उसके बायी तरफ की गर्दन

धारदार हथियार से कटी हुयी थी, सिर के पीछे व गर्दन के पीछे चोट खूनालूद एवं मुह, गाल व माथे पर चोट धारदार खूनालूद थी व मृतक की पीठ में घसीटने के निशान बने हुये थे। पंचानों की राय अंकित करने के बाद उसने अपनी राय पंचायतनामा में अंकित की थी। पंचायतनामा में पंचानो के हस्ताक्षर करवाये थे। शव को सील मुहर कर वास्ते पी०एम० हेतु जिला पोस्टमार्टम हाउस कान्सटेबल रोहित लोधी को सुपुर्द कर भेजा था। दिनांक 27.01.2024 को घटनास्थल बिहारी के अरहर के खेत से जनपदीय फील्ड यूनिट द्वारा लिये गये भौतिक साक्ष्य चार पालीथीन नमूने, प्लास्टिक के दो अलग–अलग डिब्बो में खूनालूदा मिट्टी घास, सादा मिट्टी घास, मृतक के जोडी जूते, एक चश्मा जिसमें रक्त के धब्बे व लकड़ी की बैटी फटी हुयी, रैपर ब्लू फलैग देशी शराब सादा 200 एम०एल० का कागज का पाउच व एक अदद प्लास्टिक का खाली गिलास को उसके द्वारा अलग–अलग सफेद कपडो में पालीथीन नमूना रखकर सिलकर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया था व मौके पर ही बरामद माल की फर्द उसके द्वारा तैयार की गयी थी। फर्द लिखने के बाद पढ़कर सुनाकर सभी के हस्ताक्षर बनवाये थे तथा उसने भी अपने हस्ताक्षर बनाये थे। उक्त कार्यवाही टॉर्च की रोशनी में की गयी थी। उपरोक्त समस्त माल व कब्जा लेने सम्बन्धित फर्द दिनांक 28 01.2024 को रोजनामचाआम रपट नं0–42 समय 22:38 पर थाने पर दाखिल किया था। समस्त माल को सुरक्षित मालखाना मुहर्रिर को देकर अन्दर रखवाया था। दिनांक 30.01.2024 को थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह के साथ वह तथा उपनिरीक्षक नरेशचन्द्र निगम व हमराही कर्मचारीगण के साथ थाने से रपट नं0–10 समय 07:03 बजे वांछित अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी में मामूर होकर बिजौली बार्डर पर चेकिंग हेतु पहुँचे थे तभी थाना प्रभारी महोदय को मुखविर खास द्वारा आकर अलग बुलाकर बताया था, मुखविर की बात को थानाध्यक्ष द्वारा उन सभी कर्मचारीगण को बतायी कि दिनांक 25.01.2024 की रात्रि में सगुनियामाफ के रहने वाले प्रेमचन्द्र राजपूत व उसका भाई प्रीतम राजपूत ने मिलकर अपने ही गांव के धरमपाल की अरहर के खेत में हत्या कर शव को फेक दिया है। इन्ही में से एक अभियुक्त प्रीतम राजपूत जो कही भागने की फिराक में सगुनिया मोड़ पर किसी वाहन के आने का इंतजार कर रहा है। तब वे सभी लोग मौके से कुछ निकल रहे राहगीरों से साथ चलने को थानाध्यक्ष द्वारा कहा गया था लेकिन बुराई भलाई के कारण कोई व्यक्ति नहीं गया। फिर वे सभी लोग मय सरकारी वाहन के चलकर मुखविर द्वारा बताये गये स्थान की ओर चले। सगुनिया मोड से पहले बने यात्री प्रतीक्षालय के पास वाहन खड़ा किया और मुखविर ने वहीं से इशारा कर बताकर चला गया था। फिर वे सभी पुलिस वाले वाहन से उतर कर यात्री प्रतीक्षालय के पास आये कि वहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति उन लोगों को देखकर जाने लगा। आवाज देकर रोका नहीं रूका तब घेर–धार कर सगुनिया मोड पर ही पकड़ लिया। थानाध्यक्ष द्वारा पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा था तो उसने अपना नाम प्रीतम

राजपूत पुत्र स्व० जानकी राजपूत निवासी ग्राम समुनिया माफ बताया था। अभियुक्त से उन्होने पूछताछ की थी तब उसने घटना के बारे में अपनी बात बतायी थी कि बिहारी के अरहर के खेत में दिनांक 25.01.2024 की रात करीब 09:00 बजे कुल्हाड़ी व बाका से अपने बड़े भाई प्रेमचन्द्र के साथ मिलकर अपने ही गांव के धरमपाल की हत्या कर दी थी तथा शव को अरहर के खेत में ही खड़ी हुयी घनी अरहरी के बीच में फेंक दिया था। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व बाका के बारे में पूछने पर उसने बताया था कि साहब उसने कुल्हाड़ी घरमपाल के मारी थी व बाका से प्रेमचन्द्र ने गर्दन व मुह में कई जगह मारा था। पुलिस के पकड़े जाने के डर के कारण घटना में आलाकत्ल व घटना के समय पहने हुये वस्त्र अभियुक्त द्वारा अपने बने कुआ से कुछ दूरी पर पड़े पत्थर के नीचे छिपा दिये थे तथा बाका को प्रेमचन्द्र द्वारा कही अलग छिपाकर रख दिया है। अभियुक्त प्रीतम राजपूत की निशांदेही पर अभियुक्त द्वारा स्वयं अपने खेत पर चलकर बने कुआ व ठाकुरबाबा चबूतरा के पास से करीब पच्चीस कदम की दूरी पर प्रेममन्द्र का बना टूटा पुराना पत्थर युक्त मकान बना हुआ है। पड़े हुये पत्थर को प्रीतम राजपूत द्वारा स्वयं हटाकर अपने हाथ से एक अदद लोहे की कुल्हाडी जिसमें लकड़ी की बेत लगा हुआ था एवं एक फुल आस्तीनदार काही रंग की चेकदार शर्ट व एक हाफ टी–शर्ट रंगबिरंगी स्वयं हाथों से निकालकर एस०ओ० साहब को दिया था। शर्टो के बारे में पूछा था तो उसने बताया था कि फुल कमीज उसकी है एवं हाफ टी–शर्ट उसके बड़े भाई प्रेमचन्द्र की है। कुल्हाड़ी के लोहे के फल में खून लगा था। लकड़ी के मूंद पर बेत पर जगह–जगह खून लगा हुआ था एवं बरामद दोनों कपड़ों में खून के धब्बे लगे हुये थे। बरामद कुल्हाड़ी को मौके पर ही सील सर्वमुहर किया गया था एवं बरामद दोनो कपडे शर्ट/ टी–शर्ट को एक सफेद पालीथीन में रखकर मय पालीथीन के कपड़े में रखकर सील सर्वमुहर किया गया था। नमूना मुहर तैयार किया गया था एवं अभियुक्त प्रीतम राजपूत को कारण गिरफतारी बताकर समय 11:20 ए०एम० पर हिरासत पुलिस लिया गया था। अभियुक्त की गिरफतारी की सूचना अभियुक्त की मॉ श्रीमती हरकुंवर को दी गयी थी। फर्द एस०ओ० साहब द्वारा बोल बोलकर उससे मौके पर ही लिखवायी गयी थी, जिस पर उसने तथा समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण द्वारा व अभियुक्त द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर बनाये थे। दिनांक 02.02.2024 को उसकी डयूटी एस०ओ० साहब के साथ थी। थाना से रपट नं0 7 समय 07:01 बजे रवाना हुये थे। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रेमचन्द्र राजपूत की गिरफ्तारी यात्री प्रतीक्षालय के पास ही की गयी थी तथा अभियुक्त ने दिनांक 25.01.2024 की रात 09:00 बजे के करीब बिहारी के अरहर के खेत में अपने छोटे भाई प्रीतम राजपूत के साथ मिलकर गांव के ही धरमपाल की हत्या कर शव को अरहर के खेत में ही फेंकने की बात बतायी थी। हत्या में प्रयुक्त बाक के बारे में एस०ओ० साहब द्वारा पूंछा गया था तब उसने बताया था कि दिनांक 25.01.2024 की रात में घटना

करने के बाद वह तथा उसका भाई प्रीतम दोनों लोग खेत पर बने कुआ पर जाकर प्रीतम ने उसकी टी–शर्ट व अपनी टी शर्ट व कुल्हाड़ी वही पुराने घर के पास पत्थर के नीचे छिपा दिया था। उसने बांक लोहे का वहीं पास में झाड़ी के पास नीचे छिपा दिया है। गिरफतारशुदा अभियुक्त द्वारा स्वयं आलाकत्ल बरामद करने की बात पर सरकारी वाहन से ही समस्त पुलिस बल के साथ मय अभियुक्त के मौके पर गये, वाहन को खड़ाकर उतर कर बताये गये हुये स्थान पर चले। अभियुक्त प्रेमचन्द्र स्वयं आगे–आगे चलकर बने कुआ के पास ठाकुर बब्बा जू से बीस कदम की दूरी पर पुरानी टूटी दीवार के पास सूखी खरपतवार की झाड़ियों को हटाकर एक अदद लोहे का बाक फसल काटने वाला निकालकर एस०ओ० श्री प्रवीण सिंह को दिया था। बरामद बांक के फल पर खून के निशान मौजूद थे। बरामद माल को सफेद काटन से लपेट कर प्लास्टिक का टेप लगाकर सफेद कपड़े में रखकर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया था एवं बरामदगी नक्शा तैयार किया गया था एवं अभियुक्त को समय 12:05 पी०एम० पर हिरासत पुलिस लिया गया था। फर्द मौके पर एस०ओ० प्रवीण सिंह द्वारा बोल बोलकर उससे लिखवायी गयी थी, जिस पर उसने व समस्त गवाहों ने अपने–अपने हस्ताक्षर बनाये थे तथा अभियुक्त ने अपना निशानी अंगूठा बनाया था। विवेचक ने उसका बयान लिया था। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 9 क फर्द को देखकर कहा कि यह उसके लेख व हस्ताक्षर में है, वह इस पर लिखे सभी तथ्यों एवं अपने लेख व बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या –15 क/1 लगायत 15 क/2 फर्द बरामदगी को देखकर कहा कि यह उसके लेख व हस्ताक्षर में है, वह इस पर लिखे सभी तथ्यों एवं अपने लेख व बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–19 क फर्द बरामदगी को देखकर कहा कि यह उसके लेख व हस्ताक्षर में है,वह इस पर लिखे सभी तथ्यो एवं अपने लेख व बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 22 क/1 लगायत 22 क/2 पंचायतनामा, कागज संख्या–22 क/7 सी०एम०ओ० चिटठी, कागज संख्या 22 क/8 आर०आई० चिट्ठी, कागज संख्या–22 क/9 चालान शव, कागज संख्या 22 क/10 फोटोनाश, कागज संख्या–22 क/11 नमूना सील को देखकर कहा कि यह उसके लेख व हस्ताक्षर में है। वह इस पर लिखे सभी तथ्यों एवं अपने लेख व बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 प्रदर्श क– 10, प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12 व प्रदर्श क–13 डाला गया। न्यायालय के समक्ष सील मुहर प्लास्टिक की बोरी पेश की गयी जिसे न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष खोला गया तो उसके अन्दर से सील मुहर दो आलाकत्ल हथियार, खूनालूदा मिट्टी, सादा मिट्टी,दो कपड़ों की पोटली निकली। एक सील मुहर आलाकत्ल के ऊपर बरामद आलाकत्ल

एक अदद लोहे की कुल्हाड़ी लकड़ी का बैट लगा, जिस पर जगह–जगह खून लगा हुआ है, बरामद आलाकत्ल पर कॉटन सफेद लपेट कर कॉटन के ऊपर सफेद टेप लपेटकर कुल्हाड़ी को सफेद कपड़े में रखकर लिखकर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर सम्बन्धित मु०अ०स० –17/2024 धारा–302, 201 भा०दं०सं० बनाम प्रीतम राजपूत पुत्र स्व० जानकी राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी सगुनिया माफ थाना अजनर महोबा अंकित है व थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के हस्ताक्षर बने हुये हैं। अभियुक्त प्रीतम के हस्ताक्षर बने हुये हैं, जिसे न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष खोला गया तो कॉटन व टेप से लपटी हुयी एक अदद लोहे की कुल्हाड़ी लकड़ी का बेट लगी हुयी निकली जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह कुल्हाडी उसके सामने अभियुक्त प्रीतम की निशांदेही पर बरामद कर सील मुहर की गयी थी, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। दूसरे सील मुहर आलाकत्ल हथियार के ऊपर अपठनीय अंकित है एवं एस०ओ० प्रवीण कुमार सिंह के हस्ताक्षर बने हुये है व अभियुक्त प्रेमचन्द्र का निशानी अंगूठा लगा हुआ है जिसे खोला गया तो उसके अन्दर से एक लोहे का फसल काटने वाली धारदार बॉक निकली, जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह बॉक अभियुक्त प्रेमचन्द्र की निशांदेही पर उसके सामने बरामद की गयी थी व सील मुहर की गयी थी। जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बों के अन्दर डली मिट्टी को देखकर कहा कि एक में सादा मिट्टी है दूसरे में खुनालूदा मिद्दी है जिनकी वह पुष्टि करता है, जिस पर वस्तु प्रदर्श–3 व वस्तु प्रदर्श–4 डाला गाया। कपडे के सील मुहर बण्डल के ऊपर बरामद घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा पहने हुये शर्ट, टी–शर्ट में जगह–जगह खून के निशान लगे हुये है जिसे सफेद पालीथीन के अन्दर रखकर पालीथीन को सफेद कपड़े में रखकर सिल कर सील सर्वमुहर कर सम्बन्धित मु०अ०सं० –17/2024 धारा–302, 201 भा०दं०सं० बनाम प्रेमचन्द्र प्रीतम पुत्र जानकी निवासीगण सगुनियामाफ थाना अजनर अंकित है व थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के हस्ताक्षर बने हुये है एवं प्रीतम के हस्ताक्षर बने हुये है। सील मुहर बण्डल को न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष खोला गया तो उसके अन्दर से एक खून लगी शर्ट निकली, खून के निशानों पर पेन से गोला बना हुआ है व एक खून के धब्बे लगी टी–शर्ट निकली जिसके खून के धब्बों में पेन से गोला बना हुआ है। गवाह ने खून लगी शर्ट को देखकर कहा कि यह शर्ट व टी –शर्ट उसके सामने बरामद हुयी थी व दोनों में लगे खून के धब्बों पर उसके द्वारा पेन से गोला बनाया गया था जिसकी वह पुष्टि करता है। शर्ट व टी –शर्ट पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–5 व 6 डाला गया। न्यायालय के समक्ष तीन सील मुहर बण्डल व तीन प्रति नमूना सील मुहर पेश किये गये। पहले बण्डल के ऊपर मृतक धरमपाल राजपूत पुत्र जियालाल निवास सगुनियामाफ थाना अजनर की फील्ड यूनिट द्वारा लिया गया एक जोडी जूते पॉलीथीन के अन्दर जिसे सफेद कपड़े में रखकर

सील सर्वमुहर नमूना मुहर सम्बन्धिनत मु०अ०सं०–17/2024 धारा 302, 201 भा०दं०सं० थाना अजनर अंकित है, इस पर हस्ताक्षर बन हुये है। गवाह ने लिखे हुये लेख व बने हुये हस्ताक्षर को देखकर कहा कि इस पर लिखा हुआ लेख उसका है व बने हुये हस्ताक्षर उसके है। सील मुहर बण्डल को न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष खोला गया तो फील्ड यूनिट की सफेद पॉलीथीन के अन्दर एक जोड़ काले रंग के फीतेदार जूता निकले जिन्हे देखकर गवाह ने कहा कि यह दोनो जूते फील्ड यूनिट के द्वारा उसके समक्ष कब्जे में लिया गया था जिनकी वह पुष्टि करता है, दोनो जूतो क्रमशः वस्तु प्रदर्श–7 व 8 डाला गया। दूसरे सील मुहर बण्डल के ऊपर फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से लिया गया रैपर ब्लू फलैग देशी शराब सादा (200 एम०एल०) का कागज का पाउच व एक प्लास्टिक का खाली गिलास को सफेद कपड़े के अन्दर रखकर सिल कर सील सर्वमुहर सम्बन्धित मु०अ०सं०–17/2024 धारा 302, 201 भा०दं०सं० थाना अजनर अंकित है, इस पर हस्ताक्षर बने हुये हैं। गवाह ने लिखे हुये लेख व बने हुये हस्ताक्षर को देखकर कहा कि इस पर लिखा हुआ लेख उसका है व बने हुये हस्ताक्षर उसके है। सील मुहर बण्डल की न्यायालय की अनुमति न्यायालय के समक्ष खोला गया तो उसके अन्दर से फील्ड यूनिट की सफेद पॉलीथीन के अन्दर से एक ब्लू फलैग लिखा देशी शराब का नीले रंग का खाली पाउच निकला व एक प्लास्टिक का गिलास निकला जिन्हे देखकर गवाह ने कहा कि यह दोनों फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल से प्राप्त किये गये थे और उसके द्वारा सील मुहर किये गये थे, जिनकी वह पुष्टि करता है दोनों पर कमशः वस्तु प्रदर्श–9 व 10 डाला गया। तीसरे सील मुहर बण्डल के ऊपर फील्ड यूनिट द्वारा लिया गया घटनास्थल से मृतक की घटना के स्थान से चश्मा जिसमें रक्त लगा है एवं लकड़ी की मुठिया बैट फटी हुयी पालीथीन के अन्दर मय पालीथीन को सफेद कपडे में रखकर सिल कर सर्वमुहर कर सम्बन्धित मु०अ०सं०–17/2024 धारा 302, 201 भा०दं०सं० थाना अजनर अंकित है, इस पर हस्ताक्षर बने हुये है। गवाह ने लिखे हुये लेख व बने हुये हस्ताक्षर को देखकर कहा कि इस पर लिखा हुआ लेख उसका है व बने हुये हस्ताक्षर उसके है। सील मुहर बण्डल को न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष खोला गया तो उसके अन्दर से फील्ड यूनिट की पालीथीन में एक चश्मा जिसके गिलास पर रक्त के छीटे लगे हुये है एवं लकड़ी की मुठिया बैट फटी हुयी निकली जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह दोनो फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से लिये गये थे एवं उसके द्वारा सील मुहर किये गये थे, जिनकी वह पुष्टि करता हूँ। चश्मा व फटी हुयी मुठिया पर कमश वस्तु प्रदर्श–11 व 12 डाला गया। तीन प्रति नमूना सील मुहरों को गवाह ने देखकर व अपने साथ में लायी हुयी अपनी सील मुहर से मिलान करके कहा कि इन पर लिखा हुआ लेख व बने हुये हस्ताक्षरों व लगी हुयी सीले उसकी है जिनकी वह पुष्टि करता है, जिन पर कमशः प्रदर्श क 14, 15 व 16 डाला गया पत्रावली में दाखिल किया गया।

19. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 12 के रूप में उप निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 28.01.2024 को थाना अजनर में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। इसी दिन उसने मु0 अ 0 सं0–17/2024 धारा–302, 201 भा०दं०सं० थाना अजनर की विवेचना ग्रहण की थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त इसी दिन उसके द्वारा पर्चा नं0–1 किता किया गया जिसमें नकल तहरीर, नकल रपट का अवलोकन कर अंकित किया एवं घटनास्थल पर पहुँचा। बयान वादी जियालाल राजपूत अंकित किये व वादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार कर अंकित किया। इसके उपरान्त बयान साक्षी आजाद खान, राजेश पुत्र रामरतन अंकित किये एवं घटना के विषय में गांव में घूम फिर कर जानकारी की। पुनः घटनास्थल पर पहुँचा तो वहाँ पर जनपदीय फील्ड यूनिट द्वारा लिया गया भौतिक साक्ष्य संकलन के सम्बन्ध में फील्ड यूनिट टीम का फर्द चालान व एक किता फर्द व नकल रपट प्राप्त किया जिनका अवलोकन कर अंकित किया एवं बयान कायमी लेखक कॉ० रावेश कुमार अंकित किये। मृतक धरमपाल राजपूत की पी०एम० रिपोर्ट थाना कार्यालय से प्राप्त कर अवलोकन कर अंकित किया। दिनांक 29.01.2024 को पर्चा नं0–2 किता किया जिसमें बयान साक्षी रामसेवक, भोजराज, गुलाब बसोर अंकित किये। इसके उपरान्त वादी मुकदमा के घर गया व वादी के बड़े पुत्र रामपाल के विषय में पूछा तो जानकारी मिली की रामपाल महोबा गया हुआ है एवं मुखबिर से जानकारी ग्रहण की। दिनांक 30.01.2024 को पर्चा नं०–३ किता किया था। थाने से वह तथा उपनिरीक्षक नरेश चन्द्र निगम, एस०एस०आई० अनुरूद्ध प्रताप सिंह व हमराही कर्मचारीगण के साथ थाने से रपट नं0–10 समय 07:03 बजे वांछित अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी में मामूर होकर बिजौली बार्डर पर चेकिंग हेतु पहुँचे थे तभी उसे मुखविर खास द्वारा आकर अलग बुलाकर बताया था। मुखबिर की बात को उसके द्वारा सभी कर्मचारीगण को बतायी कि दिनांक 25.01.2024 की रात्रि में सगुनियामाफ के रहने वाले प्रेमचन्द्र राजपूत व उसका भाई प्रीतम राजपूत ने मिलकर अपने ही गांव के धरमपाल की अरहर के खेत में हत्या कर शव को फेंक दिया है। इन्हीं में से एक अभियुक्त प्रीतम राजपूत जो कहीं भागने की फिराक में सगुनिया मोड़ पर किसी वाहन के आने का इंतजार कर रहा है। तब वे सभी लोग मौके से कुछ निकल रहे राहगीरों से साथ बलने को उसके द्वारा कहा गया था, लेकिन बुराई भलाई के कारण कोई व्यक्ति नहीं गया। फिर वे सभी लोग मय सरकारी वाहन के चलकर मुखविर द्वारा बताये गये स्थान की ओर चले। सगुनिया मोड से पहले बने यात्री प्रतीक्षालय के पास वाहन खड़ा किया और मुखबिर ने वहीं से इशारा कर बताकर चला गया था। फिर वे सभी पुलिस वाले वाहन से उतर कर यात्री प्रतीक्षालय के पास आये कि वहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति उन लोगों को देखकर जाने लगा। आवाज देकर रोका नहीं रूका तब घेर –

धार कर सगुनिया मोड पर ही पकड लिया। उसके द्वारा पकडे गये व्यक्ति से नामपता पूछा था तो उसने अपना नाम प्रीतम राजपूत पुत्र स्व० जानकी राजपूत निवासी ग्राम सगुनिया माफ बताया था। अभियुक्त से उन्होंने पूछताछ की थी तब उसने घटना के बारे में अपनी बात बतायी थी कि बिहारी के अरहर के खेत में दिनाक 25.01.2024 की रात करीब 09:00 बजे कुल्हाड़ी व बाका से अपने बड़े भाई प्रेमचन्द्र के साथ मिलकर अपने ही गांव के धरमपाल की हत्या कर दी थी तथा शव को अरहर के खेत में ही खड़ी हुयी घनी अरहरी के बीच में फेंक दिया था। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाडी व बाका के बारे में पूछने पर उसने बताया था कि साहब उसने कुल्हाड़ी घरमपाल के मारी थी व बाका से प्रेमचन्द्र ने गर्दन व मुॅह में कई जगह मारा था। पुलिस के पकड़े जाने के डर के कारण घटना में प्रयुक्त आलाकतल व घटना के समय पहने हुये वस्त्र अभियुक्त द्वारा अपने बने कुआ से कुछ दूरी पर पड़े पत्थर के नीचे छिपा दिये थे तथा बाका को प्रेमचन्द्र द्वारा कहीं अलग छिपाकर रख दिया है। अभियुक्त प्रीतम राजपूत की निशांदेही पर अभियुक्त द्वारा स्वयं अपने खेत पर चलकर बने कुआ वा ठाकुरबाबा चबूतरा के पास से करीब पच्चीस कदम की दूरी पर प्रेमचन्द्र का बना टूटा पुराना पत्थर युक्त मकान बना हुआ है। पड़े हुये पत्थर को प्रीतम राजपूत द्वारा स्वयं हटाकर अपने हाथ से एक अदद लोहे की कुल्हाड़ी जिसमें लकड़ी की बेत लगा हुआ था एवं एक फुल आस्तीनदार काही रंग की चेकदार शर्ट व एक हाफ टी–शर्ट रंगबिरंगी स्वयं हाथों से निकालकर एस०ओ० साहब को दिया था। शर्टो के बारे में पूछा था तो उसने बताया था कि फुल कमीज उसकी है एवं हाफ टी–शर्ट उसके बड़े भाई प्रेमचन्द्र की है। कुल्हाड़ी के लोहे के फल में खून लगा था। लकड़ी के मूंद पर बेत पर जगह–जगह खून लगा हुआ था एवं बरामद दोनों कपड़ों में खून के धब्बे लगे हुये थे। बरामद कुल्हाड़ी को मौके पर ही सील सर्वमुहर किया गया था एवं बरामद दोनो कपड़े शर्ट/टी–शर्ट को एक सफेद पालीथीन में रखकर मय पालीथीन के कपड़े में रखकर सील सर्वमुहर किया गया था नमूना मुहर तैयार किया गया था एवं अभियुक्त प्रीतम राजपूत को कारण गिरफतारी बताकर समय 11:20 ए०एम० पर हिरासत पुलिस लिया गया था। अभियुक्त की गिरफतारी की सूचना अभियुक्त की भी श्रीमती हरकुंवर को दी गयी थी। फर्द उसके द्वारा बोल –बोलकर एस०एस०आई० अनुरुद्ध प्रताप सिंह से मौके पर ही लिखयायी गयी थी, जिस पर उसने तथा समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण द्वारा व अभियुक्त द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर बनाये थे। इसके उपरान्त नकल रपट वापसी एवं गिरफतारी प्रपत्र अभियुक्त प्रीतम राजपूत को अवलोकन कर अंकित किया एवं बयान अभियुक्त प्रीतम राजपूत अंकित कर रिमाण्ड हेतु याचना की। दिनांक 31.01.2024 को पर्चा नं0–4 किता किया जिसमें बयान साक्षी रामपाल, मुन्नालाल अकित किये व अभियुक्त प्रेमचन्द्र के घर दबिश दी। दिनांक 02.02.2024 को पर्चा न०–5 किता किया, जिसमें थाना से वह व मय हमराह उपनिरीक्षक अनुरुद्ध प्रताप सिंह, कान्सटेबल अरुण

कुमार, कासटेबल सूर्याश बुंदेला,कान्सटेबल बृजेश कुमार, कान्सटेबल राहुल कुमार मय सरकारी वाहन यू०पी० 95 जी 0173 मय चालक हेड कान्सटेबल विनोद कुमार के रपट नं0–7 समय 07:01 बजे रवाना हुये थे। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रेमचन्द्र राजपूत की गिरफ्तारी यात्री प्रतीक्षालय के पास ही की गयी थी तथा अभियुक्त ने दिनाक 25.01.2024 की रात 09:00 बजे के करीब बिहारी के अरहर के खेत में अपने छोटे भाई प्रीतम राजपूत के साथ मिलकर गांव के ही धरमपाल की हत्या कर शव को अरहर के खेत में ही फेके जाने की बात बतायी थी। हत्या में प्रयुक्त बांक के बारे में उसके द्वारा पूछा गया था तब उसने बताया था कि दिनांक 25.01.2024 की रात में घटना करने के बाद वह तथा उसका भाई प्रीतम दोनों लोग खेत पर बने कुआ पर जाकर प्रीतम ने उसकी टी–शर्ट व अपनी टी–शर्ट व कुल्हाड़ी वहीं पुराने घर के पास पत्थर के नीचे छिपा दिया था। उसने बांक लोहे का वहीं पास में झाड़ी के पास नीचे छिपा दिया है। गिरफतारशुदा अभियुक्त द्वारा स्वयं आलाकत्ल बरामद करने की बात पर सरकारी वाहन से ही समस्त पुलिस बल के साथ मय अभियुक्त के मौके पर गये। वाहन को खड़ाकर उतर कर बताये गये हुये स्थान पर चले। अभियुक्त प्रेमचन्द्र स्वयं आगे–आगे चलकर बने कुआ के पास ठाकुर बब्बा जू से बीस कदम की दूरी पर पुरानी टूटी दीवार के पास सूखी खरपतवार की झाडियों को हटाकर एक अदद लोहे का बांक फसल काटने वाला निकालकर एस०ओ० श्री प्रवीण सिंह को दिया था। बरामद बांक के फल पर खून के निशान मौजूद थे। बरामद माल को सफेद काटन से लपेट कर प्लास्टिक का टेप लगाकर सफेद कपडे में रखकर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया था एवं बरामदगी नक्शा तैयार किया गया था एवं अभियुक्त को समय 12–05 पी०एम० पर हिसरात पुलिस लिया गया था। फर्द मौके पर उसके द्वारा बोल–बोलकर एस०एस०आई० अनुरुद्ध प्रताप सिंह से लिखवायी गयी थी, जिस पर उसने व समस्त गवाहों ने अपने–अपने हस्ताक्षर बनाये थे तथा अभियुक्त ने अपना निशानी अंगूठा बनाया था। इसके उपरान्त नकल रपट वापसी व फर्द एवं गिरफतारी प्रपत्र अभियुक्त प्रेमचन्द्र राजपूत का अवलोकन कर अंकित किया व बयान अभियुक्त प्रेमचन्द्र राजपूत अंकित किये। दिनांक 04.02.2024 को पर्चा नं0–6 किता किया जिसमें पंचायतनामा व पी०एम० रिपोर्ट मृतक घरमपाल का अवलोकन कर अंकित किया एवं गवाह उपनिरीक्षक अनुरूद्ध प्रताप सिंह, का० रोहित लोधी, डा० साजी रहील अंकित किये व इसके उपरान्त पंचायतनामा साक्षी मान सिंह, जयहिन्द राजपूत, हरिश्चन्द्र के बयान अंकित किये व साक्षी अभिलाषा, रघुवीर, जगत सिंह के बयान आकेत किये। दिनाक 06.02.2024 को पर्चा नं0–7 किता किया जिसमें कपडे व आलाकल्ल बरामदगी का नक्शानजरी का अवलोकन किया तथा कां० बृजेश कुमार, कां० सूर्याश प्रताप, का० अरूण कुमार, कां० राहुल कुमार का बयान अंकित किया तथा बरामद आलाकत्ल व कपड़ों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाल भेजा

गया। दिनांक 12.02.2024 को पर्चा नं0–8 किता किया गया है जिसमें अभियुक्तगण प्रेमचन्द्र व प्रीतम के रिमाण्ड की याचना न्यायालय से की गयी। दिनांक 21.02.2024 को पर्चा न०–9 किता किया गया जिसमें उपनिरीक्ष नरेशचन्द्र निगम का बयान अंकित किया गया है। दिनांक 23.02.2024 को पर्चा न०–10 किता किया गया है जिसमें अभियुक्तगण प्रेमचन्द्र व प्रीतम के रिमाण्ड की याचना न्यायालय से की गयी। दिनाक 27.02.2024 को पर्चा न०–11 किता किया गया है जिसमें डाकेट तैयार कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। दिनाक 03.03 2024 को पर्चा नं0–12 किता किया गया जिसमें माल दाखिला प्रपत्र का नकल किया गया और दाखिल करने वाले का० आशीष कुमार का बयान अंकित किया। दिनांक 07.03.2024 को पर्चा नम्बर–13 किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण प्रेमचन्द्र व प्रीतम के रिमाण्ड की याचना न्यायालय से की गयी। दिनांक 12.03.2024 को पर्चा न०–14 किता किया गया जिसमें अभियुक्त प्रेमचन्द्र राजपूत व प्रीतम राजपूत के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 302, 201 भा०द०स० का अपराध साबित पाते हुये आरोप पत्र संख्या–56/2024 तैयार कर विवेचना समाप्त की। गवाह ने पत्रावली में सलग्न कागज सख्या –15 क/1 लगायत 15 क/2 फर्द बरामदगी व कागज सख्या–17 क फर्द बरामदगी को देखकर कहा कि यह दोनों फर्दे उसके द्वारा बोल–बोलकर एस०एस०आई० अनुरुद्ध प्रताप सिंह से तैयार करायी गयी थी, वह इन पर लिखे सभी तथ्यों व बने अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि करता है, जिन पर पूर्व से प्रदर्श पड़े हुये है। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–13 क जी०डी० नं0–28 दिनांकित 30.01.2024 समय 14:33 बजे को देखकर कहा कि यह जी०डी० उसके द्वारा बोल बोलकर तैयार करायी गयी थी, वह इस पर लिखे सभी तथ्यों की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। गवाह ने पत्रावली में सलग्न कागज संख्या–19 क जी०डी० नं०–३० दिनांकित 02.02.2024 समय 14.14 बजे की देखकर कहा कि यह जी०डी० उसके द्वारा बोल बोलकर तैयार करायी गयी थी। वह इसपर लिखे तभी तथ्यों की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–18 डाला गया। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या –14 क गिरफतारी प्रपत्र प्रीतम राजूपत व कागज संख्या–20 क गिरफतारी प्रपत्र प्रेमचन्द्र राजपूत को देखकर कहा कि यह दोनों गिरफतारी प्रपत्र उसके द्वारा बोल–बोलकर तैयार कराये गये थे, वह इन पर लिखे सभी तथ्यों व बने अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि करता है जिन पर कमशः प्रदर्श क–19 प्रदर्श क–20 डाला गया। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 8 क नवशानजरी घटनास्थल, 8 क/2 नक्शानजरी आलाकत्ल कुल्हाडी व कपडे बरामदगी स्थल कागज संख्या–8 क/3 नक्शानजरी बरामदगी आलाकत्ल एक अदद लोहे का बांका, कागज संख्या–8 क/4 नक्शानजरी को देखकर कहा कि उपरोक्त नक्शे उसके द्वारा तैयार किये गये थे, यह उसके लेख व हस्ताक्षर में हैं। वह इन पर लिखे सभी तथ्यों एवं बने अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि करता है, जिन पर कमशः प्रदर्श क–21,

प्रदर्श क–22, प्रदर्श–23 व प्रदर्श क–24 डाला गया। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–3क/1 लगायत 3क/7 आरोप पत्र को देखकर कहा कि यह उसके द्वारा बोल बोलकर कम्प्यूटर ऑपरेटर से तैयार कराया गया था। वह इस पर लिखे सभी तथ्यों व बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–25 डाला गया। गवाह ने पत्रावली में संलग्न दो फोटो को देखकर कहा कि यह दोनो फोटो उसके द्वारा तैयार कराकर केस डायरी में सम्मिलित की गयी थी जिनकी वह पुष्टि करता है, जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–13 व 14 डाला गया। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या –25क विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को देखकर पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–26 डाला गया। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–28क विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने के डाकेट को देखकर पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–27 डाला गया।

<u>निष्कर्ष</u>

20. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य तथा उनके द्वारा दिये गये तर्कों के आधार पर अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित अवधार्य बिंदुओं का विरचन किया जा रहा हैः–

1. क्या मृतक धर्मपाल की मृत्यु हत्याजनित (Homicidal Death) प्रकृति की थी?

2. क्या मृतक धर्मपाल को अंतिम बार जीवित अवस्था में अभियुक्त प्रेमचंद्र राजपूत के साथ देखा गया था, जिससे "अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत" (Last seen together) की परिस्थिति स्थापित होती है?

3. क्या अभियुक्त प्रेमचंद्र राजपूत की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कथित दरांती बरामद किया गया तथा अभियुक्त प्रीतम राजपूत की निशानदेही पर खून से सने कपड़े व हत्या में प्रयुक्त कथित कुल्हाड़ी बरामद की गई थी?

4. क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूर्ण है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि मृतक धर्मपाल की हत्या अभियुक्त प्रेमचंद्र राजपूत ने अपने भाई अभियुक्त प्रीतम राजपूत के साथ मिलकर की, तथा मृतक का शव अरहर के खेत में छिपा दिया गया था?

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–1</u>

21. अवधार्य बिन्दु संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या मृतक धर्मपाल की मृत्यु हत्याजनित (Homicidal Death) प्रकृति की थी?

22. यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में वादी मुकदमा जियालाल राजपूत द्वारा एक तहरीर, प्रदर्श क–1, दिनांक 27.01.2024 को प्रभारी निरीक्षक, थाना अजनर के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि उसका पुत्र धर्मपाल,जिसकी आयु लगभग 35 वर्ष थी, दिनांक

25.01.2024 को सायं लगभग 4 बजे घर से लगभग दो किलोग्राम मूंगफली लेकर कहीं चला गया था। वादी तथा उसके बड़े पुत्र द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से उससे संपर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था तथा वह घर वापस नहीं आया। वादी द्वारा यह भी कहा गया कि उसने एवं उसके परिजनों ने कई स्थानों पर उसकी तलाश की, किन्तु उसके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। तत्पश्चात जब चौकीदार द्वारा सूचना दी गई, तब ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र धर्मपाल गाँव के ही बिहारी स्थित अरहर के खेत में मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला है, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी धारदार हथियार से मारकर वहाँ फेंक दिया गया है तथा शव घटना स्थल पर ही पड़ा हुआ है। वादी ने उक्त तहरीर के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया। उक्त तहरीर, प्रदर्श क–1, के आधार पर दिनांक 27.01.2024 को समय 22:30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात पुलिस मौके पर पहुँची तथा आवश्यक कार्यवाही की। तत्पश्चात मृतक का पंचनामा, प्रदर्श क–8, तैयार किया गया तथा घटना स्थल पर मृतक के पास से बरामद सामान की फर्द, प्रदर्श क–5, अंकित की गई। यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि घटनास्थल से बरामद सामान की फर्द दिनांक 27.01.2024 को ही तैयार की गई थी, किन्तु मृतक के शव का पंचनामा दिनांक 28.01.2024 को प्रातः लगभग 8:30 बजे भरा गया, जिस पर पंचगण मान सिंह, जय हिंद, हरिश्चंद्र, रामपाल तथा रघुबीर के हस्ताक्षर अंकित हैं। इसके उपरांत मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु संबंधित चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ मृतक के शव का पोस्टमार्टम (शव–विच्छेदन) किया गया तथा उसकी शव–विच्छेदन आख्या, प्रदर्श क–4, पत्रावली पर उपलब्ध है। पीडब्ल्यू–1, जियालाल राजपूत ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि घटना लगभग सायं 4 बजे की है। उसका बेटा धर्मपाल घर से 2 किलोग्राम मूंगफली लेकर गया था तथा पुनः वापस नहीं आया। उसकी व्यापक खोजबीन की गई, किन्तु उसका पता नहीं चल सका। दो दिन उपरान्त ग्राम चौकीदार ने आकर उसे सूचित किया कि तुम्हारा पुत्र धर्मपाल बिहारी के अरहर के खेत में मृत पड़ा हुआ है। जब वह तथा ग्राम के अन्य लोग बिहारी के अरहर के खेत में जाकर देखने गए, तो उसके पुत्र का शव पड़ा हुआ था तथा समीप पर्याप्त रक्त बिखरा हुआ था। इस सम्बन्ध में पी०डब्ल्यू०–2 रामपाल, जो कि वादी मुकदमे का पुत्र तथा मृतक का भाई है, ने भी बताया कि उसका भाई धर्मपाल दिनांक 25.01.2024 को घर से मूंगफली लेकर गया था। काफी खोजबीन की गई, किन्तु उसका कोई पता नहीं चल पाया। दिनांक 27.01.2024 को सायं लगभग 4 बजे ग्राम चौकीदार गुलाब ने उसके घर आकर बताया कि धर्मपाल की लाश बिहारी के खेत में अरहर की फसल के बीच पड़ी हुई है। सूचना पाकर वह, उसके पिताजी तथा ग्राम के अन्य लोग वहाँ पहुँचे। तब देखा कि उसका भाई धर्मपाल मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, उसे

किसी धारदार हथियार से मारा गया था, उसका गला कटा हुआ था तथा मुख पर धारदार हथियार के चोट के निशान थे। अभियोजन के अन्य साक्षीगण ने भी इस सम्बन्ध में साक्ष्य दिया है कि मृतक की लाश बिहारी के अरहर के खेत में पड़ी हुई थी। अभियोजन की ओर से पी०डब्ल्यू०–8 के रूप में डॉक्टर साजी राहिल को परीक्षित कराया गया है, जिसने मृतक धर्मपाल के शव का शव विच्छेदन किया था। इसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 28.01.2024 को वह जिला चिकित्सालय, महोबा में तैनात था तथा उस दिनांक को उसकी ड्यूटी पी०एम० हाउस में लगाई गई थी। उस दिनांक को पी०एम० संख्या 31/2024, मृतक धर्मपाल राजपूत, उम्र 35 वर्ष, पुत्र जी०एल० राजपूत का शव विच्छेदन दिनांक 28.01.2024 को सायं 2:45 बजे प्रारम्भ किया गया तथा 3:40 बजे समाप्त किया गया। इसके द्वारा मृत्यु पूर्व चोटें पाई गईं। पी०डब्लू०–8 के अनुसार मृतक के निम्नलिखित चोटें पायीं:–

<u>मृत्यु पूर्व चोटें–</u>

01. चोट खूना लूद 14 सेमी. गुणा 3 सेमी. गुणा बोन डीप दाहिने तरफ चेहरे पर मौजूद था चोट नाक के बीचोबीच से कान के 01. के नीचे की तरफ थी। चोट के नीचे चेहरे की हड्डी टूटी हुयी थी।

02. चोट खूना लूद 9 सेमी० गुणा 2 सेमी. गुणा बोन डीप दाहिने तरफ ऊपर के जबड़े में मौजूद था। तथा ऊपर के होटों में भी मौजूद था ऊपर के जबड़े की हड्डी टूटी हुयी थी तथा दाहिना कैनाईन और दो इनसाइजर दांत भी टूटे हुये थे।

3. चोट खूना लूद 7 सेमी. गुणे 1.5 सेमी. गुणे बोन डीप सिर के पीछे की तरफ मौजूद तथा सिर की पीछे की हड्डी टूटी हुयी थी।

04. चोट खूना लूद 4 सेमी. गुणे 1.5 सेमी. गुणे मशल डीप दाहिने माथे की तरफ मौजूद थी।

05. चोट खूना लूद 10 सेमी. गुणे 3 सेमी, गुणे कैबिटी डीप सामने की तरफ गर्दन पर मौजूद थी। करीब 4 सेमी. डीप थी। चोट के नीचे स्वास नली तथा रक्त धमनियां कटी हुयी थी।

06. चोट खूना लूद 4 सेमी. गुणे 1 सेमी. गुणे मशल डीप गर्दन के पीछे दाहिने तरफ मौजूद थी ये चोट दाहिने कान से 6 सेमी. नीचे मौजूद थी।

07. ढेर सारी खरोच चोट पीठ के बीच में तथा पीठ के नीचे की तरफ मौजूद थी।

<u>आंतरिक परीक्षण</u>

स्कैल्प– जैसा की मृत्यु पूर्व चोटों में दर्शाया गया है। स्कल– जैसा की मृत्यु पूर्व चोटों में दर्शाया गया है, स्कल के पीछे की आक्सीपीटल बोन टूटी हुयी थी। मस्तिष्क– फटा हुआ था तथा मस्तिष्क के अंदर खून के थक्के जमें हुये थे। आरबिटल नेजल और ओरल कैविटी– जैसा की मृत्यु पूर्व चोटों में दर्शाया गया है।फैक्चर राइट मैग्जिला तथा फैक्टर राइटर अपर मैन्डिबूलर बोन मौजूद था। माउथ टंग और फेरिस जैसा कि मृत्यु पूर्व चोटों में दर्शाया गया है। लैरिग्स और

वोकल कार्ड –जैसा कि मृत्यु पूर्व चोटों में दर्शाया गया है। ट्रैक्या– कटी हुयी थी। खाने की नली–कटी हुयी थी। ब्रोनक्यिल ट्री–कटी हुयी थी। दाहियां और बायां फैफड़ा–एनएडी (पेल) प्लूरा – एनएडी ।हृदय–खाली ।बड़ी रक्त वाहिनियां कटी हुयी ।इस्टमक करीब 300 ग्राम अधपचा खाना मौजूद। छोटी आंत लिक्डि और गैस मौजूद। बड़ी आंत–फीकल मैटर और गैस मौजूद। लीवर–एनएडी (पेल)। स्पलिन–एनएडी (पेल)। दाहियां व बायां गुर्दा–एनएडी (पेल)। मुत्राशय की थैली खाली ।जनन के अंग–नान सरकम साइज। मृत्यु का कारण –Shock and haemorrhage as a result of ante mortem injuries बताया गया।

23. अभियोजन साक्षीगण पी०डब्ल्यू०–1, पी०डब्ल्यू०–2 तथा अन्य तथ्य साक्षीगण के अतिरिक्त, अभियोजन साक्षी संख्या–8, डॉ. साजी राहिल, जिसने मृतक का शव विच्छेदन किया था, के अनुसार मृत्युपूर्व पहुँचाई गई चोटों के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई है। पी०डब्लू०–8 ने शव विच्छेदन के समय उसकी मृत्यु लगभग पौने दो दिन पूर्व, यानी करीब 42 घण्टे पूर्व की बताई गई है। इस साक्षी ने मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व आई चोटों के फलस्वरूप शॉक तथा हेमरेज को बताया है। इससे स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु अप्राकृतिक एवं अस्वाभाविक परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हथियारों से पहुँचाई गई चोटों के कारण हुई है। बचाव पक्ष का कहना है कि मृतक की चोटें धारदार हथियार से नहीं आयी हैं जबकि मृतक के मृत्युपूर्व अनेक चोटों में ट्रेकिया, खाने की नली, ब्रोंकाई ये सब कटी हुई पाई गईं। चोट संख्या–5 में गर्दन तक गहरी कैविटी में कटी हुई मांसपेशियाँ पाई गईं। ट्रेकिया भी कटी हुई अवस्था में पाई गई। इससे स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु धारदार घातक हथियारों द्वारा पहुँचाई गई चोटों के कारण हुई है तथा बरामदशुदा कुल्हाड़ी व बॉका (दराँती) से आना सम्भव है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतक को कुन्दालय व धारदार हथियार से चोटें पहुॅचायी गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि मृतक की मृत्यु स्वयं नहीं, अपितु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारदार हथियारों से पहुँचाई गई चोटों के परिणामस्वरूप हुई है। उसको किस व्यक्ति ने चोटें पहुँचाईं, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, यह अभियोजन साक्ष्य से निर्धारित किया जाना है। परन्तु यह निश्चित है कि उसकी मृत्यु होमिसाइडल है। मृतक की धारदार हथियार से हत्या किया जाना साबित है। अतः अवधार्य बिंदु संख्या–1 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

अवधार्य बिन्दु संख्या–2

24. अवधार्य बिन्दु संख्या–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या मृतक धर्मपाल को अंतिम बार जीवित अवस्था में अभियुक्त प्रेमचंद्र राजपूत के साथ देखा गया था, जिससे "अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत" (Last seen together) की परिस्थिति स्थापित होती है?

<u>बहस बचाव पक्ष</u>

25. बचाव पक्ष की ओर से बहस प्रस्तुत की गई तथा यह तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा पी०डब्ल्यू० 1 तथा अन्य साक्षीगण के अनुसार दिनांक 25.01.2024 को मृतक को अभियुक्त प्रेमचंद के साथ अन्तिम बार देखा गया था। परन्तु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि पी०डब्ल्यू०–1, जो स्वयं वादी मुकदमा भी है, ने दिनांक 27.01.2024 को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में तहरीर दर्ज कराई। यह स्पष्ट है कि दिनांक 27.01.2024 को वादी मुकदमे को चौकीदार द्वारा सूचना दी गई कि बिहारी के अरहर के खेत में उसके पुत्र की लाश पड़ी हुई है। इसके पश्चात् वादी मुकदमा एवं उसका पुत्र वहाँ जाकर देखने गए। इसके अतिरिक्त ग्राम के अन्य व्यक्ति भी उस स्थान पर पहुँचे तथा सबने लाश देखी। इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परिस्थितिजन्य साक्षीगण के रूप में आजाद भोजराज उर्फ भोजा (पी०डब्ल्यू०–3), जगत सिंह (पी०डब्ल्यू०–5), राजेश रैकवार (पी०डब्ल्यू०–6) को प्रस्तुत किया गया है। आजाद खान (पी०डब्ल्यू०–3) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 25.01.2024 को उसके फोन पर धर्मपाल का फोन आया कि उसे आधा किलोग्राम मुर्गे का मांस चाहिए। तब उसने सायं 6:30 बजे कहा तो वह आधे घण्टे बाद आया तथा उसके साथ प्रेमचंद राजपूत भी था। आधा किलोग्राम मुर्गा लेकर ₹200 का नोट प्रेमचंद ने दिया था तथा मुर्गा लेकर दोनों चले गए। दिनांक 27.01.2024 को उसी सायं लगभग 7 बजे पता चला कि धर्मपाल को किसी ने बिहारी के अरहर के खेत में मारकर फेंक दिया है। उसने धर्मपाल के पिता जी०एल० राजपूत तथा रामपाल को यह बात बताई थी कि दिनांक 25.01.2024 को सायं 7:00 बजे लगभग धर्मपाल एवं प्रेमचंद दोनों उसकी दुकान पर आए थे। परन्तु अपनी प्रति परीक्षा में इसने कहा कि उसकी दुकान से मृतक धर्मपाल एवं अभियुक्त प्रेमचंद अपने ग्राम की ओर जाने के पश्चात् यह पता नहीं कि वे दोनों या एक कहाँ गया। इसने आगे अपनी प्रति परीक्षा में यह भी कहा कि सूचना मिलने के तुरन्त बाद वह घटनास्थल पर नहीं गया था, परन्तु दिनांक 27.01.2024 को जब पुलिस आ गई थी तभी वह सायं 6:30 बजे बिहारी के खेत पर गया था। उस समय अन्धेरा हो चुका था। इस साक्षी ने स्पष्ट कहा है कि दिनांक 27.01.2024 को सायं 6:30 बजे जब पुलिस आ गई थी तभी वह घटनास्थल पर गया था, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके पश्चात् लिखी गई है। तो इसने उस समय वादी मुकदमा और उसके पुत्र को क्यों नहीं बताया? हालाँकि इसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसने वादी मुकदमा और उसके पुत्र को बता दिया था। जब बता दिया था तब वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर में क्यों नहीं लिखा? बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि पी०डब्ल्यू०–3 आज़ाद खान का साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है। उसने स्पष्ट नहीं किया कि प्रेमचंद पूर्व में कभी नहीं आया था, तो उसी दिन मृतक के साथ क्यों आया तथा उसके बाद

कहाँ गया। यदि वास्तव में प्रेमचंद को धर्मपाल के साथ देखा होता, तो वादी मुकदमा को तुरंत सूचित करता। वादी मुकदमा के बयान में स्पष्ट विरोधाभास है। अतः आज़ाद खान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 'लास्ट सीन टुगेदर' के साक्षी पीडब्ल्यू–4 भोजराज उर्फ भोजा ने मुख्य परीक्षा में कहा कि दो दिन पूर्व सायं 6:00 बजे वह अथाई में बैठा था और उसी समय प्रेमचंद एवं धर्मपाल को प्रेमचंद के घर की ओर जाते देखा। परंतु प्रति परीक्षा में उसने यह कहा कि समीप हल्लू राजपूत, कल्लू पंडित, फूला राजपूत एवं धर्म सेठ की दुकान पर लोग बैठे थे। अभियोजन ने इन साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया, अन्यथा सही साक्ष्य न्यायालय में आता। उसने वादी मुकदमा को सायं ही सूचना दी, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है। अतः यह साक्ष्य अविश्वसनीय है। जगत सिंह (पीडब्ल्यू–5) ने भी मृतक को प्रेमचंद के साथ खेत की ओर जाते देखा होने का बयान दिया, किन्तु यह अविश्वसनीय है। मुख्य परीक्षा में उसने कहा कि सायं 6:00 बजे देखा और प्रेमचंद को पहले से जानता था। सायं 7:00 बजे समधी जियालाल राजपूत ने बताया कि धर्मपाल घर नहीं आया, तब उसने सबके सामने सूचना दी। यदि सचमुच देखा होता, तो वादी मुकदमा अज्ञात में तहरीर नहीं देता। इससे स्पष्ट है कि जगत सिंह 25.01.2024 को ग्राम में उपस्थित ही नहीं था,पी०डब्ल्यू०–1 एवं पी० डब्ल्यू० –2 के अनुसार रिश्तेदारों को फोन करने के बाद ही जगत सिंह (दामाद सहित) ग्राम में आए। अतः इसका साक्ष्य भी अविश्वसनीय है। राजेश रैकवार (पी०डब्ल्यू०–9) ने मुख्य परीक्षा में कहा कि 25.01.2024 को घर के बाहर आग तापते समय धर्मपाल एवं प्रेमचंद आए। प्रेमचंद के पास काली पन्नी में तला मुर्गा था और उसने ₹200 देकर शराब का क्वार्टर लाने को कहा। ठेके पर प्रीतम राजपूत शराब पी रहा था। वापस आने पर दोनों नहीं मिले। 27.01.2024 को बिहारी के अरहर खेत में हत्या की सूचना मिली। प्रति परीक्षा में उसने कहा कि प्रेमचंद ने कहा "सब मिलकर पिएँगे।" उसे 15–20 मिनट लगे, जब आया तो वे वहाँ पर नहीं थे। वापस न मिलने पर शराब लेकर घर चला गया। इसमें विरोधाभास है। घटनास्थल पर मृतक के पिता और भाई से बात न करना तथा ब्रिज बिहारी विश्वकर्मा एवं राज सिंह (प्रेमचंद के चाचा) का आग तापना और उनको परीक्षित न कराया जाना यह बताता है कि यह साक्ष्य अविश्वसनीय है। सभी परिस्थितिजन्य साक्षी जानबूझकर गढ़े गए प्रतीत होते हैं। यदि उन्होंने वास्तव में देखा होता, तो तुरन्त सूचना देते। प्रथम सूचना रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है। 25.01.2024 को प्रेमचंद के साथ गये, 25.01.2024 की रात 26.01.2024 को कहाँ रहे कोई स्पष्ट विवरण नहीं। दो दिन का अन्तराल होने के कारण किसी भी घटना की संभावना बनी रह सकती है। मोटिव की दृष्टि से भी प्रेमचंद या प्रीतम के पास कोई स्पष्ट कारण नहीं है। इस मामले में कोई मोटिव नहीं है। केवल मृतक द्वारा अभियुक्त की बहन पर गलत नजर रखने का मात्र आरोप है, जिसे कभी प्रमाणित नहीं किया। पी०डब्ल्यू० –3 अभिलाषा ने प्रीतम की

धमकी मात्र बताई। बिना स्पष्ट मोटिव के हत्या साबित नहीं होती। परिस्थितिजन्य मामलों में मोटिव आवश्यक है। 'लास्ट सीन टुगेदर' में कड़ियाँ पूरी नहीं हैं। 25.01.2024 सायं 4 बजे घर जाना, 27.01.2024 को शव की सूचना, 28.01.2024 को पोस्टमार्टम 42 घंटे पूर्व मृत्यु। 25.01.2024 की रात हत्या नहीं हुई। अन्य व्यक्ति द्वारा हत्या की संभावना बनी रहती है। शव पर कंडोम पाया गया किसी महिला के पास गया होगा तथा उसके परिवार द्वारा हत्या की गयी होगी। कुल्हाड़ी, बांका और और प्रेमचंद के कपड़े की बरामदगी फर्जी प्रतीत होते हैं। केवल बरामदगी से हत्या साबित नहीं की जा सकती। अभियोजन ने निर्दोष को फँसाया है। साक्ष्य अधूरी हैं, कड़ियाँ पूरी नहीं हैं। प्रस्तुत साक्ष्य अविश्वसनीय, अधूरे और परिस्थितिजन्य मामलों में पर्याप्त नहीं हैं। सभी साक्ष्य और अभियोजन कथानक में विरोधाभास एवं समय – अंतराल के कारण अभियोजन अपना कथानक दोष सिद्ध करने में पूर्णतया असफल है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

26. बचाव पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में 'लास्ट सीन टुगेदर', परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथा मोटिव के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों की विभिन्न विधि–व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की गई जिनका मेरे द्वारा ससम्मान परिशीलन किया गया।

1. State of UP v. Sunil,2017 (2) JIC(SC)
2. SK Yusuf v State of WB, 2011(74)ACC 293
3. Sunil @ Powa v. Union Territory of Chandigarh,2011 (3) JIC 346 (SC)
4. Suresh and Another v. State of Haryana , 2018 (3) JIC 496 (SC)
5. Lala @ Vijay Mehtar v. State of UP, 2007 (Supp) ACC 611 (All)
6. Arun Shankar v. State of MP, 2024 (3) JIC 978 (SC)
7. Raju v State of UP, 2023 (3) JIC 903 (All)
8. Gopal Singh v. State of Uttranchal 2007(2) JIC 672 (Uttrakhand)
9. Md. Bani Alam Mazid @ Dhan v. State of Assam,2025 (3) JIC 214 (SC)
10. Shankar Versus. State of Maharashtra, [2023(3) JIC 127 (SC)]
11. Gambhir Singh Versus State of U.P. [2025(4) JIC 563 (SC)]
12. Vinod Kumar Versus State (Govt. of NCT of Delhi) [2025(3) JIC 89 (SC)],
13. State of MP v. Nisar (2007) 3 SCC (Cri) 5

27. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस घटना की सभी कड़ियाँ आपस में सुसंगत रूप से मिलती हैं। अभियोजन के साक्षीगण ने प्रत्येक स्तर पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपना कथानक सिद्ध किया है। वादी मुकदमे ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि दिनांक 25.01.2024 को उसका पुत्र धर्मपाल घर से 2 किलोग्राम मूंगफली लेकर गया किन्तु वापस नहीं लौटा। उसके पश्चात् ग्राम में सर्वत्र खोजबीन की गई, समस्त रिश्तेदारों से पूछा गया, किन्तु उसका कोई पता नहीं चला। दिनांक 27.01.2024 को ग्राम चौकीदार ने सूचना दी कि वादी मुकदमे के पुत्र की लाश बिहारी के अरहर के खेत में पड़ी हुई है। तत्पश्चात् वादी मुकदमा एवं ग्रामवासी घटनास्थल पर पहुँचे तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना आरम्भ होने पर जब सभी से पूछताछ हुई तब अभियोजन साक्षीगण आजाद खान

(पी०डब्ल्यू०–3) भोजराज (पी०डब्ल्यू०–5), जगत सिंह (पी०डब्ल्यू०–7), राजेश रैकवार (पी०डब्ल्यू०–9) ने बताया है कि दिनांक 25.01.2024 को वादी मुकदमे के पुत्र धर्मपाल को अभियुक्त प्रेमचंद के साथ देखा था। आजाद खान (पी०डब्ल्यू०–3) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट कहा कि उसकी दुकान पर मुर्गा लेने मृतक धर्मपाल एवं अभियुक्त प्रेमचंद एक साथ आए थे तथा मुर्गा लेकर चले गए। भोजराज (पी०डब्ल्यू०–5) ने भी अपने बयान में अभियुक्त एवं मृतक को एक साथ देखा। जगत सिंह (पी०डब्ल्यू०–7) ने कहा कि खेत की ओर जाते समय मृतक धर्मपाल एवं प्रेमचंद एक साथ थे। राजेश रैकवार (पी०डब्ल्यू०–9) ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि उसने मृतक धर्मपाल एवं अभियुक्त प्रेमचंद को साथ देखा। इन साक्षीगण ने न केवल देखा, अपितु जगत सिंह को छोड़कर शेष तीनों साक्षियों आजाद खान, भोजराज एवं राजेश ने उन दोनों से वार्तालाप भी किया। दृष्टिगोचर व्यक्ति को भूल हो सकती है, किन्तु इन साक्षियों ने उनसे बातचीत भी की एक से मुर्गा लिया, दूसरे से शराब मँगवाई, तीसरे के खेत के समीप देखा। इस प्रकार समस्त साक्षीगण ने अपने साक्ष्यों में अभियुक्त प्रेमचंद को मृतक के साथ देखने का कथन किया। तत्पश्चात् दिनांक 27.01.2024 को उसकी लाश खेत में मिली। दिनांक 28.01.2024 को प्रातःकाल शव विच्छेदन रिपोर्ट में मृत्यु लगभग 42 घण्टे पूर्व बताई गई, अर्थात् 25–26 जनवरी के मध्य हुई। इससे स्पष्ट है कि 25–26 के बीच हत्या हुई। साक्षियों के अनुसार भी अभियुक्त को मृतक के साथ 25.01.2024 को देखा गया। अभियुक्तगण ने उस अन्तराल का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। प्रेमचंद को विशेष रूप से बताना चाहिए था कि मृतक के साथ मिलने के बाद वह कहाँ गया, किसके साथ रहा। अभियुक्त प्रीतम से कुल्हाड़ी व प्रेमचन्द्र के खून से सने कपड़े बरामद किये गये हैं और उसने अभियुक्त प्रेमचन्द्र के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। पोस्टमार्टम में 42 घण्टे का उल्लेख होने पर भी चिकित्सकीय विज्ञान में पूर्णतः सटीक समय निर्धारण कठिन है थोड़ा आगे–पीछे भिन्नता स्वाभाविक है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की विभिन्न विधि – व्यवस्थाओं में स्पष्ट है कि अभियोजन को कथानक की कड़ियाँ आपस में जोड़नी चाहिएँ। यहाँ सभी कड़ियाँ सुसंगत रूप से जुड़ रही हैं तथा अन्य कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। ऐसी दशा में अभियुक्तगण के विरुद्ध दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त साक्ष्य सिद्ध हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्धि किया जाये।

28. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य, तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस का सम्यक् परिशीलन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 27.01.2024 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका पुत्र धरमपाल दिनांक 25.01.2024 को समय लगभग सायं 04:00 बजे घर से दो किलोग्राम मूँगफली लेकर गया था, परंतु उसके

पश्चात वह वापस घर नहीं लौटा। वादी मुकदमा द्वारा अपने पुत्र की काफी तलाश की गई, विभिन्न स्थानों पर खोजबीन की गई तथा गाँव के लोगों से पूछताछ भी की गई, किंतु उसके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी और न ही उसकी कोई खोज–खबर मिल सकी। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.01.2024 को गाँव के चौकीदार द्वारा वादी मुकदमा को यह सूचना दी गई कि उसके पुत्र का शव बिहारी के खेत में पड़ा हुआ है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वादी मुकदमा अपने परिवारजनों तथा गाँव के अन्य व्यक्तियों के साथ तत्काल उक्त स्थान पर पहुँचा, जहाँ उसका पुत्र मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। उसी समय पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। पुलिस के पहुँचने के पश्चात आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा वादी मुकदमा द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मौके पर उपस्थित पुलिस द्वारा मृतक के शव के आसपास पाई गई वस्तुओं को विधिवत बरामद किया गया तथा उनकी बरामदगी की फर्द तैयार की गई, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके पश्चात, जैसा कि विवेचक एवं अन्य साक्षियों के बयानों से परिलक्षित होता है, रात्रि हो जाने के कारण तत्काल पंचायतनामा की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप मृतक का पंचायतनामा अगले दिन दिनांक 28.01.2024 को संपन्न किया गया। पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय, महोबा भेजा गया, जहाँ उसका विधिवत शव विच्छेदन किया गया।

29. इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है तथा मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही इस प्रकरण में निष्कर्ष पर पहुँचना होगा। इस प्रकरण में मृतक के शव के शव विच्छेदन के संबंध में पी०डब्ल्यू०–8 ने अपने शपथपूर्वक कथन में यह स्पष्ट किया है कि मृतक की मृत्यु मृत्युपूर्व आई चोटों के कारण हुई है। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि मृतक की मृत्यु लगभग पौने दो दिन, अर्थात लगभग 42 घंटे पूर्व हुई थी। दौरान विवेचना यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि पी०डब्ल्यू०–3 आज़ाद खाँ ने अभियुक्त को मृतक धरमपाल के साथ देखा था। इसी प्रकार पी०डब्ल्यू०–5 भोजराज उर्फ़ भोजा, पी०डब्ल्यू०–7 जगत सिंह, तथा पी०डब्ल्यू०–9 राजेश रैकवार ने भी मृतक धरमपाल के साथ अभियुक्त प्रेमचंद को देखा जाना बताया है। इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध उक्त साक्ष्यों से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि उपर्युक्त गवाहों द्वारा मृतक धरमपाल को अंतिम बार अभियुक्त प्रेमचंद के साथ देखा जाना बताया गया है, जो कि विवेचना के दौरान प्रकाश में आया एक महत्वपूर्ण तथ्य है और जो अभियोजन कथानक के संदर्भ में विचारणीय है।

30. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य तथा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से की गई बहस के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि घटना को घटित होते हुए किसी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। मृतक का शव खेत में पड़ा हुआ पाया गया था। उक्त घटना का कोई भी चक्षुदर्शी

साक्षी उपलब्ध नहीं है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला जाना है कि घटना किस प्रकार घटित हुई। यह भी स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कुल बारह साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिनमें पी०डब्ल्यू०–1 जियालाल राजपूत, जो वादी मुकदमा हैं, तथा पी०डब्ल्यू०–2 रामपाल, जो वादी मुकदमा के पुत्र एवं मृतक के भाई हैं। पी०डब्ल्यू०–3 आज़ाद खान, जो परिस्थितिजन्य साक्षी हैं। पी०डब्ल्यू०–5 भोजराज उर्फ भोजा, जो स्वतंत्र परिस्थितिजन्य साक्षी हैं। पी०डब्ल्यू०–6 श्रीमती अभिलाषा, जो वादी मुकदमा की पुत्री एवं मृतक की बहन हैं, तथा पी०डब्ल्यू०–7 जगत सिंह, जो पी०डब्ल्यू०–6 के ससुर एवं पी०डब्ल्यू०–1 के समधी हैं। इसके अतिरिक्त, राजेश रैकवार पी०डब्ल्यू०–9 के रूप में, जो परिस्थितिजन्य साक्षी हैं। उपर्युक्त समस्त साक्षी तथ्य के साक्षी हैं। अन्य सभी साक्षी औपचारिक हैं, जिनमें पी०डब्ल्यू०–10 गुलाब बसोर, जो गाँव का चौकीदार है, शामिल हैं। इसने ही पी०डब्ल्यू०–1 को यह सूचना दी थी कि उसके पुत्र का शव बिहारी के खेत में पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, कांस्टेबल रावेश कुमार (पी०डब्ल्यू०–4) ने चिक एफ०आई०आर० तथा जी०डी० कायमी को प्रदर्श क–2 एवं प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। डॉक्टर साजी राहिल (पी०डब्ल्यू०–8) द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसे प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुरूद्ध प्रताप सिंह, जो पुलिस उपनिरीक्षक (एस०आई०) हैं, पुलिस साक्षी के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने द्वारा तैयार किए गए प्रदर्श क–5 से लेकर प्रदर्श क–16 तक के पुलिस अभिलेखों को साबित किया है। अंत में, विवेचक प्रवीण कुमार सिंह (पी०डब्ल्यू०–12) के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने प्रदर्श क–17 से लेकर प्रदर्श क–27 तक के अभिलेखों, आरोप–पत्र आदि को साबित किया है। यह उल्लेखनीय है कि पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा है, जो मृतक धर्मपाल का पिता हैं। इसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराई है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना को आज से लगभग छह माह हो चुके हैं। उनका पुत्र धर्मपाल लगभग चार बजे दो किलोग्राम मूँगफली लेकर गया था, परंतु वापस नहीं आया। अंधेरा होने पर इन्होंने अपने पुत्र धर्मपाल की खोज की, किंतु वह नहीं मिला। तत्पश्चात इन्होंने यह बात अपने दूसरे पुत्र को बताई, जिसके बाद दोनों ने खोजबीन की, परंतु उसका फोन नहीं उठा। अंधेरा होने पर वे दोनों घर वापस आ गए, किंतु वह वापस नहीं आया। दो दिन पश्चात गाँव के चौकीदार ने आकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र धर्मपाल बिहारी के अरहर के खेत में पड़ा हुआ है। तब वे तथा गाँव के कई लोग वहाँ जाकर देखे, जहाँ काफी खून पड़ा हुआ था तथा उनके पुत्र की लाश खेत के अंदर अरहर की खड़ी फसल में छिपाई गई थी। इस संबंध में इन्होंने आगे बताया कि उनके पुत्र का शव चित अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके मुँह एवं माथे पर धारदार हथियार से चोट पहुँचाई गई थी तथा बाईं ओर की गर्दन भी धारदार हथियार से

कटी हुई थी। शव को देखकर वे घबरा गए। तत्पश्चात हिम्मत बाँधकर इन्होंने रात्रि में ही थाना अजनर को सूचना दी। इसके पश्चात उनका बयान लिया गया। तब तक उन्हें यह जानकारी हो गई थी कि उनके पुत्र धर्मपाल की हत्या उनके ही गाँव के प्रीतम एवं प्रेमचंद द्वारा की गई है, क्योंकि गाँव के ही आज़ाद खान एवं राजेश ने उन्हें बताया था कि जिस दिन उनका पुत्र मूँगफली लेकर गया था, उसी दिन सायंकाल उन्होंने धर्मपाल को प्रेमचंद एवं प्रीतम के साथ देखा था। इस साक्षी ने अपनी जिरह (प्रति–परीक्षा) में कहा है कि मृतक धर्मपाल की दो शादियाँ हुई थीं। पहली पत्नी उसे छोड़कर अन्यत्र चली गई थी। इसके पश्चात धर्मपाल की दूसरी शादी हुई थी। दूसरी बहू ने उनके घर में आग लगाकर स्वयं को जला लिया था। धर्मपाल की दूसरी पत्नी के मायके वालों ने धर्मपाल तथा उसके विरुद्ध दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें सजा हुई थी और वे तीनों लोग चले गए थे। इस साक्षी ने आगे कहा कि उक्त प्रकरण में धर्मपाल को सजा हो गई थी इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसका पुत्र रामपाल उसके साथ खेती करता था। प्रतिपरीक्षा के दौरान मृतक धर्मपाल के आचरण के संबंध में भी प्रश्न पूछे गए, जिस पर पी०डब्ल्यू०–1 ने बताया कि मृतक धर्मपाल खेती में कम कार्य करता था तथा घूमने–फिरने में अधिक रहता था। घटना से पूर्व भी धर्मपाल रात्रि में घर से कहीं चला जाता था तथा रात्रि 12 बजे से 2 बजे तक बाहर रहता था, किंतु पुनः घर वापस आ जाता था। इसने आगे कहा कि धर्मपाल ने उसके समक्ष कभी शराब का सेवन नहीं किया। उसे यह ज्ञात नहीं है कि धर्मपाल रात्रि में किसके साथ एवं कहाँ–कहाँ जाता था। जब वह उसे रात्रि में घूमने से रोकता था, तो वह उससे झगड़ा करता था। मृतक से बड़ा पुत्र रामपाल है, जो उसे रात्रि में घूमने से रोकता था, किंतु वह रामपाल से भी झगड़ा करता था। उसने यह भी कहा कि वह किसी की बात नहीं मानता था तथा सभी से से झगड़ा करता था। इस साक्षी ने आगे कहा कि मृतक धर्मपाल की पत्नी ने आग लगाकर प्राण त्याग दिए थे, जिसके कारण सभी लोग जेल चले गए थे। उसी समय से धर्मपाल उससे तथा परिवार के अन्य सदस्यों से रुपये मांगता था। जब वे लोग रुपये देने से मना करते थे, तो वह सबके साथ झगड़ा करता था, जिससे सभी लोग उससे नाराज़ हो जाते थे। जब उसे रुपये नहीं दिए जाते थे, तो वह घर एवं खेत से उत्पन्न अनाज, दाना एवं मूँगफली जबरन उठा ले जाता था तथा गाँव में बेचकर उससे प्राप्त धन से अपना खर्च चलाता था। यदि उसे फसल ले जाने से रोका जाता था, तो वह झगड़ा एवं मारपीट करता था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि जब धर्मपाल अत्यधिक झगड़ा करता था, तो उसकी माँ उससे कह देती थी कि "धर्मपाल मर जाए तो अच्छा है।" इस साक्षी ने आगे कहा कि जिस दिन धर्मपाल अंतिम बार घर से गया था, उस दिन की तिथि उसे ज्ञात नहीं है, किंतु वह सायं लगभग 4 बजे घर से गया था। उस समय रामपाल घर पर नहीं था, वह खेत पर था। धर्मपाल ने जाने से पूर्व उससे 200 रुपये मांगे थे, जिस पर उसने

कहा कि उसके पास रुपये नहीं हैं। इसके पश्चात वह कुछ समय तक रुपये मांगता रहा, फिर उसने घर में रखी 2–3 किलोग्राम मूँगफली अपनी तौलिया में भरी और यह कहकर चला गया कि वह इसे बेचकर अपना खर्च चलाएगा। इस साक्षी ने आगे कहा कि उसने तहरीर में मृतक के घर से जाने की तिथि अंकित नहीं की थी। यदि तहरीर में 24–25 की तिथि अंकित है, तो वह कैसे अंकित हो गई, वह नहीं बता सकता। उसने अपने पूर्व कथनों में भी मृतक के जाने की तिथि नहीं बताई थी तथा उसे ज्ञात नहीं कि वह कैसे लिख दी गई। इस साक्षी ने आगे कहा कि वह, उसकी पत्नी तथा उसका पुत्र रामपाल रात्रि में गाँव की गलियों में धर्मपाल को खोजते रहे। उन्हें लगभग 5–6 व्यक्ति मिले, किंतु किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। खोजबीन के पश्चात सभी लोग रात्रि लगभग 12 बजे घर वापस आ गए। इसके पश्चात वे सोए नहीं तथा उसके वापस आने की प्रतीक्षा करते रहे। इस साक्षी ने आगे कहा कि उसी रात्रि उसने ग्राम बिजौरी में अपनी दोनों पुत्रियों, दामाद अर्जुन, रामवीर सिंह तथा समधी जगत सिंह को फोन करके पूछा कि धर्मपाल घर वापस नहीं आया है, क्या वह उनके यहाँ पहुँचा है। इस पर उन्होंने बताया कि वह वहाँ नहीं आया है। इसके पश्चात अगले दिन लगभग 2–3 बजे दिन में उसके दामाद अर्जुन एवं अमर सिंह, समधी जगत सिंह तथा दोनों पुत्रियाँ उसके घर आ गए। इसके बाद वे सभी लोग उसके साथ मिलकर धर्मपाल को गाँव में खोजते रहे।

31. पी०डब्ल्यू०–1 के उक्त बयान के संदर्भ में बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी०डब्ल्यू०–1 के कथन से स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है कि जब मृतक धर्मपाल दिनांक 25.01.2024 को सायंकाल घर वापस नहीं आया, तब वादी ने अपनी दोनों पुत्रियों, दामादों एवं समधी जगत सिंह से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया कि क्या धर्मपाल उनके यहाँ पहुँचा है। इस तथ्य से यह निष्कर्ष परिलक्षित होता है कि घटना की तिथि को वादी की दोनों पुत्रियाँ तथा उसका समधी जगत सिंह वादी के निवास पर उपस्थित नहीं थे, अपितु उन्हें दूरभाष के माध्यम से सूचित कर अगले दिन बुलाया गया। इसके विपरीत, पी०डब्ल्यू०–6 अभिलाषा, जो वादी की पुत्री है, ने अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि उसके सामने उसका भाई धर्मपाल दो किलोग्राम मूँगफली लेकर घर से गया था तथा वह उस समय घर पर ही विद्यमान थी। इसी प्रकार, पी०डब्ल्यू०–7 जगत सिंह, जो वादी का समधी है, ने अपने बयान में यह कहा है कि जब वह खेतों की ओर जा रहा था अथवा वहाँ से वापस आ रहा था, तब उसने मृतक धर्मपाल को प्रेमचंद के साथ जाते हुए देखा था। उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि पी०डब्ल्यू०–6 एवं पी०डब्ल्यू०–7 के कथनों में परस्पर विरोधाभास विद्यमान है, जिससे यह प्रतीत होता है कि दोनों साक्षियों के बयान विश्वसनीय नहीं हैं तथा इनके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बचाव पक्ष का यह भी कथन है कि उक्त दोनों साक्षियों को अभियोजन पक्ष

द्वारा बाद में विचारपूर्वक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत (प्लांट) किया गया है, अतः इनके कथन अविश्वसनीय हैं। दूसरी ओर, बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी०डब्ल्यू–6 एवं पी०डब्ल्यू०–7 द्वारा दिए गए कथन स्वाभाविक (नेचुरल) हैं तथा वे वास्तव में घटनास्थल अथवा वादी के निवास पर उपस्थित थे।

32. अब समस्त साक्षीगण के बयानों के सम्यक् विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि पी०डब्ल्यू–6 एवं पी०डब्ल्यू०–7 वास्तव में वादी के घर पर उपस्थित थे अथवा नहीं। प्रथम दृष्टया, पी०डब्ल्यू०–1 के स्पष्ट कथन से यह स्थापित होता है कि जब मृतक रात्रि में घर वापस नहीं आया, तब वादी ने अपनी पुत्रियों एवं समधी जगत सिंह से दूरभाष द्वारा संपर्क किया था। इससे यह निष्कर्ष सुस्पष्ट होता है पी०डब्लू० 6 एवं पी०डब्ल्यू०–7 उस समय वादी के घर पर उपस्थित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, पी०डब्ल्यू०–7 के कथन में यह भी उल्लिखित है कि वह खेतों में आता–जाता रहा। यदि वह वास्तव में वादी के घर पर उपस्थित होता, तो उसके लिए यह स्वाभाविक था कि उसे यह जानकारी होती कि मृतक को किसके साथ देखा गया था। तथापि, उसने अपने कथन में इस संबंध में कोई स्पष्ट एवं सुसंगत विवरण प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उसके बयान में अंतर्विरोध परिलक्षित होता है तथा उसका साक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होता है। यदि पी०डब्लू०–7 दिनांक 25.01.2024 को वादी के घर उपस्थित होता और अभियुक्त प्रेमचन्द्र को मृतक धरमपाल के साथ देखा गया होता तो वादी द्वारा प्रेमचन्द्र के घर में खोजा जाता। पी०डब्लू०–1 ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह अपने गाँव के आज़ाद खान एवं नब्बू खान को जानता है, जिनका घर उसके घर से लगभग पाँच मकान की दूरी पर स्थित है। आज़ाद खान बकरी चराने का कार्य करता है तथा अपने घर पर मुर्गा एवं अंडा बेचता है। वह अपने गाँव के राजेश पुत्र रामरतन रैकवार को भी जानता है, जिसका घर उसके घर से लगभग आठ मकान की दूरी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त, वह अपने गाँव के भोजराज उर्फ भोजा को भी जानता है, जो रिश्ते में उसके पुत्र के समान लगता है तथा पारिवारिक संबंध रखता है। इस साक्षी ने आगे कहा कि जब अगले दिन वे लोग धर्मपाल को खोज रहे थे, तब उपरोक्त राजेश, भोजराज उर्फ भोजा एवं आज़ाद खान उसके घर आए थे और ये लोग उसके साथ मिलकर धर्मपाल की खोजबीन करते रहे। जब ये तीनों व्यक्ति उसके साथ धर्मपाल को खोज रहे थे, तब इन लोगों ने उनसे बातचीत भी की थी। वे लोग अगले दिन रात्रि लगभग 10–11 बजे तक खोजबीन करते रहे तथा इस दौरान उन्होंने भोजन भी नहीं किया और घर पर ही बैठे रहे। इस साक्षी ने आगे कहा कि उसके रिश्तेदार जगत सिंह आदि तथा उपरोक्त तीनों व्यक्ति राजेश, भोजराज उर्फ भोजा एवं आज़ाद खान भी घर पर बैठे रहे और आपस में बातचीत होती रही। तथापि, इन व्यक्तियों में से किसी ने भी यह नहीं बताया कि उन्होंने धर्मपाल को किसी के साथ देखा है। इसके विपरीत, सभी लोग यह कह

रहे थे कि धर्मपाल को गाँव में नहीं देखा गया है और यह ज्ञात नहीं है कि वह कहाँ चला गया। उक्त साक्षी, पी०डब्ल्यू०–1, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि धर्मपाल के घर से जाने के तीसरे दिन प्रातः लगभग 08:00 बजे ग्राम के चौकीदार गुलाब उसके निवास पर आए तथा उसे सूचित किया कि उसके पुत्र धर्मपाल का शव बिहारी के अरहर के खेत में पड़ा हुआ है। उक्त सूचना के समय उसके घर पर बहू, कुसुम, रामपाल, समधी जगत सिंह, दामाद अर्जुन, उमर सिंह, भोजा उर्फ भोजराज, रैकवार उपस्थित थे। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि शव मिलने की सूचना प्राप्त होने के उपरांत उपस्थित व्यक्तियों में से किसी ने भी यह नहीं बताया कि उसने रात्रि में धर्मपाल को किसी के साथ देखा था।

33. उक्त तथ्य के संदर्भ में बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी०डब्ल्यू०–1 के कथन से यह स्पष्ट होता है कि जब भोजराज, राजेश, आजाद खान आदि व्यक्ति वादी के घर पर उपस्थित थे, तब उन्होंने यह तथ्य क्यों प्रकट नहीं किया कि दो दिन पूर्व, अर्थात दिनांक 25.01.2024 को, उन्होंने मृतक धर्मपाल को प्रेमचंद के साथ जाते हुए देखा था। इसलिए पीडब्ल्यू–1 के कथन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिये कि जिन साक्षियों को परिस्थितिजन्य साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वे अविश्वसनीय हैं तथा उन्हें पुलिस द्वारा कृत्रिम रूप से स्थापित (प्लांट) किया गया है। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि परिस्थितिजन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्वाभाविक एवं सुसंगत हैं तथा उन्होंने प्रत्येक तथ्य का स्पष्ट एवं संगत वर्णन किया है, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी कहा गया है कि पी०डब्ल्यू०–1, वादी मुकदमा, लगभग अस्सी वर्ष के वृद्ध व्यक्ति है तथा उसने घटना के काफी समय उपरांत न्यायालय में अपना बयान दिया है। अतः यह संभव है कि उसने कुछ प्रश्नों को पूर्णतः समझे बिना उत्तर दिए हों। इस कारण साक्ष्यों में जो कथित विरोधाभास दर्शाया जा रहा है, वह वास्तविक न होकर आभासी है, जिससे साक्षियों के कथनों को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता।

34. यह उल्लेखनीय है कि अन्य साक्षीगण ने भी इस तथ्य के बारे में साक्ष्य दिया गया है। उनके साक्ष्य के विश्लेषण उपरान्त ही निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। पीडब्ल्यू–1 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब वह घटनास्थल, अर्थात बिहारी के अरहर के खेत में पहुँचा, तब उसका पुत्र धर्मपाल मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार की चोटें थीं तथा शरीर एवं गर्दन पर कुल्हाड़ी एवं फरसे से प्रहार किए जाने के चिह्न थे। उसने उक्त चोटों को देखकर यह पहचान लिया था कि प्रहार कुल्हाड़ी एवं फरसे से किए गए हैं। तथापि, उसने यह भी कहा कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल्हाड़ी एवं फरसे से प्रहार किए जाने का उल्लेख किया है या नहीं, वह इस संबंध में निश्चित रूप से नहीं बता सकता। उसने

आगे कहा कि उसने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए अपने बयान में दरोगा जी को यह बताया था कि उसके पुत्र को कुल्हाड़ी एवं फरसे से मारा गया है। साथ ही, उसने यह भी कहा कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं लिखा था कि उसके पुत्र को धारदार हथियार से मारा गया है, तथा यह बात उसने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी नहीं बताई; उसे यह ज्ञात नहीं कि यह किस प्रकार अंकित हो गया। इस साक्षी ने आगे कहा कि शव को देखने के उपरांत रामपाल ने दरोगा जी को दूरभाष द्वारा सूचना दी थी, जिसके पश्चात दरोगा जी घटनास्थल पर पहुँचे तथा वहाँ पड़े शव का निरीक्षण किया। उस समय घटनास्थल पर ग्राम के कई व्यक्ति, जैसे राजेश, भोजराज उर्फ भोजा तथा आज़ाद खान आदि उपस्थित थे। दरोगा जी ने वहाँ उपस्थित व्यक्तियों से घटना के संबंध में पूछताछ की, परंतु किसी ने भी घटना के संबंध में कोई जानकारी होने से इंकार किया। इस साक्षी ने आगे कहा कि दरोगा जी उसके पुत्र के शव को घटनास्थल से उठाकर ले गए, परंतु यह उसे ज्ञात नहीं कि शव को थाना ले जाया गया अथवा किसी अन्य स्थान पर। इस साक्षी ने यह भी कहा कि मृतक की तौलिया, जिसमें मूँगफली बंधी हुई थी, घटनास्थल पर पड़ी हुई थी तथा वहाँ सूखा खून भी पड़ा हुआ था। इस साक्षी ने आगे कहा कि दरोगा जी द्वारा घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता रहा, किंतु शव मिलने के अगले दिन तक भी घटना के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। जिस दिन उसने शव को घटनास्थल पर पड़ा हुआ देखा था, उसी दिन पुलिस द्वारा शव को वहाँ से उठा लिया गया था। इस साक्षी ने अपने पुत्र के संबंध में यह भी बताया कि उसके विरुद्ध बलात्कार का एक प्रकरण पंजीकृत हुआ था, जिसमें उसका पुत्र लगभग छह माह तक कारागार में रहा था। उसने यह भी कहा कि वह अपने गाँव के अमान सिंह को जानता है तथा यह भी कि अमान सिंह की पत्नी प्रेम ने उसके पुत्र के विरुद्ध उक्त बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराया था। उसने अपने गाँव के थान सिंह को भी जानने की बात कही, जिसने उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ के संबंध में उसके पुत्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने अपने गाँव के बाऊ सिंह को भी जानने की बात कही तथा यह भी बताया कि बाऊ सिंह के भाई अरविंद की पुत्री गाँव से भाग गई थी, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं कि उक्त प्रकरण में धर्मपाल पर क्यों संदेह किया जा रहा था। इस साक्षी ने आगे कहा कि वह यह नहीं कहता कि उसका पुत्र शराब पीने का आदी था, अपितु उसने यह कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि शराब के कारण उसके पुत्र का किसी से विवाद हुआ था या नहीं। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसने दरोगा जी को यह नहीं बताया था कि उसके पुत्र की हत्या प्रीतम एवं प्रेमचंद द्वारा की गई है, बल्कि यह बात गाँव के अन्य व्यक्तियों द्वारा दरोगा जी को बताई गई थी। इस संबंध में उससे यह प्रश्न भी पूछा गया कि उसने स्वयं यह तथ्य क्यों नहीं बताया , जिस पर उसने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार, पी०डब्ल्यू०–1 से प्रतिपरीक्षा के दौरान विभिन्न प्रश्न

पूछे गए, जिनमें से कुछ के संबंध में उसने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया तथा कुछ प्रश्नों के उत्तर में उसके कथनों में विरोधाभास परिलक्षित होता है। अतः इस संबंध में अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है तथा समस्त साक्ष्यों के समग्र विश्लेषण के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

35. अभियोजन की ओर से पी०डब्ल्यू०–2 के रूप में रामपाल, जो कि मृतक का बड़ा भाई है, को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में पी०डब्ल्यू०–1 के कथन का समर्थन किया है तथा यह कथन किया है कि उन्हें दिनांक 28.01.2024 की सुबह यह जानकारी प्राप्त हो गई थी कि उसका भाई धरमपाल तथा गाँव का प्रेमचंद राजपूत, दिनांक 25.01.2024 की शाम को गाँव के ही आज़ाद खाँ की दुकान से मुर्गे का गोश्त खरीदकर ले गए थे। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि गाँव के बिहारी के अरहर के खेत में अभियुक्त प्रेमचंद ने अपने छोटे भाई प्रीतम राजपूत के साथ मिलकर धारदार हथियार से, उसी रात, उसके भाई धरमपाल की गर्दन काटकर तथा काफी चोटें पहुँचाकर हत्या कर दी तथा उसके शव को अरहर की फसल के बीच खेत में छिपा दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना के दिन प्रीतम उसके घर आया था तथा वह उसके भाई धरमपाल के संबंध में उसकी बहन अभिलाषा से पूछ रहा था और उसे धमकी भी दे रहा था। इस संबंध में धमकी दिए जाने की बात उसकी बहन अभिलाषा द्वारा उसे बताई गई थी। इस साक्षी ने अपनी जिरह (प्रति परीक्षा) में यह भी कहा है कि उसकी दो पुत्रियाँ हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और वे अपने–अपने ससुराल में रहती हैं। उसके पिताजी के पास लगभग 24–25 बीघा भूमि है। उसके तथा मृतक धरमपाल के नाम से कोई खेती की भूमि नहीं है। उसने यह भी कहा है कि उसके पिताजी की सम्पूर्ण भूमि कई भागों में फुटकर–फुटकर बंटी हुई है। जिस खेत पर वह स्वयं खेती करता है, वह उसके घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तथा जिस खेत में धरमपाल खेती करता था, वह खेत घर से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना के समय धरमपाल की पत्नी और बच्चे नहीं थे, तथा इस घटना से पूर्व धरमपाल की पत्नी आग लगने से मर गई थी।

36. पी०डब्ल्यू०–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा है कि अगले दिन सुबह उसकी बहनों के ससुर जगत सिंह निवासी बिजौरी उसके घर आ गये थे, गाँव के तमाम लोग आ गये थे तथा पूछ रहे थे कि धर्मपाल लौटा है या नहीं। उसके तथा पिताजी के साथ दोनों दिन गाँव के आजाद खान, राजेश रैकवार, भोजा उर्फ भोजराज मृतक को ढूँढने नहीं निकले क्योंकि इन लोगों का घर काफी दूर है। इस साक्षी ने आगे कहा कि पुलिस 27 तारीख को शाम को ही मृतक का शव उठाकर अस्पताल महोबा ले गयी थी, फिर 27 तारीख को रात 10:00 बजे वह उसके पिताजी व लेखक तहरीर मुन्ना भी थाने गये थे। उसके पिता के बोलने पर मुन्ना ने तहरीर

लिखी थी। तहरीर में पिताजी ने उसके सामने लिखवा दिया था कि धर्मपाल को अभियुक्तगण प्रीतम व प्रेमचंद ने मारा है। यह सही है कि तहरीर प्रदर्श क–1 में उसके हस्ताक्षर हैं, इसमें हम लोगों द्वारा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धर्मपाल की हत्या करने की बात लिखी है, यह बात सही है। दोनों अभियुक्तगण से गाँव के लोग नाराज रहते हैं तथा काफी बुराइयों पर रंजिश रखते हैं। इसने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने उसके भाई के साथ घटना कारित नहीं की हो, वह गाँव के विरोधियों के कहने पर अभियुक्तगण का नाम गलत बता रहा हो। उपरोक्त पी०डब्लू०–2 के बयान से स्पष्ट है कि इसने पी०डब्लू०–1 के बयानों का समर्थन किया है। परन्तु इसके प्रतिपरीक्षा में एक तथ्य आया है, जो कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है। उसने कहा कि पुलिस वाले मृतक भाई का शव दिनांक 27.01.2024 को ही ले गये थे, जबकि अन्य साक्ष्य में आया है कि पुलिस वाले घटनास्थल से शव अगले दिन अर्थात दिनांक 28.01.2024 ले गये थे। इसके अतिरिक्त इसने कहा कि उसके पिताजी के साथ दोनों दिन गाँव के आजाद खान, राजेश रैकवार, भोजा उर्फ भोजराज मृतक को ढूँढने नहीं निकले थे क्योंकि इन लोगों का घर काफी दूर था। इसने यह भी कहा, "ये तीनों लोग दिनांक 26.01.2024 को धर्मपाल का पता करने उसके घर पर नहीं आये थे।" यह तथ्य पी०डब्लू०–1 के बयान से विपरीत है, क्योंकि पी०डब्लू०–1 ने कहा है कि ये तीनों लोग उसके साथ धर्मपाल को ढूँढते रहे। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने एक विरोधाभासी बात कही है कि तहरीर में पिताजी ने उसके सामने लिखवा दिया था कि धर्मपाल को अभियुक्तगण प्रीतम व प्रेमचंद ने मारा है। फिर उसके बाद कहा, "अगर उसमें यह बात नहीं लिखी है तो कुछ बता नहीं सकता क्योंकि वह अनपढ़ है।" इस संबंध में स्पष्ट है कि प्रायः देखा जाता है कि सामान्यतः गाँव के किसी व्यक्ति पर केवल शंका के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम नहीं लिखाया जाता ,जिससे कि आगे सम्बन्ध न खराब हों, जब तक उसके विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य न हो। बाद में गाँव वालों से पूछताछ करने पर अन्य तथ्य सामने आने पर पुलिस ने ही अभियुक्तगण के नाम विवेचना में आगे बढ़ाए। जहाँ तक बचाव पक्ष का यह कहना है कि उनको झूठा फँसाया गया हैं । इस संबंध स्पष्ट है कि यदि वास्तव में वादी पक्ष या उसके परिवार वालों की अभियुक्तगण से कोई दुश्मनी होती या उन्हें झूठा फँसाना ही होता तो वे अपनी तहरीर में हीउनका नाम लिखते। जबकि उन्होंने तहरीर में नहीं लिखा।

37. परिस्थितिजन्य साक्षी के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्ल्यू–3, आज़ाद खान को परीक्षित कराया गया है। यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण साक्षी है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि जब वह अपनी दुकान पर उपस्थित था, तब केवल दो व्यक्ति, अर्थात् मृतक धर्मपाल एवं अभियुक्त प्रेमचंद ही वहाँ आए थे। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा मुर्गे के मांस की मांग की गई थी। इससे पूर्व मृतक धर्मपाल द्वारा उसे

दूरभाष (फोन) किया गया था, जिसमें उसने आधा किलोग्राम मुर्गे के मांस की आवश्यकता व्यक्त की थी। इस पर साक्षी द्वारा उसे सूचित किया गया था कि वह आधे घंटे पश्चात आए। तत्पश्चात, उक्त दोनों व्यक्ति दुकान पर आए तथा वहाँ से आधा किलोग्राम मुर्गे का मांस क्रय कर ले गए। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि पूर्व में मृतक धर्मपाल उसकी दुकान पर अकेले आया करता था, किन्तु उक्त दिन वह अभियुक्त प्रेमचंद के साथ आया था। साक्षी ने यह भी कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि धर्मपाल शराब का सेवन करता था अथवा पूरे दिन इधर–उधर घूमता रहता था। साक्षी के अनुसार, मृतक धर्मपाल का निवास स्थान लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अभियुक्त प्रेमचंद का निवास स्थान लगभग छह सौ मीटर की दूरी पर स्थित है। साक्षी प्रेमचंद को इस कारण से जानता है कि वह मिठाई बनाने का कार्य करता है। उक्त साक्षी ने अपने बयान में कथन किया है कि प्रथम बार दिनांक 25.01.2024 को मृतक धर्मपाल एवं अभियुक्त प्रेमचंद एक साथ उसकी दुकान पर आए थे। इससे पूर्व कभी भी धर्मपाल एवं प्रेमचंद उसकी दुकान पर एक साथ नहीं आए थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने कभी अभियुक्त प्रेमचंद को शराब का सेवन करते हुए नहीं देखा तथा न ही कभी प्रेमचंद एवं धर्मपाल को गाँव में एक साथ घूमते हुए देखा है। साक्षी के अनुसार, मृतक धर्मपाल का फोन उसके मोबाइल पर आया था, जिसकी सूचना उसने दरोगा जी को दे दी थी। उसने यह भी बताया कि उक्त कॉल सायं लगभग साढ़े छह बजे प्राप्त हुई थी। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जब मृतक धर्मपाल एवं अभियुक्त प्रेमचंद उसकी दुकान पर मुर्गा लेने आए थे, तब उनके हाथों में कोई पन्नी अथवा अन्य सामान नहीं था। साक्षी द्वारा मुर्गा तलकर काली पॉलिथिन में दिया गया था, जिसे उसने अभियुक्त प्रेमचंद को दिया था तथा मुर्गे के पैसे भी प्रेमचंद द्वारा ही अदा किए गए थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि अभियुक्त प्रेमचंद एवं धर्मपाल कहाँ से आए थे, वे साथ–साथ आए थे अथवा अलग–अलग; तथापि उसकी दुकान पर दोनों व्यक्ति एक साथ ही उपस्थित हुए थे। साक्षी के समक्ष दिनांक 25.01.2024 से पूर्व ऐसा कोई अवसर नहीं आया था जब धर्मपाल उसकी दुकान पर आया हो। उक्त साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि उसकी दुकान से मृतक धर्मपाल के जाने के पश्चात तथा उसके मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना प्राप्त होने के मध्य अवधि में उसे धर्मपाल के गुम होने अथवा लापता होने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त अवधि में मृतक धर्मपाल के पिता जियालाल, भाई रामपाल एवं अन्य रिश्तेदार उसे खोजते रहे थे। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जिस दिन मृतक धर्मपाल एवं अभियुक्त प्रेमचंद उसकी दुकान से मुर्गे का मांस लेकर गए थे, उसके अगले दिन वह पूरे दिन धर्मपाल के पिता अथवा भाई से मिलने नहीं गया। उक्त साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि वह राजेश रैकवार को जानता है, जिसके पिता का

नाम राम रतन है। राजेश रैकवार गाँव में अपने मकान में रहता है तथा वह दिल्ली में मजदूरी करता है और समय–समय पर गाँव आता–जाता रहता है। उक्त साक्षी (पीडब्ल्यू–3) ने आगे अपने बयान में यह कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मृतक धर्मपाल के शव को दिनांक 27.01.2024 की रात्रि में बिहारी के खेत से पुलिस द्वारा उठाकर ले जाया गया था अथवा अगले दिन, अर्थात् 28.01.2024 को ले जाया गया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि वह दिनांक 27.01.2024 को सायं लगभग साढ़े छह बजे बिहारी के खेत पर जाने के पश्चात पुनः कभी वहाँ नहीं गया। साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि दिनांक 26.01.2024 को सायं लगभग चार बजे मृतक धर्मपाल का भाई रामपाल उसके घर आया था, तब उसने रामपाल को बता दिया था कि दिनांक 25.01.2024 को सायं लगभग सात बजे धर्मपाल अभियुक्त प्रेमचंद के साथ उसकी दुकान पर मुर्गे का मांस लेने आया था तथा तत्पश्चात वे गाँव की ओर चले गए थे। साक्षी ने यह भी कहा कि उसने यह बात किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताई। साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 27.01.2024 को सायं लगभग सवा सात बजे दरोगा जी ने उसे गाँव में जियालाल एवं रामपाल के घर पर बुलाया, जहाँ उसने दरोगा जी को भी यह बता दिया था कि दिनांक 25.01.2024 को सायं लगभग साढ़े सात बजे धर्मपाल एवं अभियुक्त प्रेमचंद उसकी दुकान पर मुर्गे का मांस लेने आए थे। साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 25.01.2024 को उसकी दुकान पर धर्मपाल के साथ अभियुक्त प्रेमचंद मुर्गे का मांस लेने नहीं आया था। अतः इस प्रकार पीडब्ल्यू–3, आज़ाद खान एक महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसने मृतक धर्मपाल को अभियुक्त प्रेमचंद के साथ देखा था।

38. उक्त साक्षी पी०डब्लू० –3 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि दिनांक 25.01.2024 को सायंकाल अभियुक्त प्रेमचंद एवं मृतक धर्मपाल एक साथ उसकी दुकान पर आए थे। उसके कथन में कोई ऐसा तथ्य परिलक्षित नहीं होता जो उसे अविश्वसनीय ठहराता हो। इसके साक्ष्य में कुछ विरोधाभास है परन्तु मुख्य तथ्य जिसमें उसने मृतक व अभियुक्त प्रेमचन्द्र का साथ–साथ देखा था। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

39. अभियोजन की ओर से पीडब्ल्यू–5 के रूप में भोजराज उर्फ भोजा को परीक्षित कराया गया है, जो एक महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्षी है। इस साक्षी ने भी पीडब्ल्यू–3 की भाँति दिनांक 25.01.2024 को मृतक धर्मपाल तथा अभियुक्त प्रेमचंद को एक साथ देखा होना बताया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि आज से लगभग सात माह पूर्व, शाम लगभग 07 बजे, उसे जानकारी मिली थी कि धर्मपाल को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से मारकर बिहारी के अरहर के खेत में फेंक दिया गया है। इससे लगभग दो दिन पूर्व, शाम करीब 06 बजे, वह अपने गाँव की अथाई पर बैठा हुआ था। उसी समय उसने प्रेमचंद तथा धर्मपाल को एक साथ प्रेमचंद के घर की ओर जाते हुए देखा था। धर्मपाल की हत्या की

सूचना मिलने के अगले दिन उसने धर्मपाल के भाई रामपाल को यह बात बता दी थी कि जब वह अथाई पर बैठा था, तब उसने प्रेमचंद और धर्मपाल को एक साथ जाते हुए देखा था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उस समय लगभग शाम के 06 बजे रहे होंगे तथा अथाई पर गाँव के कई लोग बैठे हुए थे, जिनमें हल्लू राजपूत, कल्लू पंडित तथा फूला राजपूत उसके पास बैठे थे और धर्म सेठ अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इस अथाई से गाँव के भीतर चार रास्ते जाते हैं। अथाई से प्रेमचंद का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर है तथा धर्मपाल का मकान लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस साक्षी ने आगे कहा कि उसने प्रेमचंद और धर्मपाल को किसी रास्ते से अथाई पर आते हुए नहीं देखा था, बल्कि दोनों को अथाई के पास खड़े हुए देखा था। जब वह अथाई पर बैठा हुआ था, तब उससे लगभग दस कदम की दूरी पर दोनों खड़े थे। उस दिन उसने पहली बार दोनों को अथाई पर एक साथ खड़ा देखा था; इससे पहले उसने दोनों को अथाई पर एक साथ कभी नहीं देखा था। इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि अथाई पर देखने के बाद धर्मपाल गायब हो गया था। अथाई पर प्रेमचंद और धर्मपाल को देखने के अगले दिन गाँव में धर्मपाल की खोजबीन करते समय धर्मपाल के पिता जियलाल तथा भाई रामपाल उसे पूरे दिन नहीं मिले थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने दोनों व्यक्तियों को प्रेमचंद के मकान की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ जाते हुए देखा था। वहाँ उपस्थित अन्य लोगों ने प्रेमचंद और धर्मपाल को देखा था या नहीं, इसके संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने आगे कहा कि यदि अथाई से दस – बीस कदम चलने के बाद प्रेमचंद और धर्मपाल अलग–अलग दिशा में चले गए हों, तो इसके संबंध में भी उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने दोनों को बिहारी के अरहर के खेत की ओर जाते हुए नहीं देखा था और न ही उन्हें आजाद खाँ के मकान या दुकान की ओर जाते हुए देखा था। इस साक्षी ने आगे कहा है कि राजेश रैकवार दिल्ली में मजदूरी करता है। जिस दिन उसने प्रेमचंद और धर्मपाल को अथाई पर देखा था, उस दिन राजेश रैकवार गाँव में ही था। उस दिन जब वह अपने हार में था, तब लगभग 03 बजे दिन में उसने राजेश रैकवार को रास्ते में अपने खेतों की ओर जाते हुए देखा था। राजेश रैकवार का खेत उसके खेत से एक–दो खेत छोड़कर पड़ता है। इस साक्षी ने आगे कहा कि उसे अथाई पर प्रेमचंद और धर्मपाल को देखने के तीसरे दिन शाम लगभग 07 बजे जानकारी मिली थी कि धर्मपाल की लाश बिहारी के अरहर के खेत में पड़ी है। यह जानकारी उसे तब मिली, जब वह शाम लगभग 07 बजे हार से वापस आ रहा था। रास्ते में गाँव के राजकुमार राजपूत तथा बबलू राजपूत ने उसे बताया था कि धर्मपाल का शव बिहारी के खेत में पड़ा हुआ है। इसके बावजूद वह धर्मपाल का शव देखने के लिए बिहारी के खेत पर नहीं गया, बल्कि सीधे अपने घर चला गया। धर्मपाल की मृत्यु की सूचना मिलने के अगले दिन उसकी मुलाकात जियलाल तथा रामपाल से हुई थी। इस साक्षी ने आगे कहा कि

उसने प्रेमचंद और धर्मपाल को अथाई पर देखने की बात दरोगा जी को भी बता दी थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसे यह ध्यान नहीं है कि जब उसने धर्मपाल को अथाई पर देखा था, तब वह कौन–कौन से तथा किस रंग के कपड़े पहने हुए था।

40. अभियोजन की ओर से राजेश रैकवार को पी०डब्लू०–9 के रूप में साक्षित कराया गया है। यह भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण साक्षी है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 25.01.2024 को वह अपने घर पर मौजूद था। उसी दिन घर के बाहर, बाड़ी ग्राम समाज की जमीन पर, शाम के समय थोड़ा–थोड़ा अंधेरा हो गया था और वह आग ताप रहा था। उसी समय उसके गाँव के प्रेमचंद व धर्मपाल दोनों लोग साथ में वहाँ आए। प्रेमचंद अपने हाथ में काली पन्नी में रखा हुआ तला हुआ मुर्गा लिए हुए था। प्रेमचंद ने उसे ₹200/– दिए और उससे कहा कि शराब का क्वार्टर लेकर जल्दी आओ। यह साक्षी रुपये लेकर शराब के ठेके पर गया। शराब के ठेके पर उसने देखा कि प्रीतम राजपूत शराब पी रहा था। इसके बाद जब वह शराब का क्वार्टर लेकर वापस आया, तो वहाँ पर प्रेमचंद और धर्मपाल नहीं मिले। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि जहाँ वह आग ताप रहा था, वहाँ उसके साथ ब्रजभारी विश्वकर्मा, अभियुक्त तथा प्रीतम के चाचा राजसिंह भी आग ताप रहे थे और अन्य कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसने काली पन्नी में रखा हुआ तला हुआ मुर्गा स्वयं नहीं देखा था, परन्तु क्योंकि मुर्गा बेचने वाला व्यक्ति तला हुआ मुर्गा बेचता है, इसलिए उसे अनुमान था कि काली पन्नी में तला हुआ मुर्गा ही होगा। इसी आधार पर उसने यह बयान दिया था। इस साक्षी ने आगे कहा कि जब अभियुक्त प्रेमचंद ने उससे शराब लाने के लिए पैसे दिए थे, तब उसने उससे कहा था कि शराब ले आओ, सब लोग मिलकर खाएँगे–पीएँगे। उसे शराब लेने तथा वापस आने–जाने में लगभग 15–20 मिनट का समय लगा था। वह दो पाउच, कुल ₹120/– के, लेकर आया था। जब वह वापस आया, तब प्रेमचंद और धर्मपाल वहाँ नहीं मिले। तब वह शराब के पाउच तथा बचे हुए रुपये लेकर अपने घर वापस आ गया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वह शराब के ठेके से अपने घर इसलिए चला आया था, क्योंकि रात हो रही थी और उसे वह पाउच अभियुक्त को नहीं देने थे। उसने सोचा था कि वे लोग उसके घर आकर अपने शराब के पाउच ले लेंगे और शेष ₹80/– रुपये वापस ले जाएँगे। इस साक्षी ने आगे कहा कि उसे दिनांक 27 जनवरी को लगभग शाम 04:00–05:00 बजे जानकारी हुई थी कि धर्मपाल को किसी ने बिहारी के खेत में मारकर फेंक दिया है। इस बीच मृतक धर्मपाल के पिता, भाई या अन्य रिश्तेदारों से धर्मपाल के दिखाई देने के संबंध में उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि इन दो–तीन दिनों के दौरान वह गाँव में ही था। दिनांक 26.01.2024 से लेकर दिनांक 27.01.2024 को शाम लगभग 04:00–05:00 बजे तक उसे इस बीच यह जानकारी नहीं हुई थी कि उससे

मिलने के बाद मृतक धर्मपाल घर नहीं पहुँचा था और वह गायब हो गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि धर्मपाल का शव बिहारी के खेत में पड़ा होने की जानकारी उसे किसी ने नहीं दी थी। जब बिहारी के खेत पर पुलिस पहुँची थी और मृतक के शव को गाड़ी में रखकर ले जाया जा रहा था, तभी उसे इस घटना की जानकारी हुई। यह जानकारी उसे दिनांक 27.01.2024 को ही लगभग शाम 04:00–05:00 बजे प्राप्त हुई थी। अभियोजन के साक्षी PW–9 राजेश रैकवार ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दि0 25.01.2024 को शाम के समय उसने मृतक धर्मपाल और अभियुक्त प्रेमचंद को एक साथ देखा था तथा अभियुक्त प्रेमचंद ने उससे शराब लाने के लिए ₹200 दिए थे। इस प्रकार अभियोजन ने उसके माध्यम से मृतक और अभियुक्त के साथ होने की परिस्थिति स्थापित करने का प्रयास किया है। किन्तु इस साक्षी के कथन का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उसने काली पन्नी में रखे तले हुए मुर्गे को स्वयं नहीं देखा था, बल्कि केवल अनुमान के आधार पर यह कहा है कि उसमें तला हुआ मुर्गा रहा होगा। इसके अतिरिक्त उसने यह भी स्वीकार किया है कि शराब लेकर वापस आने पर अभियुक्त व मृतक वहाँ नहीं मिले और वह शराब के पाउच व शेष रुपये लेकर अपने घर चला आया।

41. यह उल्लेखनीय है कि परिस्थितिजन्य साक्षीगण पी०डब्लू० –3 पी०डब्लू०–5, पी०डब्लू०–9 द्वारा अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप में कहा है कि उनके द्वारा मृतक धरमपाल को अभियुक्त प्रेमचन्द्र के साथ देखा। इन साक्षीगण के बयान में सूक्ष्म विरोधाभास है। परन्तु ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जिससे कि इस बात का खण्डन होता हो कि दिनांक 25.01.2024 को मृतक धरमपाल अभियुक्त प्रेमचन्द्र के साथ नहीं था। क्योंकि इन तीनों साक्षीगणों ने मृतक व अभियुक्त को अलग–अलग समय व अलग–अलग स्थान पर एक साथ देखा। अभियुक्त द्वारा अपने साक्ष्य इसका न तो खण्डन किया गया है और न ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार इन साक्षीगण के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास नहीं है। जबकि अन्य साक्षीगण के साक्ष्य से भी घटना का समर्थन होता है। पी०डब्लू०–6 व पी०डब्लू०–7 द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। जबकि पी०डब्लू०–3 पी०डब्लू०–5, पी०डब्लू०–9 द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय है तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां जुड़ती हुई प्रतीत होती है।

42. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत पीडब्ल्यू–6 अभिलाषा, मृतक धर्मपाल की बहन, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 25.01.2024 को उसका भाई धर्मपाल घर से दो किलो मूँगफली लेकर शाम को लगभग चार बजे घर से चला था। उस समय वह घर पर थी, फिर वह वापस नहीं आया। उसने आगे यह भी कहा कि जब वह नहीं मिला और उसे ढूँढ़ते–ढूँढ़ते 26.01.2024 तक भी कोई जानकारी नहीं मिली, तब दिनांक 26.01.2024 को रात में उसके पिताजी ने बताया था कि उन्हें एक मुसलमान, जो मुर्गा बेचता है, ने बताया था कि

दिनांक 25.01.2024 को शाम को प्रेमचंद व धर्मपाल मुर्गा लेकर उसकी दुकान से दोनों साथ चले गए थे। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि दिनांक 27.01.2024 को शाम लगभग छह से साढ़े छह बजे के बीच गुलाब चौकीदार ने घर पर आकर बताया था कि धर्मपाल की लाश बिहारी के खेत में पड़ी है। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि दिनांक 25.01.2024 को ही रात में उसके ससुर जगत सिंह ने हम लोगों को बताया था कि शाम को उन्होंने प्रेमचंद के साथ धर्मपाल को हार की तरफ जाते हुए देखा था। इसने अपनी मुख्य परीक्षा में एक नई बात यह भी बताई कि घटना के लगभग पाँच दिन पहले धर्मपाल ने उसे बताया था कि प्रेमचंद और प्रीतम ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। उसके भाई धर्मपाल को प्रेमचंद ने मुर्गा खिलाने के बहाने ले जाकर अपने भाई प्रीतम के साथ मार डाला है। जब चौकीदार ने दिनांक 27.01.2024 को शाम लगभग सात बजे हमारे घर पर धर्मपाल के शव के संबंध में जानकारी दी, उस समय घर पर वह, उसका भाई, उसके पिता, उसके ससुर, उसकी माँ और रामपाल की पत्नी आदि मौजूद थे। इस साक्षी ने आगे कहा कि अभियुक्तगण ने उसके सामने उसके भाई धर्मपाल को धमकी नहीं दी थी, बल्कि उसके भाई धर्मपाल ने अभियुक्तगण द्वारा घटना के पहले धमकी देने की बात उसे बताई थी। लेकिन दिनांक 25.01.2024 को प्रीतम दिन में उसके घर आया था और उसके भाई धर्मपाल का मोबाइल नम्बर माँगा था। हम लोगों ने उसे भाई का नम्बर नहीं दिया था, तो वह वापस चला गया था। मैंने प्रीतम के घर आने वाली बात आज से पहले किसी को नहीं बताई थी; आपने पूछा तो मैंने बताया। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि उसके भाई धर्मपाल ने अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने की बात घटना से पाँच दिन पहले बताई थी। पीडब्ल्यू–6 अभिलाषा मृतक की बहन है, परन्तु वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उसका अधिकांश कथन श्रुतलेख (hearsay) पर आधारित है। उसने स्वयं अभियुक्तगण को मृतक के साथ जाते हुए नहीं देखा है तथा धमकी की बात भी उसे मृतक द्वारा बताई गई बताती है। प्रीतम के उसके घर आने और मोबाइल नम्बर माँगने की बात भी उसने पहली बार न्यायालय में कही है। अतः उसका साक्ष्य स्वतंत्र रूप से अभियुक्तगण के विरुद्ध घटना साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

43. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य परिस्थितिजन्य साक्षी पीडब्ल्यू–7 अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 25.01.2024 को वह अपनी बहू अभिलाषा को लेने के लिए सगुनिया माफ़ गया था। वह लगभग दोपहर 12:00 बजे अभिलाषा के मायके पहुँच गया था। वहाँ पहुँचकर उसने चाय–नाश्ता किया तथा शाम को गाँव घूमने और शौच क्रिया आदि के लिए घर से निकल गया। शाम लगभग 06:00 बजे उसने मृतक धर्मपाल को प्रेमचंद राजपूत के साथ हार (खेत) की तरफ जाते हुए देखा था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वह प्रेमचंद राजपूत को घटना से पहले से जानता है, क्योंकि वह हलवाई का काम करता है। इस साक्षी ने

आगे यह भी बताया कि घटना के बाद उसकी बहू अभिलाषा ने सभी लोगों को बताया था कि धर्मपाल ने अभिलाषा को यह बताया था कि पाँच दिन पहले प्रेमचंद और प्रीतम ने धर्मपाल को जान से मारने की धमकी दी थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह गाँव में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जानता तथा न ही वह किसी के नाम जानता है, क्योंकि वह अपने काम से काम रखता है। उसकी एक बहू विनीता उसके घर में थी तथा अभिलाषा करीब 10–12 दिन पहले अपने मायके सगुनिया गाँव आई हुई थी। वह अभिलाषा को ले जाने के लिए सगुनिया माफ़ इसलिए गया था, क्योंकि उसकी बहू अभिलाषा ने फोन पर यह सूचना दी थी कि बच्चे की तबीयत खराब है, इसलिए वह उसे लेने उस दिन आया था। उसने यह भी कहा कि वह उस दिन बच्चे को दिखाने और बहू अभिलाषा को लेकर इसलिए नहीं गया था, क्योंकि उस दिन धर्मपाल को सभी लोग ढूँढ़ रहे थे। तत्पश्चात शव मिलने तथा अंतिम क्रिया होने के बाद वह अपनी बहू को ले जाकर अपने घर आया था। इस साक्षी ने आगे कहा कि वह उस दिन शौच क्रिया के लिए काबर हार की तरफ गया था तथा वह शौच के लिए अकेला गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि जिस रास्ते से वह शौच के लिए जाता था, उस रास्ते में प्रेमचंद का घर नहीं पड़ता है। उसने मृतक धर्मपाल तथा प्रेमचंद को गाँव से बाहर की तरफ हार की ओर जाते हुए देखा था, किन्तु उसने दोनों को किस सटीक स्थान पर देखा था, उस स्थान के बारे में उसे जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि लगभग 07:00 बजे शाम को वह गाँव घूमकर वापस अपने समधी जियालाल के घर पहुँचा। वहाँ लोगों ने बताया कि रामपाल घर पर नहीं आया है। तब उसने सब लोगों के सामने यह बताया कि शाम को उसने धर्मपाल को प्रेमचंद राजपूत के साथ हार (खेत) की तरफ जाते हुए देखा था। उसने यह भी कहा कि यदि विवेचक ने उक्त बात को उसके बयान में अंकित नहीं किया हो, तो वह इसके संबंध में कोई कारण नहीं बता सकता। इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 26.01.2024 को धर्मपाल की खोजबीन की गई तथा रिश्तेदारों में भी जानकारी की गई, किन्तु धर्मपाल के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। दिनांक 27.01.2024 को शाम लगभग 06:00 से 06:30 बजे के बीच गाँव के चौकीदार ने घर आकर बताया कि धर्मपाल की लाश अरहर के खेत के बीच में पड़ी है, तब सभी लोग मौके पर गए थे। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि वह सगुनिया गाँव में वर्ष में एक–दो बार ही आता–जाता था, कभी शादी–विवाह या किसी काम के अवसर पर ही सगुनिया आता था। मृतक धर्मपाल किन–किन लोगों के साथ घूमता था, इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने यह भी कहा कि वह यह नहीं जानता कि धर्मपाल शराब पीता था या नहीं, तथा उसने धर्मपाल को गाँव सगुनिया में कभी मांस–मुर्गा खाते हुए नहीं देखा था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वह मिठाई के काम के कारण प्रेमचंद को जानता है, क्योंकि प्रेमचंद भी मिठाई बनाने का कार्य करता है। इस साक्षी ने आगे कहा कि दिनांक 25.01.2024 को

शाम लगभग 07:00 बजे जब उसने धर्मपाल को प्रेमचंद के साथ देखने की बात जियालाल एवं अन्य घरवालों को बताई थी, तब उसने यह नहीं कहा था कि इस संबंध में थाने में सूचना दे दी जाए। उसने जियालाल एवं रामपाल से यह भी नहीं कहा था कि थाने जाकर यह सूचना दें कि उसने दिनांक 25.01.2024 को शाम के समय धर्मपाल को प्रेमचंद के साथ हार की तरफ जाते हुए देखा था। उस समय उसने जियालाल एवं रामपाल से यह कहा था कि पहले धर्मपाल मिल जाए, उसके बाद ही सूचना दी जाएगी।

44. इस साक्षी पी०डब्लू०–7 ने अपने बयान में यह कहा है कि उसने दिनांक 25.01.2024 को लगभग 06:00 बजे शाम को मृतक धर्मपाल को अभियुक्त प्रेमचन्द राजपूत के साथ गाँव के बाहर हार (खेत) की ओर जाते हुए देखा था। किंतु इस साक्षी का कथन पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसने स्वयं स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त प्रेमचन्द को पहले से पहचानता था, फिर भी उसने यह बात तत्काल पुलिस अथवा किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं बताई और केवल घर वालों के बीच चर्चा करने की बात कही। यह रिश्तेदार है इसकी तुलना गांव के अन्य व्यक्तियों से नहीं कर सकते। इसको बताना चाहिए था। इसलिए इसकी रास्ते या गांव में उपस्थिति संदिग्ध है। साथ ही साक्षी यह भी स्पष्ट नहीं कर पाया कि उसने दोनों को गाँव के बाहर किस सटीक स्थान पर देखा था। उसके कथन में यह भी विरोधाभास है कि एक ओर वह अभियुक्त को पहले से पहचानने की बात कहता है, जबकि दूसरी ओर यह भी कहता है कि वह उसे पहले नहीं जानता था। इसके अतिरिक्त साक्षी का घटना के संबंध में व्यवहार भी स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यदि उसने वास्तव में मृतक को अभियुक्त के साथ जाते देखा होता तो वह तत्काल इसकी सूचना पुलिस या मृतक के परिजनों को स्पष्ट रूप से देता। अतः समग्र परिस्थितियों में इस साक्षी का कथन पूर्णतः विश्वसनीय एवं निष्कलंक नहीं प्रतीत होता और इसके आधार पर इस साक्षी की "last seen" की कहानी संदेह से परे प्रतीत नहीं होती ।

45. अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–10 के रूप में गुलाब बसोर को परीक्षित कराया गया है, जिसने सबसे पहले वादी मुकदमा को सूचना दी थी। इस साक्षी ने कहा है कि वह ग्राम सगुनिया माफ़ का रहने वाला है तथा गाँव का चौकीदार है। दिनांक 25 जनवरी को उसकी ड्यूटी थाना अजमेर में लगी थी। दिनांक 26.01.2024 को दोपहर भोजन के बाद उसी थाने से उसकी छुट्टी हो गई थी। दिनांक 27.01.2024 को उसके लड़के अनिल ने उसे बताया कि बिहारी के अरहर के खेत में लाश पड़ी है। इसके बाद वह बिहारी के अरहर के खेत में गया और वहाँ लाश देखी। लाश देखने के बाद उसने थाना अजमेर में इसकी सूचना दी। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसने धर्मपाल के घर जाकर उसके पिता जियालाल को भी इसकी सूचना दी थी। उस समय प्रीतम व प्रेमचंद अपने घर पर मौजूद नहीं थे। इस साक्षी ने आगे कहा कि

उसका लड़का अनिल गाँव में रहकर खेती का काम करता है। जब वह गाँव बेलाताल में था, तब उसके लड़के अनिल ने उसे फोन करके बताया कि धर्मपाल का शव बिहारी के अरहर के खेत में पड़ा है। यह सूचना उसे लगभग दोपहर साढ़े तीन बजे मिली थी। सूचना मिलने के लगभग दस मिनट बाद वह अपने गाँव सगुनिया माफ़ आ गया था। गाँव पहुँचने के बाद उसने गाँव के प्रधान हरिश्चंद्र कोरी को सूचना देकर बुलाया। कुछ अन्य गाँव के लोग भी आ गए थे। इसके बाद वह उन लोगों के साथ बिहारी के खेत पर गया था। उसके बिहारी के खेत पर पहुँचने के लगभग दस मिनट बाद वादी जियालाल तथा उसका पुत्र रामपाल भी वहाँ पहुँच गए थे। जियालाल और रामपाल भी उसी सूचना पर खेत में पहुँचे थे। इस साक्षी ने कहा कि धर्मपाल का शव देखने के तुरंत बाद उसने बिहारी के खेत से ही दरोगा जी को फोन करके शव पड़े होने की सूचना दी थी। उसने लगभग शाम 04:00 बजे शव देखा था और उसी समय दरोगा जी को सूचना दी थी। सूचना देने के लगभग आधा घंटा बाद दरोगा जी तथा पुलिसकर्मी बिहारी के खेत पर आ गए थे। इस साक्षी ने आगे कहा कि उसके सामने जियालाल व रामपाल शव के साथ थाने नहीं गए थे, वे कहाँ गए थे, यह उसने नहीं देखा। इस साक्षी ने यह भी कहा कि धर्मपाल के लापता होने के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि धर्मपाल किसके साथ आया था और किस प्रकार बिहारी के खेत तक पहुँचा। इस साक्षी ने आगे कहा कि उसके लड़के अनिल ने धर्मपाल के शव के पड़े होने की सूचना उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी थी। अनिल लगभग तीन–चार बजे दिन में जानवर चराने के लिए बिहारी के खेत की ओर गया था, तभी उसने धर्मपाल का शव वहाँ पड़ा देखा था। इसके बाद वह वहाँ से गाँव भागकर आया और उसे इसकी सूचना दी थी। अंत में इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसे मृतक धर्मपाल के संबंध में किसी अन्य प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि पी०डब्लू०–10 गुलाब बसोर ने यह कहा है कि उसे धर्मपाल का शव बिहारी के अरहर के खेत में पड़े होने की सूचना उसके पुत्र अनिल ने दी थी। अर्थात् इस साक्षी की जानकारी प्रत्यक्ष न होकर उसके पुत्र अनिल से प्राप्त सूचना पर आधारित है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनिल, जिसने सबसे पहले शव देखने की बात कही गयी है, उसे अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया। इस कारण इस साक्षी का कथन श्रुतलेख (hearsay) प्रकृति का हो जाता है। अतः अनिल को साक्षी के रूप में परीक्षित न कराए जाने के कारण पी०डब्लू–10 के कथन की प्रमाणिकता सीमित हो जाती है और इससे अभियोजन के मामले को कोई ठोस प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त नहीं होता बल्कि मात्र सूचनाकर्ता है। बचाव पक्ष कहना है कि PW–10 ने अपने बयान में कहा है कि उसके पुत्र अनिल ने फोन करके बताया था कि बिहारी के अरहर के खेत में धर्मपाल की लाश पड़ी है। परन्तु अभियोजन की ओर से अनिल को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अनिल इस संबंध में

स्पष्ट रूप से साक्ष्य दे सकता था और संभवतः इससे बेहतर साक्ष्य दे सकता था। परन्तु इसमें अभियोजन ने अनिल को परीक्षित नहीं कराया है, जिससे अभियोजन साक्ष्य में एक कमी प्रतीत होती है। हालांकि अभियोजन की ओर से यह कहा गया है कि अनिल ने मात्र सूचना दी थी और चूँकि पी०डब्लू–10 गाँव का चौकीदार था, इसलिए चौकीदार होने के कारण अनिल ने अपने पिता को फोन किया था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पी०डब्लू० –10 का मुख्य कार्य केवल यह था कि सूचना प्राप्त होने के बाद उसने वादी को सूचना दी , और चौकीदार होने के नाते गाँव के प्रधान को भी बुलाया।

46. अभियोजन की ओर से पीडब्ल्यू–4 के रूप में कांस्टेबल राजेश कुमार राज को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा जी.डी. कायमी को साबित किया है। इस साक्षी ने कहा है कि उसने तहरीर के आधार पर जी.डी. नंबर–43, समय 22 बजकर 23 मिनट, दिनांक 27.01.2024 को अंकित किया था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिप्रच्छा में भी कहा है कि उसने मूल एफआईआर पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर, एफआईआर दर्ज होने के बाद थाने पर नहीं करवाए थे, बल्कि उसने एफआईआर की प्रति बिना हस्ताक्षर के प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में रिक्शा द्वारा आरक्षी अनुरूद्ध प्रताप सिंह के माध्यम से थानाध्यक्ष के पास आवश्यक कागजातों सहित घटनास्थल पर भेजी थी। सामान्यतः एफआईआर पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए बिना उसे थाने से नहीं भेजा जाता है, किंतु उस समय थानाध्यक्ष द्वारा यह कहा गया था कि वह घटनास्थल पर पहुँच रहे हैं, अतः एफआईआर वहीं भेज दी जाए, जहाँ वह उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि तहरीर लेकर मुननालाल, वादी तथा उसके लड़के के साथ थाने पर नहीं आया था। जो तहरीर उसे वादी द्वारा दी गई थी, उस पर किसी भी हमलावर का नाम अंकित नहीं था, इसलिए उसने अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है और इसने मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के संबंध में न तो कोई संदेह है और न ही कोई विवाद है।

47. पीडब्ल्यू–11 के रूप में उपनिरीक्षक अनुरुद्ध प्रताप सिंह को प्रस्तुत किया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि एफ .आई.आर., नकल रिपोर्ट तथा पंचायतनामा से संबंधित कागजात प्राप्त होने के उपरांत, पंचायतनामा की कार्यवाही करने हेतु वह हमराहा आरक्षियों के साथ ग्राम सगुनियामाफ स्थित घटनास्थल पर गया था। उस समय घटनास्थल पर फील्ड यूनिट टीम तथा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार मौजूद मिले थे। यह साक्षी दिनांक 27.01.2024 को घटनास्थल पर पहुँचा था तथा वहाँ गाँव के अन्य लोग भी उपस्थित थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि रात्रि होने के कारण फील्ड यूनिट टीम द्वारा घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्रित कर उन्हें संरक्षित किया गया था। रात्रि होने के कारण उसके द्वारा अगले

दिन दिनांक 28.01.2024 को मृतक धर्मपाल के शव का पंचायतनामा किया गया। पंचायतनामा की कार्यवाही के दौरान निरीक्षण करने पर मृतक के शरीर पर कुल छह चोटें पाई गई थीं। मृतक की बाईं ओर की गर्दन धारदार हथियार से कटी हुई थी, सिर के पीछे तथा गर्दन के पीछे चोटें थीं, जो खून से लथपथ थीं। मृतक के मुँह, गाल एवं माथे पर भी धारदार हथियार से लगी हुई रक्तरंजित चोटें पाई गईं। मृतक के पेट पर घसीटे जाने के निशान भी बने हुए थे। पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरांत शव को सील–मुहर कर पोस्टमार्टम हेतु जिला पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि घटनास्थल से उसने मृतक के जूते, खून से लथपथ मिट्टी, सादी मिट्टी, एक चश्मा जिसमें रक्त के धब्बे व लकड़ी की बैटी फटी हुई, रैपर ब्लू फ्लैग देसी शराब सदा 200 एम एल का कागज का पाउच, व एक अदत प्लास्टिक का खाली गिलास आदि वस्तुएँ बरामद कर, उन्हें अलग–अलग पॉलिथीन में रखकर नमूना बनाते हुए सील–मुहर किया था। साक्षी ने आगे कहा कि दिनांक 30.01.2024 को वह थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के साथ अभियुक्तों की तलाश में गया था। दिनांक 02.02.2024 को अभियुक्त प्रीतम राजपूत को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर लोहे की कुल्हाड़ी, जिसमें लकड़ी का बेंट लगा हुआ था, तथा एक फुल आस्तीन की काले रंग की चेकदार शर्ट और एक रंग–बिरंगी हाफ टी–शर्ट बरामद की गई। इसी प्रकार अभियुक्त प्रेमचंद से लोहे का बांका (फसल काटने वाला औजार) बरामद होना बताया गया है। इस साक्षी ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्श क–5 से प्रदर्श क–16 तक तथा बरामद वस्तुओं को वस्तु प्रदर्श–1 से वस्तु प्रदर्श–12 तक के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह दिनांक 27.01.2024 को थाने से कितने बजे रवाना हुआ था, उसे स्मरण नहीं है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि वह रात्रि में लगभग 11 बजे घटनास्थल पर पहुँचा था। पंचायतनामा की कार्यवाही कराने वाले वादी जियालाल तथा उसके परिवार के सदस्य थाने से उसके साथ घटनास्थल पर नहीं आए थे, बल्कि वे अलग से वहाँ पहुँचे थे। साक्षी ने यह भी कहा कि वह घटनास्थल पर पहुँचने के उपरांत दिनांक 28.01.2024 को पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण करने के बाद लगभग दोपहर 12 बजे तक पुलिस बल के साथ वहाँ उपस्थित रहा। इस बीच वह अभियुक्तों के संबंध में जानकारी भी करता रहा, क्योंकि एफ.आई.आर. अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। मुल्जिमों के नाम अगले दिन कितने बजे ज्ञात हुए, यह उसे स्मरण नहीं है तथा उसने यह भी कहा कि इस संबंध में जानकारी विवेचक को होगी। साक्षी ने आगे कहा कि पुलिस पार्टी ने अभियुक्त प्रीतम को ग्राम सगुनिया मोड़ के पास बने प्रतीक्षालय के समीप दिन में लगभग 11 बजे गिरफ्तार किया था। अभियुक्त प्रीतम की गिरफ्तारी के समय उसकी तलाशी ली गई थी, किन्तु उसके पास पहने हुए कपड़ों के अतिरिक्त कोई रुपये–पैसे अथवा अन्य सामान बरामद नहीं हुआ था। अभियुक्त प्रीतम की

निशानदेही पर घटना से संबंधित जो वस्तु बरामद की गई, वह स्थान गिरफ्तारी स्थल से लगभग 6 किलोमीटर दूर था। अभियुक्त प्रेमचंद की निशानदेही पर जो बरामदगी की गई, वह स्थान उक्त बरामदगी स्थल से लगभग 20–25 कदम की दूरी पर था। दोनों बरामदगी स्थल ठाकुर बाबा के चबूतरे के समीप स्थित बताए गए हैं। साक्षी ने आगे कहा कि टी–शर्ट अभियुक्त प्रीतम के कब्जे से बरामद हुई थी और प्रीतम ने बताया था कि घटना के समय अभियुक्त प्रेमचंद ने यही टी–शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे। किन्तु यह टी–शर्ट परिस्थितिजन्य साक्षियों को नहीं दिखाई गई थी और न ही इस बात की पुष्टि की गई थी कि घटना के समय वास्तव में प्रेमचंद ने उक्त टी–शर्ट पहनी थी या नहीं। साक्षी ने आगे यह भी कहा कि घटनास्थल पर मृतक का शव देखने तथा पंचायतनामा की कार्यवाही करने के समय मृतक की गर्दन कटी हुई थी तथा चेहरे पर अन्य घाव भी थे, जो किसी धारदार हथियार से पहुँचाए गए प्रतीत होते थे। इस संबंध में उसने पंचायतनामा में उल्लेख किया है। साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 02.02.2024 को अभियुक्त प्रेमचंद को सगुनिया मोड़ के रास्ते से गिरफ्तार किया गया था तथा उसकी निशानदेही पर झाड़ियों से लोहे का बांका (आला कत्ल) बरामद किया गया था। अभियुक्त प्रेमचंद की गिरफ्तारी लगभग 12 बजे की गई थी। यह साक्षी पुलिस का साक्षी है, जिसने पंचायतनामा की कार्यवाही कराई तथा घटनास्थल से प्राप्त वस्तुओं को सील–मुहर कर सुरक्षित कराया। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने कोई अन्य स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। हाँ, इस साक्षी ने यह अवश्य कहा है कि वह दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्यवाही में सम्मिलित था। अब यह देखना शेष है कि विवेचक द्वारा इस संबंध में क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

48. अभियोजन की ओर से विवेचक प्रवीण कुमार सिंह को पीडब्ल्यू–12 के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 28.01.2024 को वह थाना अजनर में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। उसी दिन उसने मुकदमा अपराध संख्या 17/2024, धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता, थाना अजनर की विवेचना ग्रहण की। साक्षी ने कहा कि उसने वादी जियालाल राजपूत का बयान अंकित किया तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। इसके उपरांत साक्षी आजाद खान तथा राजेश पुत्र रामरतन के बयान अंकित किए तथा घटना के संबंध में गाँव में घूम–फिरकर जानकारी प्राप्त की। पुनः घटनास्थल पर पहुँचकर जनपदीय फील्ड यूनिट द्वारा लिए गए भौतिक साक्ष्यों के संबंध में फर्द चालान प्राप्त कर उसका अभिलेखन किया। दिनांक 29.01.2024 साक्षी रामसेवक, भोजराज तथा गुलाब बसौर के बयान अंकित किए गए। इसके उपरांत वह वादी मुकदमा के घर गया और वादी के बड़े पुत्र रामलाल के संबंध में पूछताछ की, तब जानकारी मिली कि रामलाल महोबा गया हुआ है। इस दौरान उसने मुखबिर खास से

सूचना प्राप्त की। साक्षी ने आगे कहा कि उसने एसएसआई अनिरुद्ध प्रताप सिंह तथा अन्य पुलिसकर्मियों के भी बयान लिए। मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 25/26 जनवरी की रात्रि में ग्राम सगुनियामाफ निवासी प्रेमचंद राजपूत और उसका भाई प्रीतम राजपूत ने मिलकर अपने ही गाँव के धर्मपाल की अरहर के खेत में हत्या कर शव फेंक दिया है, तथा अभियुक्त प्रीतम राजपूत कहीं भागने की फिराक में है। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त प्रीतम राजपूत तथा प्रेमचंद राजपूत को गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशानदेही पर लोहे की कुल्हाड़ी तथा बांका (फसल काटने वाला औजार) बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त दोनों अभियुक्तों से टी–शर्ट भी बरामद की गई। यह साक्षी विवेचक है और इसने प्रदर्श क–17, क–18, क–19, क–20, क–21, क–22, क–23, क–24, क–25, क–26 तथा क–27 को सिद्ध किया है। इसके अतिरिक्त इसने वस्तु प्रदर्श–13 तथा वस्तु प्रदर्श–14 को भी सिद्ध किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि जब वादी घटना की एफआईआर दर्ज कराने थाने आया था, उस समय वह पुलिस लाइन महोबा में गया हुआ था। उसे घटना के संबंध में फोन द्वारा थाने से सूचना दी गई थी और वह लगभग एक से डेढ़ घंटे में घटनास्थल पर पहुँच गया था। घटनास्थल पर पहुँचने पर फील्ड यूनिट टीम भी वहाँ पहुँच गई थी। उसने घटनास्थल पर पड़े शव को रात्रि में तथा पंचायतनामा के समय देखा था। उसके अनुसार मृतक की सभी चोटें धारदार हथियार से पहुँची हुई प्रतीत हो रही थीं तथा वादी ने भी अपनी एफआईआर में धारदार हथियार से हत्या किए जाने का उल्लेख किया है। साक्षी ने आगे कहा कि उसने परिस्थितिजन्य साक्षी आजाद खान और राजेश रैकवार के बयान गाँव में जाकर अंकित किए थे, किन्तु यह स्मरण नहीं है कि कितने बजे अंकित किए थे। आजाद खान ने बताया था कि मृतक धर्मपाल और अभियुक्त प्रेमचंद ने उसकी दुकान से मुर्गा लेकर काली पॉलिथीन में रखवाया था, किन्तु यह नहीं बताया कि मुर्गा लेने के बाद वे दोनों कहाँ गए थे। राजेश ने बताया था कि मृतक धर्मपाल ने उससे शराब माँगी थी और जब वह ठेके से शराब के पाउच लेकर आया, तब वहाँ अभियुक्त नहीं मिले थे। साक्षी ने आगे कहा कि वह दोनों अभियुक्तों की तलाश में उनके घर गया था, जहाँ उनकी माँ ने बताया कि दोनों घर पर नहीं हैं। उस समय तक उसने दोनों अभियुक्तों को इस मुकदमे में मुल्जिम नहीं बनाया था और दिनांक 29.01.2024 को भी उनके नाम अभियोग में अंकित नहीं किए थे। साक्षी ने यह भी कहा कि उसने रामसेवक का बयान अंकित किया था। रामसेवक ने बताया था कि दिनांक 27.01.2024 को सुबह लगभग 8–9 बजे वह खेत पर शौच करने गया था, जहाँ उसने शव पड़ा हुआ देखा था और इसकी सूचना चौकीदार के पुत्र अनिल को दी थी। इस प्रकार दिनांक 27.01.2024 को सुबह 8–9 बजे तक गाँव में शव पड़े होने की जानकारी हो गई थी, किन्तु रात्रि 8 बजे से लेकर एफआईआर दर्ज होने तक (22:30 बजे तक) किसी ने भी थाने पर या

उसे इसकी सूचना नहीं दी। साक्षी ने आगे कहा कि उसने भोजराज का भी बयान अंकित किया था, जिसमें उसने बताया कि शाम लगभग 6 बजे तक मृतक धर्मपाल को अभियुक्त प्रेमचंद के साथ गाँव में अटारी से अपने घर की ओर जाते हुए देखा था तथा उस समय अभियुक्त प्रेमचंद रंग–बिरंगी हाफ टी–शर्ट और जैकेट पहने हुए था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि विवेचना के दौरान अभियुक्त प्रेमचंद की उक्त जैकेट बरामद नहीं हुई और न ही उसका रंग स्पष्ट रूप से बताया गया था। यह भी सही है कि प्रेमचंद की निशानदेही पर केवल घटना में प्रयुक्त बांका ही बरामद हुआ था। साक्षी ने आगे कहा कि उसने विवेचना के दौरान बरामद टी–शर्ट को परिस्थितिजन्य साक्षियों आजाद खान, राजेश रैकवार, भोजराज, जगत सिंह, रामपाल तथा जियालाल को दिखाकर यह पुष्टि नहीं कराई थी कि घटना के समय अभियुक्त प्रेमचंद ने वही टी–शर्ट पहनी थी या नहीं। चूँकि प्रीतम ने बताया था कि यह खून लगी टी–शर्ट प्रेमचंद की है, इसलिए उसने साक्षीगण को दिखाकर इस संबंध में पूछताछ नहीं की। उसने इस प्रकरण के परिस्थितिजन्य साक्षी अविलासा, मृतक की बहन तथा उसके ससुर जगत सिंह का बयान लिया था। उसने बताया कि इन साक्षियों के बयान दिनांक 04.02.2024 को दर्ज किए गए थे, क्योंकि उनके घर में बड़ी घटना होने के कारण उनके बयान विलंब से लिए गए थे। उसने यह भी कहा कि दिनांक 30.01.2024 को अभियुक्त प्रीतम की गिरफ्तारी के पूर्व तक अपनी विवेचना में उसने अभियुक्त प्रीतम व प्रेमचंद को अभियुक्त नहीं बनाया था। इस साक्षी ने कहा कि प्रीतम की गिरफ्तारी के बाद प्रीतम ने धर्मपाल की हत्या अपने भाई प्रेमचंद के साथ करने का जुर्म स्वीकार कर लिया था। इस साक्षी ने आगे कहा कि पूरी विवेचना में किसी भी साक्षी ने उसे मृतक धर्मपाल को अभियुक्त प्रीतम के साथ देखे जाने का बयान नहीं दिया। बल्कि साक्षी राजेश ने बताया था कि जब वह प्रेमचंद के लिए शराब लेने ठेके पर गया था, तब वहाँ प्रीतम अकेला बैठा शराब पी रहा था। साक्षी भोजराज उर्फ भोला ने भी प्रीतम के संबंध में कोई बयान नहीं दिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसने पूरी विवेचना के दौरान मृतक के पास से बरामद उसके मोबाइल को निकालकर यह साक्ष्य संकलित नहीं किए कि अभियुक्त ने घटना दिनांक के पूर्व या घटना वाले दिन किन–किन लोगों को फोन लगाकर बातचीत की थी और उसके फोन पर किन–किन व्यक्तियों की कॉल आई थी। इस साक्षी ने आगे यह बयान दिया कि विवेचना में अभियुक्तगण प्रीतम व प्रेमचंद के बयानों से धर्मपाल की हत्या करने का यह मोटिव ज्ञात हुआ था कि मृतक धर्मपाल घटना के पूर्व से अभियुक्तगण की बहन पर, उनके घर से निकलते समय, बुरी नजर रखता था। यह बयान अभियुक्तगण ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा में दिया था। इस साक्षी ने यह भी कहा कि अभियुक्त द्वारा बताए गए उपरोक्त मोटिव की पुष्टि पूरी विवेचना में किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई। इस साक्षी ने आगे कहा कि स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अथवा मृतक के पिता, भाई, बहन अभिलाषा के द्वारा दिए गए कथनों में

भी इस प्रकार का मोटिव नहीं बताया गया है। जब उसने मृतक की बहन अभिलाषा का बयान लिया था, तो अभिलाषा ने अपने कथन में उसे घटना का मोटिव बताया था कि घटना के पूर्व एक दिन खाने–पीने को लेकर मृतक का विवाद अभियुक्त प्रेमचंद से हो गया था, इसी बात पर दोनों भाई अंदर से कुन्नस रखे हुए थे। अभिलाषा ने अपने बयान में यह भी बताया था कि धर्मपाल को कुछ दिन पूर्व गाँव के प्रेमचंद राजपूत और उसके छोटे भाई प्रीतम राजपूत ने धमकी दी थी कि तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे कि कभी कोई सोचेगा भी नहीं। यह बात मृतक ने अपने जीवनकाल में उसे बताई थी। परन्तु अभिलाषा के इस कथन की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्ष्य के द्वारा नहीं की गई। इस साक्षी ने आगे अपने बयान में कहा कि अभियुक्तगण के घटना स्थल पर देखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। उसे विवेचना में अभियुक्तगण द्वारा आलाकतल कुल्हाड़ी व बांका घटना वाले दिन लिए हुए देखे जाने का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला। उसे विवेचना में अभियुक्तगण के मृतक के साथ घटना स्थल पर पहुँचने तथा घटना कर कुल्हाड़ी व बांका लेकर जाते हुए देखे जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं मिला। उसे विवेचना में घटना की पुष्टि में कोई एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल कन्फेशन के भी साक्ष्य नहीं मिले। इस साक्षी ने कहा कि शव में पहने कपड़ों में निरोध का पैकेट मिला था, परंतु केवल इस आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि मृतक खेत में किसी महिला को लेकर सेक्स करने गया हो और वहाँ पर महिला के घर वाले लोग आ गए हों और उसी कारण से यह घटना घटित हुई हो। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि मृतक की हत्या धारदार हथियार से गला काटकर की गई है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई है।इस साक्षी ने यह भी कहा कि दिनांक 25–01–2024 से लेकर दिनांक 27–01–2024 तक, जब तक मृतक के गायब होने से लेकर उसका शव मिलने तक का समय रहा, उस अवधि में मृतक के पिता या भाई द्वारा मृतक धर्मपाल की कोई गुमशुदगी रिपोर्ट अथवा सूचना थाने पर नहीं दी गई थी।

49. यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। जैसा कि पूर्व में विश्लेषण किया जा चुका है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साक्षी पी०डब्लू०. 7 जगत सिंह दिनांक 25–01–2024 वादी मुकदमा के घर पर नहीं था। इसके द्वारा अभियुक्त प्रेमचन्द्र को मृतक के साथ देखा जाना संदिग्ध है। यह अविश्वसनीय साक्षी प्रतीत होता है, जबकि पी०डब्लू–3 आजाद खान पी०डब्लू०–5 भोजराज उर्फ भोजा तथा पी०डब्लू०–9 राजेश रैकवार ने जो साक्ष्य न्यायालय में दिया है, उसमें तुच्छ प्रकृति का विरोधाभास है। परन्तु उनके बयान में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जोकि तात्विक प्रकृति का हो। इन साक्षीगण द्वारा दिनांक 25.01.2024 को मृतक धरमपाल के साथ अभियुक्त प्रेमचन्द्र को अलग–अलग समय अलग–अलग स्थान पर देखा गया था। इनके द्वारा उक्त दोनों को देखे जाने के सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसका खण्डन होता हो। जैसा की बचाव पक्ष का यह तर्क है कि यदि इन साक्षीगण द्वारा दिनांक 25.01.2024 को मृतक व अभियुक्त प्रेमचन्द्र को एक साथ देखा गया तो उन्होंने वादी व वादी के परिवार को क्यों नहीं बताया, जबकि पी०डब्लू०–1 का कहना है कि दिनांक 26.01.2024 को उक्त साक्षीगण उसके घर आये थे। इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कहा गया है कि पी०डब्लू०–1 एक वृद्ध व्यक्ति है और उसने प्रति परीक्षा के समय ऐसा बयान दिया है कि साक्षीगण भी थे। यदि यह मान भी लिया जाये कि साक्षीगण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले वादी को मिले थे उसके बावजूद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी। इस सम्बन्ध में सामान्यतः यह देखा जाता है कि समाज का कोई व्यक्ति किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता तथा इस प्रकरण में तो मात्र अभियुक्त प्रेमचन्द्र को दो दिन पहले मृतक के साथ देखा था, उस समय सामान्यतः यह विचार तुरन्त किसी व्यक्ति के मन में नहीं आता कि उसी व्यक्ति ने मृतक की हत्या कर दी हो। चूँकि वादी मृतक का पिता है और उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के समय किसी ने स्पष्ट सूचना नहीं दी कि मृतक धरमपाल को अभियुक्त प्रेमचन्द्र के साथ देखा गया था तथा स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में यह कहना मुश्किल होता है कि अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या की गयी। जब विवेचना के दौरान इन सभी साक्षीगण द्वारा अपना साक्ष्य दिया तब विवेचक पी०डब्लू०–12 द्वारा अभियुक्त प्रेमचन्द्र व उसके भाई प्रीतम का नाम विवेचना में शामिल किया और उसके पश्चात विवेचक द्वारा पहले अभियुक्त प्रीतम को दिनांक 30.01.2024 को गिरफ्तार किया गया तथा उससे घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व खून से सने अभियुक्तगण के कपड़े, अभियुक्त प्रीतम की निशानदेही पर बरामद किये गये। दिनांक 02.02.2024 को विवेचक पी०डब्लू०–12 द्वारा अभियुक्त प्रेमचन्द्र को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांका (दराँती) बरामद की गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि मृतक के परिवार वालों से अभियुक्तगण की कोई दुश्मनी हो। ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार वाले व अन्य गांव के ही साक्षीगण अभियुक्तगण को क्यों फँसायेगे? जो परिस्थितिजन्य साक्षीगण हैं, वे तो वादी व मृतक के परिवार के भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य क्यों दें ? परिस्थितिजन्य साक्षी पी०डब्लू–3 पी०डब्लू०–5 व पी०डब्लू०–9 द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य विश्वसनीय है तथा परिस्थितजन्य साक्ष्य की समस्त कड़िया आपस में जुड़ रहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि मृतक धरमपाल को अन्तिम बार दिनांक 25.01.2024 को अभियुक्त प्रेमचन्द्र के साथ देखा गया और उसके उपरान्त दिनांक 27.01.2024 को धरमपाल का शव घटनास्थल पर मिला। दिनांक 25.01.2024 तथा 27.01.2024 के मध्य क्या हुआ, इसका साक्ष्य केवल अभियुक्त प्रेमचन्द्र ही दे सकता है। मृतक धरमपाल दिनांक 25.01.2024 को मृतक के साथ जाने के

उपरान्त मृतक कहाँ गया? उसके पश्चात क्या हुआ? इसको साबित करने का भार धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अभियुक्त प्रेमचन्द्र पर है। इस सम्बन्ध में अभियुक्त प्रेमचन्द्र द्वारा कुछ नहीं कहा गया है, मात्र इतना कहा गया है कि उसे झूठा फँसाया गया है तथा वादी मुकदमा ने पुलिस से मिलकर रंजिशन झूठा फँसाया है। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त प्रेमचन्द्र की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांका (दराँती) बरामद की जा चुकी है। यह सही है कि मात्र हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद होने से कोई दोषी नहीं हो जाता, परन्तु इस प्रकरण में घटना के समस्त कड़ियॉ आपस में जुड़ रही हैं और अभियुक्त प्रेमचन्द्र के विरूद्ध साक्ष्य का गठन कर रहीं हैं। अभियुक्त प्रीतम की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व खून से सने कपड़े बरामद किये गये। अन्य कोई साक्ष्य अभियुक्त प्रीतम के विरूद्ध नहीं है। इस प्रकरण में ऐसी भी कोई सम्भावना नहीं लग रही है कि उक्त घटना किसी अन्य के द्वारा कारित की गयी हो। अभियुक्त प्रीतम पर भी घटना में शामिल होने का संदेह है परन्तु कोई ठोस साक्ष्य उसके विरूद्ध नहीं है। परन्तु संदेह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है, जबकि अभियुक्त प्रेमचन्द्र के विरूद्ध समस्त कड़िया आपस में जुड़ रही हैं। इसके विरूद्ध मृतक की हत्या करने व शव को छिपाने के लिए अरहर के खेत में फेंकने का पर्याप्त साक्ष्य है।

50. बचाव पक्ष की ओर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से घटना कारित करने का हेतुक (मोटिव) साबित नहीं किया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में बिना हेतुक के अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की विभिन्न विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैं, जैसे–

1. State of UP v. Sunil, 2017 (2) JIC(SC), 2. SK Yusuf v State of WB, 2011(74)ACC 293, 3. Sunil @ Powa v. Union Territory of Chandigarh, 2011 (3) JIC 346 (SC), 4. Suresh and Another v. State of Haryana , 2018 (3) JIC 496 (SC), 5.Lala @ Vijay Mehtar v. State of UP, 2007 (Supp) ACC 611 (All), 6. Arun Shankar v. State of MP, 2024 (3) JIC 978 (SC), 7.Raju v State of UP, 2023 (3) JIC 903 (All), 8. Gopal Singh v. State of Uttranchal 2007(2) JIC 672 (Uttrakhand), 9. Md. Bani Alam Mazid @ Dhan v. State of Assam, 2025 (3) JIC 214 (SC), 10. Shankar Versus. State of Maharashtra, [2023(3) JIC 127 (SC)], 11. Gambhir Singh Versus State of U.P. [2025(4) JIC 563 (SC)], 12. Vinod Kumar Versus State (Govt. of NCT of Delhi) [2025(3) JIC 89 (SC)], 13.State of MP v. Nisar (2007) 3 SCC (Cri) 5, जिनका मेरे द्वारा ससम्मान परिशीलन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था Shankar Versus. State of Maharashtra, [2023(3) JIC 127 (SC)] में यह अभिनिर्धारित किया गया है–

18. There can be no doubt with respect to the fact that in a case where the conviction is based on circumstantial evidence, motive assumes great significance. A Three Judge Bench of this Court in Nandu Singh v. State of Madhya Pradesh (now Chhattisgarh), 2022 SCC Online SC 1454, by its judgment dated 25–2–2022, after observing. thus, held as under:

"It is not as if motive alone becomes the crucial link in the case to be established by the prosecution and in its absence the case of prosecution must be discarded. But, at the same time, complete absence of motive assumes a differ–ent complexion and such absence definitely weighs in favour of the accused."

We may add here that just like complete absence of motive failure to establish motive after attributing one should also give a different complexion in a case based on circumstantial evidence and it will certainly enfeeble the case of prosecution."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्थाGambhir Singh Versus State of U.P. [2025(4) JIC 563 (SC)] में यह अभिनिर्धारित किया गया है–

"36. In the result, we are of the view that the prosecution has failed to prove even one of the three so–called incriminating circumstances i.e., 'motive', 'last seen' and 'recoveries' in its quest to bring home the guilt of the appellant–accused. Even if, for the sake of arguments the evidence of recovery of weapons were to be accepted, the fact remains that the FSL report does not give any indication regarding the grouping of the blood found on the weapons and hence, the recoveries are of no avail to the prosecution.

37. On a careful perusal of the impugned judgment, we find that the High Court has failed to advert to these inherent improbabilities and infirmities in the prosecution case. The fabric of the prosecution case is full of holes and holes which are impossible to mend. Thus, the impugned judgments do not stand to scrutiny and deserves to be set aside. As a consequence, the – conviction of the appellant–accused and death sentence handed down to him

can also not be sustained."

जबकि अभियोजन की ओर से कहा गया है कि अभियोजन साक्ष्य में आया है कि अभियुक्त द्वारा कहा गया कि मृतक उसकी बहन पर गलत नजर रखता था, इसी वजह से उसकी हत्या की गयी है। यह भी कहा गया कि हेतुक हमेशा प्रकट नहीं होता है, अभियुक्त के मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं बता सकता। इस प्रकरण में मृतक अभियुक्त के साथ था। उसके पश्चात वह जीवित नहीं मिला। उस बीच अचानक क्या हुआ होगा जिससे उसकी हत्या की गयी, यह मात्र मृतक और अभियुक्त ही जान सकते थे इसलिए मात्र हेतुक साबित न होने से अभियोजन कथानक कमजोर नहीं हो जाता जबकि अन्य साक्ष्य मौजूद हो।

51. इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा मृतक की हत्या का स्पष्ट मोटिव साबित नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी है जिनमें कहा गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सभी कड़ियाँ आपस में जुड़नी चाहिये तथा घटना कारित करने का मोटिव भी साबित होना चाहिये। मोटिव के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी अद्यतन विधि व्यवस्था Subhash Aggarwal vs The State of NCT of Delhi, Cri. Ap@SLP (Crl.) No. 1069 of 2025, Decided on 17 April 2025 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्येक मामले में हेतुक होना आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार प्रबल एवं स्पष्ट हेतुक/उद्देश्य होने तथा कमजोर साक्ष्य होने से अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार स्पष्ट साक्ष्य होने पर तथा हेतुक न होने या कमजोर हेतुक होने पर अभियुक्त को मात्र इसी आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि–

20. The declaration in the cited decisions and the decisions relied on therein, is to the effect that if the case is built solely upon circumstantial evidence, absence of motive will be a factor that weighs in favour of the accused. Just as a strong motive does not by itself result in a conviction, the absence of motive on that sole ground cannot result in an acquittal. When the eyewitnesses are not convincing, a strong motive cannot by itself result in conviction, likewise when the circumstances are very convincing and provide an unbroken chain leading only to the conclusion of guilt of the accused and not to any other hypothesis; the total absence of a motive will be of no consequence.

21. We extract paragraph 17 from a three-judge bench decision, **Jan Mohammad v. State of Bihar** (1953) 1 SCC 5; which also is of vintage flavour, succinctly putting forth the proposition:

"Motive is a relevant fact under the Evidence Act (Section 8). It is an important element in a chain of presumptive proof where the evidence is purely circumstantial, but it may lose importance in a case where there is direct evidence by witnesses implicating the accused. In a case such as the present where the prosecution evidence itself shows that the relations between the deceased and the appellants were cordial, the absence of an apparent motive, though not necessarily fatal to the prosecution case, may reasonable be regarded as a fact in favour of the accused. We think, therefore, that the attempt to prove a motive against any of the appellants has failed."

22. **Suresh Chandra Bahri v. State of Bihar1995 Supp (1) SCC 80** held that in a case based on circumstantial evidence, proof of motive would 'supply a link in the chain of

circumstances' but all the same, absence of motive cannot be a ground to altogether reject the prosecution case. Para 21 reads as follows: "21. At the very outset we may mention that sometimes motive plays an important role and becomes a compelling force to commit a crime and therefore motive behind the crime is a relevant factor for which evidence may be adduced. A motive is something which prompts a person to form an opinion or intention to do certain illegal act or even a legal act but with illegal means with a view to achieve that intention. In a case where there is clear proof of motive for the commission of the crime it affords added support to the finding of the court that the accused was guilty of the offence charged with. But it has to be remembered that the absence of proof of motive does not render the evidence bearing on the guilt of the accused nonetheless untrustworthy or unreliable because most often it is only the perpetrator of the crime alone who knows as to what circumstances prompted him to a certain course of action leading to the commission of the crime….."

23. **Sukhpal Singh v. State of Punjab,(2019) 15 SCC 622** found that if prosecution establishes motive, it will undoubtedly strengthen the prosecution case, but to say that absence of motive will be fatal to the prosecution, irrespective of other material before the court in the form of circumstantial evidence is far-fetched. Para 15 reads as follows: "15. The last submission which are called upon to deal with is that there is no motive established against the appellant for committing murder. It is undoubtedly true that the question of motive may assume significance in a prosecution case based on circumstantial evidence. But the question is whether in a case of circumstantial evidence inability on the part of the prosecution to establish a motive is fatal to the prosecution case, we would think that while it is true that if the prosecution establishes a motive for the accused to commit a crime it will undoubtedly strengthen the prosecution version based on circumstantial evidence, but that is far cry from saying that the absence of a motive for the commission of the crime by the accused will irrespective of other material available before the court by way of circumstantial evidence be fatal to the prosecution. In such circumstances, on account of the circumstances which stand established by evidence as discussed above, we find no merit in the appeal and same shall stand dismissed.

24. Motive remains hidden in the inner recesses of the mind of the perpetrator, which cannot, oftener than ever, be ferreted out by the investigation agency. Though in a case of circumstantial evidence, the complete absence of motive would weigh in favour of the accused, it cannot be declared as a general proposition of universal application that, in the absence of motive, the entire inculpatory circumstances should be ignored and the accused acquitted.

52. इस प्रकार प्रस्तुत मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की समस्त कड़ियॉ आपस में जुड़ रहीं हैं तथा समस्त परिस्थितियाँ सामूहिक रूप से अभियुक्त प्रेमचन्द्र के विरूद्ध इंगित करती है। इसलिये इस प्रकरण में हेतुक साबित न होने से ही सम्पूर्ण अभियोजन कथानक विफल नहीं हो जाता। इस प्रकार घटना साबित है तथा अभियुक्त प्रेमचन्द्र के विरूद्ध पर्याप्त व ठोस साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। तद्नुसार अवधार्य बिन्दु संख्या–2 निस्तारित किया जाता है।

अवधार्य बिन्दु सं०– 3

53. अवधार्य बिन्दु संख्या–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्त प्रेमचंद्र राजपूत की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कथित दरांती (बांका) बरामद किया गया तथा अभियुक्त प्रीतम राजपूत की निशानदेही पर खून से सने कपड़े व हत्या में प्रयुक्त कथित कुल्हाड़ी बरामद की गई थी?

54. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। अभियुक्तगण के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि अभियोजन की ओर से कहा गया है कि अभियुक्तगण से की गयी बरामदगी साबित है और उनकी ही निशानदेही पर बरामदगी की गयी है इसलिए यह नही कहा जा सकता है कि बरामदगी फर्जी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है।

55. यह उल्लेखनीय है कि विवेचक पी०डब्लू० –12 द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्तगण की निशानदेही पर ही बरामदगी की गयी है। गिरफ्तारी व फर्द का एक अन्य साक्षी पी०डब्लू० –11 है। अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 11 उप निरीक्षक अनुरूद्ध प्रताप सिंह ने कहा है कि थानाध्यक्ष द्वारा पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा था तो उसने अपना नाम प्रीतम राजपूत पुत्र स्व० जानकी राजपूत निवासी ग्राम समुनिया माफ बताया था। अभियुक्त से उन्होने पूछताछ की थी तब उसने घटना के बारे में अपनी बात बतायी थी कि बिहारी के अरहर के खेत में दिनांक 25.01.2024 की रात करीब 09:00 बजे कुल्हाड़ी व बाँका से अपने बड़े भाई प्रेमचन्द्र के साथ मिलकर अपने ही गांव के धरमपाल की हत्या कर दी थी तथा शव को अरहर के खेत में ही खड़ी हुयी घनी अरहरी के बीच में फेंक दिया था। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व बाँका के बारे में पूछने पर उसने बताया था कि उसने कुल्हाड़ी घरमपाल के मारी थी व बाँका से प्रेमचन्द्र ने गर्दन व मुँह में कई जगह मारा था। पुलिस के पकड़े जाने के डर के कारण घटना में आलाकत्ल व घटना के समय पहने हुये वस्त्र अभियुक्त द्वारा अपने बने कुँआ से कुछ दूरी पर पड़े पत्थर के नीचे छिपा दिये थे तथा बाँका को प्रेमचन्द्र द्वारा कही अलग छिपाकर रख दिया है। अभियुक्त प्रीतम राजपूत की निशांदेही पर अभियुक्त द्वारा स्वयं अपने खेत पर बने कुँआ व ठाकुरबाबा चबूतरा के पास से करीब पच्चीस कदम की दूरी पर प्रेममन्द्र का बना टूटा पुराना पत्थर युक्त मकान बना हुआ है, पड़े हुये पत्थर को प्रीतम राजपूत द्वारा स्वयं हटाकर अपने हाथ से एक अदद लोहे की कुल्हाडी जिसमें लकड़ी की बेत लगा हुआ था एवं एक फुल आस्तीनदार काली रंग की चेकदार शर्ट व एक हाफ टी–शर्ट रंगबिरंगी स्वयं हाथों से निकालकर एस०ओ० साहब को दिया था। शर्टो के बारे में पूछा था तो उसने बताया था कि फूल कमीज मेरी है एवं हाफ टी–शर्ट उसके बड़े भाई प्रेमचन्द्र की है। कुल्हाड़ी के लोहे के फल में खून लगा था। लकड़ी के मूंद पर बेत पर जगह–जगह खून लगा हुआ था एवं बरामद दोनों कपड़ों में खून के धब्बे लगेहुये थे। बरामद कुल्हाड़ी को मौके पर ही सील सर्वमुहर किया गया था एवं बरामद दोनो कपडे शर्ट/ टी–शर्ट को एक सफेद पालीथीन में रखकर मय पालीथीन के कपड़े में रखकर सील सर्वमुहर किया गया था। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रेमचन्द्र राजपूत की गिरफ्तारी यात्री प्रतीक्षालय के पास ही की गयी थी तथा अभियुक्त ने दिनांक 25.01.2024 की रात 09:00 बजे के करीब बिहारी के अरहर

के खेत में अपने छोटे भाई प्रीतम राजपूत के साथ मिलकर गांव के ही धरमपाल की हत्या कर शव को अरहर के खेत में ही फेंकने की बात बतायी थी। हत्या में प्रयुक्त बाँका के बारे में एस०ओ० साहब द्वारा पूंछा गया था तब उसने बताया था कि दिनांक 25.01.2024 की रात में घटना करने के बाद वह तथा उसका भाई प्रीतम दोनों लोग खेत पर बने कुआ पर जाकर प्रीतम ने उसकी टी-शर्ट व अपनी टी शर्ट व कुल्हाड़ी वही पुराने घर के पास पत्थर के नीचे छिपा दिया था। उसने बाँका लोहे का वहीं पास में झाड़ी के पास नीचे छिपा दिया है। गिरफतारशुदा अभियुक्त द्वारा स्वयं आलाकत्ल बरामद करने की बात पर सरकारी वाहन से ही समस्त पुलिस बल के साथ मय अभियुक्त के मौके पर गये, वाहन को खड़ाकर उतर कर बताये गये हुये स्थान पर चले। अभियुक्त प्रेमचन्द्र स्वयं आगे-आगे चलकर बने कुँआ के पास पुरानी टूटी दीवार के पास सूखी खरपतवार की झाड़ियों को हटाकर एक अदद लोहे का बाक फसल काटने वाला निकालकर एस०ओ० श्री प्रवीण सिंह को दिया था। अभियोजन साक्षी संख्या-12 विवेचक द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि जब उसके द्वारा पकडे गये व्यक्ति से नामपता पूछा था तो उसने अपना नाम प्रीतम राजपूत पुत्र स्व० जानकी राजपूत निवासी ग्राम सगुनिया माफ बताया था। इस साक्षी ने पी०डब्लू०-11 कि साथ मिलकर अभियुक्त प्रीतम तथा प्रेमचन्द्र को गिरफतार किया और आला कत्ल व कपड़े बरामद किये। इस साक्षी ने भी फर्द बरामदगी को भी साबित किया है तथा पी०डब्लू०-11 के द्वारा दिये गये साक्ष्य का समर्थन किया है। इस साक्षी ने कहा है कि कुल्हाड़ी के लोहे के फल पर खून लगा था। लकड़ी के मूंद पर बेत पर जगह-जगह खून लगा हुआ था एवं बरामद दोनों कपड़ों में खून के धब्बे लगे हुये थे। बरामद कुल्हाड़ी को मौके पर ही सील सर्वमुहर किया गया था। एवं बरामद दोनो कपड़े शर्ट/टी-शर्ट को एक सफेद पालीथीन में रखकर मय पालीथीन के कपड़े में रखकर सील सर्वमुहर किया गया था नमूना मुहर तैयार किया गया था। बरामद बांक के फल पर खून के निशान मौजूद थे। बरामद माल को सफेद काटन से लपेट कर प्लास्टिक का टेप लगाकर सफेद कपडे में रखकर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया था। अभियोजन साक्षी संख्या-11 व 12 ने अपने साक्ष्य से बरामदगी साबित की है। यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस साक्षीगण के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियुक्तगण को अलग-अलग समय पर गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर ही हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व बांका बरामद किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त प्रेमचंद्र राजपूत की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कथित दरांती (बांका) की बरामदगी साबित है तथा अभियुक्त प्रीतम राजपूत की निशानदेही पर खून से सने कपड़े व हत्या में प्रयुक्त कथित कुल्हाड़ी की बरामदगी साबित है। तद्नुसार अवधार्य बिन्दु संख्या-3 निस्तारित किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु सं०– 4</u>

56. अवधार्य बिन्दु संख्या–4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूर्ण है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि मृतक धर्मपाल की हत्या अभियुक्त प्रेमचंद्र राजपूत ने अपने भाई अभियुक्त प्रीतम राजपूत के साथ मिलकर की, तथा मृतक का शव अरहर के खेत में छिपा दिया गया था?

57. इस प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि मृतक धर्मपाल का शव ग्राम के खेत से बरामद हुआ था। पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित है कि मृतक की मृत्यु हत्याजनित (Homicidal) प्रकृति की थी। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक पी०डब्लू–8 डॉ. साजी राहिल ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक के गले पर धारदार हथियार से किया गया गहरा घाव था तथा गला कट जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। अतः यह साबित होता है कि धर्मपाल की मृत्यु धारदार हथियार से की गई हत्या का परिणाम है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य में पी०डब्लू०–3 आज़ाद खान, पी०डब्लू०–5 भोजराज तथा पी०डब्लू०–9 राजेश रैकवार के साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। इन साक्षियों ने अपने कथनों में यह बताया है कि दिनांक 25.01.2024 को मृतक धर्मपाल को अभियुक्त प्रेमचंद के साथ अंतिम बार जीवित अवस्था में देखा गया था। इन साक्षियों के कथनों में इस तथ्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभास नहीं है और इनके साक्ष्य को अस्वाभाविक या अविश्वसनीय ठहराने का कोई ठोस कारण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः यह परिस्थिति स्थापित होती है कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त प्रेमचंद के साथ देखा गया था। विवेचक के साक्ष्य से यह भी साबित होता है कि अभियुक्त प्रेमचंद की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार 'बांका' बरामद किया गया था। उक्त बरामदगी अभियुक्त के कथन पर हुई है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत एक प्रासंगिक साक्ष्य है। साथ ही मृतक धरमपाल अभियुक्त प्रेमचन्द्र के साथ था उसके पश्चात क्या हुआ उसको साबित करने का भार अभियुक्त प्रेमचन्द्र पर है। परन्तु उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के कथन के उस भाग के आधार पर की गई बरामदगी, जिससे कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह तथ्य भी स्थापित है कि मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। अतः अभियुक्त प्रेमचंद से बरामद हुआ बांका, घटना से संबंधित एक महत्वपूर्ण परिस्थिति के रूप में अभियोजन के पक्ष को पुष्ट करता है। उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त प्रेमचंद के साथ देखे जाने के बाद मृतक की मृत्यु हो गई, किंतु अभियुक्त प्रेमचंद द्वारा इस संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत

नहीं किया गया कि मृतक उसके बाद कहाँ गया या किस परिस्थिति में उससे अलग हुआ। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के सिद्धांत के अनुसार उन तथ्यों का स्पष्टीकरण देना अभियुक्त का दायित्व था, जो उसके विशेष ज्ञान में थे। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने **Trimukh Maroti Kirkan v. State of Maharashtra,(2006) 10 scc 681** में यह कहा है कि जब कोई तथ्य अभियुक्त के विशेष ज्ञान में हो और वह उसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता, तो वह परिस्थिति अभियोजन के मामले को मजबूत करती है। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि– "15. In Ram Gulam Chaudhary & Ors. v. Sate of Bihar (2001) 8 SCC 311, the accused after brutally assaulting a boy carried him away and thereafter the boy was not seen alive nor his body was found. The accused, however, offered no explanation as to what they did after they took away the boy. It was held that for the absence of any explanation from the side of the accused about the boy, there was every justification for drawing an inference that they have murdered the boy. It was further observed that even though Section 106 of the Evidence Act may not be intended to relieve the prosecution of its burden to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, but the section would apply to cases like the present, where the prosecution has succeeded in proving facts from which a reasonable inference can be drawn regarding death. The accused by virtue of their special knowledge must offer an explanation which might lead the Court to draw a different inference.

16. In a case based on circumstantial evidence where no eye– witness account is available, there is another principle of law which must be kept in mind. The principle is that when an incriminating circumstance is put to the accused and the said accused either offers no explanation or offers anexplanation which is found to be untrue, then the same becomes an additional link in the chain of

circumstances to make it complete. This view has been taken in a catena of decisions of this Court."

58. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण हो और वह केवल अभियुक्त के दोष की ओर ही संकेत करे, तो उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने **Sharad**

Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116 में यह प्रतिपादित किया है कि परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि वह अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य संभावना की ओर संकेत न करे। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त प्रेमचंद के साथ देखा गया, उसके पश्चात मृतक की हत्या धारदार हथियार से की गई तथा अभियुक्त प्रेमचंद की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद हुआ। इन परिस्थितियों की श्रृंखला अभियुक्त प्रेमचंद के विरुद्ध पूर्ण प्रतीत होती है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि मृतक धर्मपाल की हत्या अभियुक्त प्रेमचंद द्वारा की गई। जहाँ तक अभियुक्त प्रीतम राजपूत का प्रश्न है, उसके विरुद्ध अभियोजन कोई ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसे मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था या वह घटना में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित था। केवल कुल्हाड़ी अथवा कपड़ों की बरामदगी के अतिरिक्त उसके विरुद्ध कोई ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं मानी जा सकती। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि अभियुक्त के विरुद्ध संदेह बना रहता है तो उसे संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **Kali Ram v. State of Himachal Pradesh, (1973) 2 SCC 808** में प्रतिपादित किया है। अभियुक्त प्रीतम पर संदेह है कि अभियुक्त प्रीतम द्वारा अभियुक्त प्रेमचन्द्र राजपूत के साथ मिलकर हत्या की गयी होगी। परन्तु मात्र संदेह के आधार पर ही अभियुक्त प्रीतम को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। संदेह कभी भी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी अद्यतन विधि व्यवस्था **Gautam Satnami v state of Chhattisgarh, Criminal Appeal– 1782 OF 2026** (Arising out of S.L.P. (Cri.) N0.11080 OF 2022) Decided on 07.04.2026 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– "31. Here, the prosecution's case fails at the threshold itself, as each circumstance from which guilt is to be inferred is not firmly and fully established. By way of example, it cannot even be said with certainty that the driving licence was recovered from the spot in the manner alleged, let alone that its presence there was consistent only with the hypothesis of guilt. The evidence on record may raise suspicion, but suspicion, however strong, cannot take the place of proof. Our considered opinion is that the appellant, like accused No. 2 (Dwarika Jangde), deserves the benefit of doubt".

59. इस प्रकार संदेह का लाभ अभियुक्त प्रीतम को दिया जायेगा। इस प्रकार अभियुक्त प्रेमचन्द्र के विरूद्ध मृतक धरमपाल की हत्या करके उसके शव को खेत में छिपाने का अभियोग

साबित है तथा अभियुक्त प्रीतम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य का अभाव है। चूँकि एकमात्र अभियुक्त प्रेमचन्द्र के विरूद्ध मामला साबित है। इसलिए धारा–34 भा०दं०सं० इस प्रकरण में लागू नहीं होगी। इस प्रकार अभियुक्त प्रेमचन्द्र के विरूद्ध धारा –302 व 201 भा०दं०सं० का अपराध साबित है।

60. उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अभियुक्त प्रेमचंद राजपूत के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 302 व 201 के अपराध को युक्तियुक्ति रूप से संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है तथा अभियुक्त प्रीतम राजपूत के विरूद्ध धारा 302/34 व 201 भा०दं०सं० के अपराध को युक्तियुक्ति रूप से संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त प्रेमचंद राजपूत को भा०दं०सं० की धारा 302 व 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है तथा अभियुक्त प्रीतम राजपूत को धारा 302/34 व 201 भा०दं०सं० के अंतर्गत पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है

<u>आदेश</u>

61. सत्र वाद संख्या –199/2024 में अभियुक्त प्रेमचंद राजपूत को मु०अ०सं – 17/2024 भा०दं०सं० की धारा 302 एवं 201 थाना–अजनर के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्त प्रीतम राजूपत को भा०दं०सं० की धारा 302/34 एवं 201 के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

62. अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त करते हुये उनके जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है।

63. अभियुक्त प्रेमचन्द्र राजपूत न्यायालय में उपस्थित है , उसको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

64. अभियुक्त प्रीतम राजपूत आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। अभियुक्त प्रीतम राजपूत की ओर से हाजिरीमाफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया गया। उसको आदेशित किया जाता है कि वह धारा–437 ए द०प्र०सं० के अन्तर्गत 25,000/– का निजी बंधपत्र व इसी धनराशि की एक जमानत एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करेगा।

65. दोषसिद्ध प्रेमचन्द्र राजपूत की सजा के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पत्रावली दिनांक 10.04.2026 को पेश हो।

दिनांकः 08.04.2026

(तेन्द्र पाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP- 1719

10.04.2026

66. आज पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु प्रस्तुत हुयी। दोषसिद्ध प्रेमचन्द्र राजपूत जेल से तलब होकर न्यायालय में उपस्थित है।

67. दोषसिद्ध व उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

68. दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध युवक है। घर की जिम्मेदारी उस पर है। इसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उसका यह प्रथम अपराध है। वह गरीब व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम सजा से दण्डित किया जाये जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी मुकदमा के पुत्र धरमपाल की कुल्हाड़ी व बांका से मारकर साशय हत्या कारित की तथा उसके शव को बिहारी के खड़ी अरहर की फसल के खेत में साक्ष्य विलोपन के लिए फेंक दिया, जिसमें न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। ऐसी स्थिति में कठोर से कठोर दण्ड दिया जाये।

69. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि दोषसिद्ध प्रेमचन्द्र राजपूत को धारा 302 व 201 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है। अभियोजन की ओर से दोषसिद्ध के पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। दोषसिद्ध युवक है तथा परिवार की जिम्मेदारी दोषसिद्ध पर है। अतः दोषसिद्ध की परिवारिक स्थिति के दृष्टिगत निम्नानुसार दण्डादेश पारित किया जाता है।

दण्डादेश

70. दोषसिद्ध प्रेमचन्द्र राजपूत को भा०दं०सं० की धारा 302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास के कठोर कारावास व दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

71. दोषसिद्ध प्रेमचन्द्र राजपूत को भा०दं०सं० की धारा 201 के अन्तर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

72. दोषसिद्ध प्रेमचन्द्र राजपूत द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि उसकी सजा में समायोजित की जायेगी।

73. दोषसिद्ध प्रेमचन्द्र राजपूत की उपरोक्त सजायें साथ–साथ चलेगी।

74. माल मुकदमा बाद बीतने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित हो।

75. दोषसिद्ध प्रेमचन्द्र राजपूत का सजायाबी वारंट बनाकर जेल भेजा जाये।

76. दोषसिद्ध प्रेमचन्द्र राजपूत को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक 10.04.2026

(तेन्द्र पाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP- 1719

निर्णयादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक 10.04.2026

(तेन्द्र पाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP- 1719

Digitally signed by TENDRA PAL
Date: 2026.04.13 15:18:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court